

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
[तृतीय माला]
[Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक)
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक) तक
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]



ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं]
[Vol. XLII contains Nos. 41-50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/ हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय—सूची

अंक 48—गुरुवार, 29 अप्रैल, 1965/9 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
1076	भारत सहायता सहयोग की बैठक	4539—42
1077	ग्रामोद्योग परियोजना	4542—44
1078	आयोजन से लाभ	4545—46
1080	पेंशन	4546—47
1081	विकास दल	4547—49
1082.	विदेशी मुद्रा	4550—53
1085	विदेशों को भारतीय ऋण	4553—56
1086	शुगियां गिराना	4556—59

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

1079	दामोदर घाटी निगम के बांध	4559—60
1084	विद्युत् जनन पर केन्द्रीय नियंत्रण	4560
1087	विदेशी बैंकों में भारतीयों के खाते	4560—61
1088	नामरूप तापीय बिजली घर	4561
1089	आय का केन्द्रीयकरण	4561—62
1090	भारतीय शान्ति दल	4562
1091	सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	4562—63
1092	चीन की छाप वाले सोने का पकड़ा जाना	4563
1093	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार	4563—64
1094	राजस्व विभागों में भ्रष्टाचार	4564
1095	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	4564
1096	कांस्टीट्यूशन हाउस होस्टल	4565

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 48—Thursday, April 29, 1965/ Vaisakha 9, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS.

<i>Starred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
1076	Aid India Consortium Meeting	4539—42
1077	Rural Industries Project	4542—44
1078	Benefits from Planning	4545—46
1080	Pensions	4546—47
1081	'Vikas Dal'	4547—49
1082	Foreign Exchange	4550—53
1085	India's credit to foreign countries	4553—56
1086	Demolition of Jhuggis	4556—59

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Starred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
1079	D.V.C. Dams	4559—60
1084	Central Control over Power Generation	4560
1087	Accounts of Indians in Foreign Banks	4560—61
1088	Namrup Thermal Plant	4561
1089	Concentration of Income	4561—62
1090	Indian Peace Corps	4562
1091	D.A. to Government Employees	4562—63
1092	Seizure of Gold with Chinese Markings	4563
1093	Employment in Rural Areas	4563—64
1094	Corruption in Revenue Departments	4564
1095	National Projects Construction Corporation	4564
1096	Constitution House Hostel	4565

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारंकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2759	विदेशों को दिये गये ऋण	4565
2760	विदेशों में डाक्टरों का प्रशिक्षण	4566
2761	सुनार	4566-67
2762	अस्पताल तथा औषधालय	4567
2763	इरीनव रेगुलेटर	4567-68
2764	त्रिचूर जिले में कृषि फसल	4568
2765	केरल में अस्पताल	4568
2766	कर वसूली	4568-69
2767	साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	4569
2768	कलाकारों पर आयकर	4569
2769	दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालय	4569
2770	आपरेशन के समय रक्त स्राव	4570
2771	स्कूलों के लिये वैज्ञानिक उपकरण	4570
2772	कालाधन कमाने की मार्ग-दर्शक पुस्तक	4571
2773	सिंचाई सुविधायें	4571
2774	चोरी-छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	4571-72
2775	उड़ीसा को ऋण	4572
2776	उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण	4572-73
2777	कुष्ठ रोग केन्द्र	4573
2778	बम्बई में चलार्थ नोटों का पकड़ा जाना	4574
2779	भारत में चीनी माल का चोरी-छिपे लाया जाना	4574
2780	पुनः नियुक्त सैनिक कर्मचारी	4574-75
2781	चिकित्सा व्यय की प्रतिमूर्ति	4575
2782	फरक्का बांध	4575-76
2783	प्राकृतिक चिकित्सालय	4576
2784	मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को दिये गये ठेके	4576-77
2785	जीवाणु विनाशक कपड़ा	4577
2786	गर्भाश्याभ्यन्तर साधन	4577-78
2787	यमुना के जल का दूषण	4578
2788	ग्रामोद्योग परियोजनायें	4578
2789	कुट्टीयाडी सिंचाई योजना	4579
2790	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आय-व्ययक	4579
2791	कच्चे पानी का सम्भरण	4579-80
2792	आन्ध्र प्रदेश का विकास	4580
2793	उपभोक्ता वस्तुयें	4580
2794	भारत सरकार प्रेस	4580-81
2795	नगर आयुक्तों का सम्मेलन	4581

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Unstarred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	PAGES
2759	Loans granted to Foreign Countries	4565
2760	Training of Doctors Abroad	4566
2761	Goldsmiths	4566-67
2762	Hospitals and Dispensaries	4567
2763	Irinav Regulator	4567-68
2764	Agricultural Crops in Trichur District	4568
2765	Hospitals in Kerala	4568
2766	Tax Collection	4568-69
2767	South Block, New Delhi	4569
2768	Income Tax on Artists	4569
2769	Ayurvedic Dispensary in Delhi	4569
2770	Bleeding during Operations	4570
2771	Science Equipment for Schools	4570
2772	Guide book for making Black Money	4571
2773	Irrigation Benefits	4571
3774	Seizure of Smuggled Gold	4571-72
2775	Loan to Orissa	4572
2776	Flood Control in Orissa	4572-73
2777	Leprosy Centres	4573
2778	Seizure of Currency Notes in Bombay	4574
2779	Smuggling of Chinese made goods into India	4574
2780	Re-employed Military Personnel	4574-75
2781	Reimbursement of Medical Expenses	4575
2782	Farakka Barrage	4575-76
2783	Nature Cure Institutions	4576
2784	Contracts given to M/s Tarapur & Co.	4576-77
2785	Bacteria-Destroying Textile	4577
2786	Intra Uterins Devices	4577-78
2787	Pollution of Jamuna Water	4578
2788	Rural Industries Projects	4578
2789	Kuttiyadi Irrigation Scheme	4579
2790	Budgets of Public Sector Undertakings	4579
2791	Supply of Unfiltered Water	4579-80
2792	Development of Andhra Pradesh	4580
2793	Consumer Goods.	4580
2794	Government of India Press	4580-81
2795	Conference of Municipal Commissioners	4581

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारंकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2796	अनुसन्धान के लिये विशेष एकक	4581
2797	कनाडा से सहायता	4582
2798	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण	4582
2799	आन्ध्र प्रदेश में बंसधरा परियोजना	4582-83
2800	बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	4583
2801	दिल्ली में मकान मालिक सरकारी कर्मचारी	4583
2802	दिल्ली में मकान मालिक सरकारी कर्मचारी	4583-84
2803	मकान बनाने के लिये ऋण	4584-85
2804	मकान किराया भत्ता	4585
2805	नेफा माइक्रो हाइडल परियोजना	4585-86
2806	सरकारी क्वार्टरों में छत के पंखे	4586
2808	जीवन की दीर्घायुता	4586
2809	दिल्ली में आय-कर दाता	4586-87
2810	आसाम में चोरी छिपे लाया गया चीनी सामान	4587
2811	पंजाब में उद्योग	4587
2813	झुग्गियों का गिराया जाना	4588
2814	परिवार नियोजन निदेशालय	4588
2815	मद्रास राज्य में गांवों में विद्युतीकरण	4588-89
2816	सन्तति निग्रह की गोलियां	4589
2817	पील ज्वर	4589
2818	ग्रिड के लिये ट्रांसमिशन	4590
2820	केरल में रतिराग	4590
2821	केरल में मलेरिया का प्रकोप	4590-91
2822	केरल में चेचक का प्रकोप	4591
2823	मुरादाबाद में सोने का पकड़ा जाना	4591-92
सभा पटल पर रखे गए पत्र		4592-93
प्राक्कलन समिति—		
तिरासीवां प्रतिवेदन		4593
लोकलेखा समिति—		
अड़तीसवां प्रतिवेदन		4593
सरकारी आशवासनों संबंधी समिति—		
तीसरा प्रतिवेदन		4593
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1962-63		4594

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

<i>Unstarred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
2796	Special Cell for Research	4581
2797	Aid from Canada	4582
2798	Flood Control in Andhra Pradesh	4582
2799	Vamsadhara Project in Andhra Pradesh	4582-83
2800	Seizure of Gold in Bombay	4583
2801	Government Employees owning houses in Delhi	4583
2802	Government Employees owning houses in Delhi	4583-84
2803	House Building Loans	4584-85
2804	House Rent Allowance	4585
2805	NEFA Micro Hydrel Project	4585-86
2806	Ceiling Fans in Government Quarters	4586
2808	Longevity of Life	4586
2809	Income tax Assesseees in Delhi	4586-87
2810	Chinese Goods smuggled into Assam	4587
2811	Industries in Punjab	4587
2813	Demolition of Jhuggis	4588
2814	Family Planning Directorate.	4588
2815	Rural Electrification in Madras State	4588-89
2816	Birth Control Pills	4589
2817	Yellow Fever	4589
2818	Transmission for Grid	4590
2820	V. D. In Kerala	4590
2821	Malaria Epidemic in Kerala	4590-91
2822	Small-Pox in Kerala	4591
2823	Seizure of Gold at Moradabad	4591-92
Papers laid on the Table		4592-93
Estimates Committee—		
	Eighty-third Report	4593
Public Accounts Committee —		
	Thirty-eighth Report	4593
Committee on Government Assurances—		
	Third Report	4593
Demands for Excess Grants (General), 1962-63		4594

	विषय	पृष्ठ
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित		4594
अनुदानों की मांगें		4594—4633
खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय		4594—6433
श्री राधेलाल व्यास		4595
श्री बालकृष्णन्		4595—96
श्री बृजराज सिंह		4596—97
श्री जेना		4597—98
श्री रा० सा० तिवारी		4598—99
श्री अल्वारेस		4599—4600
श्री रेड्डियार		4602—02
श्री चन्द्रिकी		4602
श्रीमती सत्यभामा देवी		4602—03
श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा		4603—05
श्री शशि रंजन		4605—06
श्री सुमत प्रसाद		4606—07
श्री विश्राम प्रसाद		4607—08
श्री लाटन चौधरी		4608—09
श्रीमती शांक मंजरी		4609—10
श्री रा० गि० दुबे		4610—11
श्री दा० रा० चह्वाण		4611—14
डा० लक्ष्मीमल्ल सिधवी		4614—15
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा		4615—16
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती		4616—17
श्री बालगोविन्द वर्मा		4617—19
श्री काशीनाथ पांडे		4619—20
श्री वारियर		4620—21
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या		4621—23
कच्छ-सिन्ध सीमा पर युद्ध विराम सम्बन्धी बातचीत के कथित समाचार		4623—24
		4629—30

<i>Subject</i>	PAGES
Representation of the People (Amendment) Bill—introduced	4594
Demands for Grants	4594—4633
Ministry of Food and Agriculture	4594—4633
Shri Radhelal Vyas	4595
Shri Balakrishnan	4595—96
Shri Brij Raj Singh	4596—97
Shri Jena	4597—98
Shri R. S. Tiwary	4598—99
Shri Alvares	4599—4600
Shri Reddiar	4600—02
Shri Chandriki	4602
Shrimati Satyabhama Devi	4602—03
Shri Narendra Singh Mahida	4603—05
Shri Shashi Ranjan	4605—06
Shri Sumat Prasad	4606—07
Shri Vishram Prasad	4607—08
Shri Lehtan Chaudhry	4608—09
Shrimati Shashank Manjari	4609—10
Shri R. G. Dube	4610—11
Shri D. R. Chavan	4611—14
Dr. L. M. Singhvi	4614—15
Shri Inder J. Malhotra	4615—16
Shri Jagdev Singh Siddhanti	4616—17
Shri Balgovind Verma	4617—19
Shri K. N. Pande	4619—20
Shri Warior	4620—21
Shri P. Venkatasubbaiah	4621—23
Reported Cease-fire talks on Kutch-Sind border	4623—24
	4629—30

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 29 अप्रैल, 1965/9 वैशाख, 1887 (शक)
Thursday, April 29, 1965/Vasiakha 9, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ MR. SPEAKER *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Aid India Consortium Meeting

*1076. {
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. R. Chakravarty :
Shri Subodh Hansda :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shrimati Renuka Barakataki :
Shri P. C. Borooah :
Shri Yash Pal Singh :
Shri P. Venkatasubbiah :
Shri Hem Raj :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Murli Manohar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the meeting of the Aid India Consortium held on the 17th March, 1965 at Paris, India's requirements for the last year of the Third Five Year Plan were discussed ;

(b) if so, the extent of aid sought by India and that agreed to by the Consortium ;

(c) the composition of the Indian Delegation which attended that meeting;

(d) whether the Indian Delegation also put forth India's requirements of foreign exchange for the Fourth Plan ; and

(e) if so, the result thereof ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) No specific amount of aid was sought, but it was indicated that the foreign exchange requirements of the various programmes we had in mind would add up to Rs. 600 crores. No pledges were made in the Paris meeting. They were, however, announced in a subsequent meeting held at Washington on the 21st instant. The total amount of aid promised by the Consortium is \$1027 million.

(c) The Indian delegation was led by Shri S. Bhoothalingam, Finance Secretary. The other members of the delegation were Shri I. G. Patel, Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, Shri C. S. Krishna Moorthi, Joint Secretary in the Ministry and Shri K. B. Lall, Ambassador to the European Economic Community.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Shri M. L. Dwivedi : Why the full amount of loan has not been given for which India had asked for ? Is it afraid that it will not be given in future ? What are the reasons for this ?

Shri B. R. Bhagat : It depends on the countries which have to give loan. The amount agreed to for this year is one million dollar which is less than that of last year. We cannot say that it is much less.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether our requirements during the Fourth Plan in regards to defence of our country were also included in our demands from Aid India consortium ?

Shri B. R. Bhagat : There is no question of Fourth Plan in it. Moreover defence matters are not brought before consortium.

श्री स० च० सामन्त : भारत सहायता सहयोग से जो विदेशी मुद्रा मिलती है क्या उसको हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग में लाते हैं अथवा सहायता सहयोग के देशों का विभिन्न परियोजनाओं में धन लगाने आदि पर नियंत्रण होता है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : वे हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं भारत सहायता सहयोग परियोजनाओं पर विचार नहीं करता बल्कि इन के पीछे की नीति पर विचार करते हैं । और यह तीनि उन को बताया जाती है । जैसे मेरे मानीय सहयोगी ने कहा है हमें उस सहायता से सन्तुष्ट होना है जिस का वचन दिया गया है । हां, हमने 126 करोड़ डालर की मांग की थी । हमारे विचार में इस सहायता का कुछ भाग अगले वर्ष में मिलेगा और इस से परियोजनाओं को लाभ होगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस सहायता का काफी भाग देश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये तथा आयात बढ़ाने के प्रयोग में लाया जायेगा ? यदि हां, तो उस की शर्तें क्या हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : गत वर्ष कुल सहायता का 49 प्रतिशत भाग गैर-परियोजना की सहायता के रूप में था । हम इस मद में सहायता को वृद्धि करने के लिये कहते रहे हैं । इन विषयों

पर भारत तथा इन देशों में आपसी बातचीत द्वारा निर्णय किये जायेंगे और पूरे भारत सहायता सहयोग से बातचीत द्वारा नहीं ।

श्री सुबोध हंसदा : मेरे विचार में भारत की विदेशी मुद्रा की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है । क्या इस तृतीय योजना के शेष काल पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जो राशि दी गई है वह गत वर्ष की राशि के लगभग बराबर ही है । जर्मनी द्वारा दी गई राशि में कुछ अन्तर है परन्तु उसे अन्य स्रोतों से पूरा कर लिया गया है ।

हमारा मोटे तौर पर अनुमान 126 करोड़ डालर का था । इस में से कुछ अगले साल में मिलेगा । मैं नहीं कह सकता कि हमारी वर्तमान योजना के अन्तिम वर्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी इच्छा के अनुसार सहायता नहीं मिली है ।

श्री प्र० च० बरुआ : क्या भारत सहायता सहयोग पर मिलने वाले ऋण पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से मिलने वाले ऋण से अधिक ब्याज देना पड़ेगा, यदि हां, तो क्यों ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के कर्जे सरल (साफ्ट) होते हैं । विश्व बैंक के कर्जे ऐसे नहीं होते । अमरीका के कर्जे अधिक लम्बे समय के लिये होते हैं । भारत सहायता सहयोग के अतिरिक्त देशों, जैसे रूस आदि से कम ब्याज पर कर्जा मिलता है । परन्तु प्रत्येक देश का दर भिन्न होता है । दी जाने वाली कुछ सहायता वाणिज्यिक सहायता के रूप में होती है । ऐसी स्थिति में हम ऋण देने वाले देशों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के दरों अर्थात् सरल (साफ्ट) ऋण के अनुसार देने को नहीं कह सकते ।

Shri Yashpal Singh : Is there any country from whom we have taken loan but have not paid it back ?

Shri B. R. Bhagat : Every year we show in the Budget that so much amount is being paid back.

Shri Yashpal Singh : Has it been paid fully ?

Shri B. R. Bhagat : It will be paid back fully, but it takes some years and not one year.

श्री पे० वेंकटसुब्बया : सहायता सहयोग द्वारा इस कर्जे की मंजूरी से पहले क्या इस धन को इस्तेमाल करने के बारे में एक समिति ने पड़ताल की है ? यदि हां, तो इस का प्रयोग कैसे होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : पड़ताल का कोई प्रश्न नहीं है । हम उन को इस बारे में रिपोर्ट भेजते हैं । मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष हम ने पिछले कई वर्षों की अपेक्षा बहुत अच्छा लाभ उठाया है ।

Shri Ram Harkh Yadav : I want to know whether we have free hand in spending money received from Consortium or have we to act according to instructions received from the Consortium ?

Shri B. R. Bhagat : As the hon. Finance Minister has said that so much amount is in the shape of projects aid and so much is in the shape of non-projects aid. The decisions are taken by discussion with each country separately and with the consortium as a whole.

Shri Vishwa Nath Pandey : Which countries are the members of consortium? What are the conditions for grant of loan by Consortium and after how many years India will pay back this loan?

Shri B. R. Bhagat : Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherland, U. K., U. S. A. World Bank and I. D. A. are the members of Aid India Consortium.

श्री कपूर सिंह : क्या समझदार लोगों के इस भय में कुछ सार है कि हमारा विदेशी ऋण हमारे फालतू जी एन० पी० से बढ़ जायेगा? यदि हां, तो क्या अधिक ऋण लेने की नीति को जारी रखा जायेगा या इस का परित्याग किया जायेगा?

श्री ब० रा० भगत : यह बात कल्पना पर आधारित है और तथ्यों पर नहीं।

श्री वारियर : क्या पहले लिये गये कर्जे और इस कर्जे के वापिस भुगतान की शर्तों में कोई अन्तर है?

श्री ब० रा० भगत : इन ऋणों के बारे में समझौते होने के समय व्यौरे तय किये जायेंगे। यह आगामी महीनों में होगा।

ग्रामोद्योग परियोजना

+

*1077. { श्री स० चं० सामन्त :
 श्री म० ला० द्विवेदी :
 श्री सुबोध हंसदा :
 श्री ब० कु० दास :
 श्री अब्दुल गनी गोनी :
 श्री प्र० चं० बहग्रा :

क्या योजना मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 359 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पैंतालीस ग्रामोद्योग परियोजनायें कहां-कहां पर चालू की गयी है ;

(ख) क्या उनके वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मांगे गये हैं और उनकी जांच की गई है ;

(ग) क्या कुछ कठिनाइयां ग्रामोद्योग योजना समिति को बताई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) विभिन्न राज्यों और चार संघीय क्षेत्रों के जो क्षेत्र 45 ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिए चुने गये उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एन० टी० 4304/65]

(ख) मार्च, 1965 को समाप्त होने वाली अवधि का सालाना प्रगति प्रतिवेदन राज्यों से मांगा गया है और आशा है कि अप्रैल, 1965 के अन्त तक वह योजना आयोग को प्राप्त हो जायेंगे।

(ग) और (घ) 1964-65 के वर्ष के प्रगति प्रतिवेदन अभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अभी यह बताना कठिन है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आईं तथा किस प्रकार उनका सामना किया गया।

श्री स० च० सामन्त : प्रत्येक ग्रामोद्योग परियोजना में बहुत से सामुदायिक विकास खण्ड आते हैं और उनके ग्रामोद्योग सम्बन्धी अपने पृथक बजट होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस परियोजना तथा विकास खण्डों में कोई विवाद तो नहीं चलता ?

श्री ब० रा० भगत : यह संगठन एक क्षेत्र के स्तर पर कार्य करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि कोई झगड़ा आदि न हो।

श्री स० च० सामन्त : क्या इन परियोजनाओं को चुनने से पहले कच्चे माल की उपलब्धि तथा अन्य सम्बद्ध बातों का ध्यान रखा जाता है ? क्या राजनैतिक बातों का ध्यान भी रखा जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उससे पता चलता है कि ये देश के सभी भागों में हैं और इन क्षेत्रों का चयन राज्य सरकारों ने किया है। कच्चे माल का होना तथा सम्बद्ध सुविधाओं के उपलब्ध होने तथा जनसंख्या आदि जैसी बातों का ध्यान रखा जाता है। राजनैतिक बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

Shri M. L. Dwivedi : I have a doubt in regard to reply given by the hon. Minister to Shri Samanta. I want to know how they will avoid the conflict between this new rural industries programme and the existing C. D. industries ?

Shri B. R. Bhagat : It is a different question. The blocks are there in the whole country but for this rural industries programme 45 centres have been selected in the country. It has been seen that these places are very suitable. The organisation which runs them sees that there is no conflict.

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, Sir, no answer has been given to my question. There is Mauranipur Block at my place and it runs industries as a Development Block. I want to know whether there will not be any conflict between those blocks and these new rural industries projects ?

Shri B. R. Bhagat : If I am given a separate notice, I can enquire and give him the information.

श्री सुबोध हंसदा : इन औद्योगिक परियोजनाओं को चलाने के लिये राज्य स्तर पर समितियाँ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन समितियों पर किन किन हितों का प्रतिनिधित्व है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सरकार की अपने अधिकारियों की समिति है। हो सकता है समाज-सेवा कार्य करने वाले कुछ गैर-सरकारी लोग भी इस के सदस्य हों।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सहकारी क्षेत्र में चलाये गये ग्रामोद्योग कच्चा माल न होने के कारण हानि उठा रहे हैं ? और क्या उन को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : वह इस से भिन्न है। लघु उद्योगों को, चाहे वे सहकारी क्षेत्र में हों या अन्य क्षेत्र में कच्चे माल की कमी एक आम प्रश्न है। इस बारे में उद्योग मंत्री ने कहा है कि एक समिति

विचार कर रही है। परन्तु इस में तो यह एक शर्त है कि कच्चा माल वहीं पर उपलब्ध होना चाहिये। अतः इस प्रकार की परियोजनाओं के बारे में यह प्रश्न नहीं होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ग्रामीण उद्योगों का क्या अर्थ है ? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष उद्योग स्थापित किये जायेंगे अथवा गांवों में जो भी उद्योग हों क्या उसको ग्रामीण उद्योग कहा जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : इसे स्पष्ट कर दिया गया है। उद्देश्य यह है कि उद्योगों में ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाए तथा वहीं के स्थानीय योग्य व्यक्तियों को उनमें रखा जाये।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is there any scheme to encourage rural industries like the woodwork, agricultural implements, iron and leather work etc. under these projects ?

Shri B. R. Bhagat : The scope of these projects is very wide. These projects have been located in such a way that maximum opportunity may be provided to the local artisans and craftsmen. The question raised by the hon. Member is a very comprehensive one.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Let it be 45 but it should be done.

Shri B. R. Bhagat : It is being done.

श्री बालकृष्णन : क्या ये उद्योग कुटीर उद्योग क्षेत्र में होंगे अथवा मशीन उद्योग क्षेत्र में ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा है कि हमें अभी इस की रिपोर्ट नहीं मिली है। उन के प्राप्त होने पर उन को सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री शशि रंजन : बिहार में यह परियोजना तीन स्थानों पर चलायी जा रही है। इस का उल्लेख विवरण में भी है। और ये वहां पर लगभग तीन सालों से चल रहे हैं। बिहार में इन पर कितना व्यय हुआ है और कतने प्रतिशत प्रगति हुई है ? क्या सरकार इन परियोजनाओं की प्रगति से सन्तुष्ट है ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि हमें अभी रिपोर्ट मिलनी है।

श्री श्रीनाराणय दास : क्या इन परियोजनाओं का संचालन योजना आयोग कर रहा है, तो इन को उद्योग विभाग को क्यों नहीं सौंपा गया ? योजना आयोग द्वारा इन को अपने प्रशासन में रखने के विशेष कारण क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग ने इसे अपने अधीन नहीं किया। केन्द्र में एक चालक समिति है जिस में सभी संगठनों तथा विभागों का प्रतिनिधित्व होता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : I want to know the names of States where these 45 centres are being set up. Were some suggestions received from the States in regard to location of these centres ?

Shri B. R. Bhagat : A statement giving all information in this connection has already been placed on the table of the House ?

आयोजन से लाभ

+

*1078 { श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० ब० देव :
श्री प्र० कु० घोषः
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1965 के 'पेट्रिआट' में प्रकाशित महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आयोजन ऐसा होना चाहिए कि पांच वर्ष पूरे होने पर जनता को लाभ मिलना आरम्भ हो जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रसंग में चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के ज्ञापन, चौथी योजना तैयार करने में आधार का काम करेगा, मैं इस बात पर बल दिया गया है कि जाह कहीं सम्भव हो चौथी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में लाभ/उत्पादन प्राप्त करने के लिए कदम उठाये जायें ।

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तथा उपयोगता वस्तुओं सम्बन्धी समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार की अनुमति देने तथा रूसी विकास कार्यक्रमों पर बनाए गये विकास कार्यक्रमों तथा विभिन्न नीतियों की भारतीय अनुभव के संदर्भ में जांच कराने के लिये तैयार है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : मेरी राय में इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रंगा : हम जानना चाहते हैं कि लोगों को लाभ कैसे पहुंचाया जायेगा । एक ओर तो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की टिप्पणी है और दूसरी ओर माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव है ?

वित्त मंत्री (ति० त० कृष्णमाचारी) : हमने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से इसकी सत्यता का पता लगाया था । उन्होंने कहा कि उनका निर्देश सीमेंट उत्पादन के प्रश्न की ओर था । हम केवल इस बात से ही सहमत नहीं हैं कि योजना अवधि में किये गये व्यय से योजना की समाप्ति से पहले ही परिणाम नहीं निकलने चाहियें अपितु योजना अवधि में भी इससे परिणाम निकलने चाहिये । चौथी योजना में सीमेंट उत्पादन के बारे में वर्तमान विचार धारा यह है कि चौथी योजना के मध्य तक आधे से ज्यादा लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा । अतः यह विचारधारा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की विचार धारा से लगभग मिलती जुलती है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इससे सम्बन्धित मूल प्रश्न की स्वतंत्र रूप से जांच की अनुमति देने के लिये तैयार है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब हम इस सदन को सरकार की नुक्ताचीनी करने, जांच करने आलोचना करने तथा निन्दा करने का अधिकार है तब मेरी राय में इसके लिये किसी अन्य स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : Are the Government in a position to tell the amount to be spent next year in connection with cash crops? The money that is invested in the factories in connection with commercial crops is for a period of five or six years.

Shri B. R. Bhagat : How does this question arise out of it ?

श्री श्याम लाल सराफ़ : गत तीन योजनाओं की कार्यान्विति से प्राप्त अनुभव के आधार पर चौथी योजना में शीघ्र तथा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये आर्थिक विकास को तेज करने के लिये क्या नये उपाय किये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : : इन में से कुछ उपाय चौथी योजना के ज्ञापन पत्र में दिये हुए हैं । मोटे तौर पर विचार यह है कि अधिक विस्तार से तथा अच्छी तरह से सोच विचार करके योजनायें बनाई जायें और कुछ अग्रिम कार्रवाई भी की जाये ताकि क्षमता के साथ साथ कम से कम समय में लाभ प्राप्त हो सकें ।

पेंशन

*1080. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेंशन सम्बन्धी प्रक्रिया तथा नीति पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो दल के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन कब तक पेश किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये अध्ययन दल को कुछ संकेत दिये हैं और यदि हां, तो क्या ?

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर "नहीं" में दिया गया है । इसलिये कोई संकेत देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या कभी सरकार का ध्यान वर्तमान पेंशन प्राप्तकर्ताओं की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि मूल्यों आदि में वृद्धि के कारण उन्हें कुछ राहत दी जाये ।

श्री ब० रा० भगत : जी हां । पहले उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

श्री रंगा : कुछ पेंशन भोगियों ने मुझ भी लिखा था और मेरे ख्याल में मैंने इस मामले के बारे में मंत्रालय को लिखा है । उनके अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने इस मामले पर अच्छी तरह विचार किया है अथवा वह इस पर विचार कर रही है और क्या वह उस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने तथा इन लोगों को राहत देने के बारे में कोई संकेत देने के लिये तैयार है क्योंकि मुद्रास्फिती तथा मूल्यों में हुई वृद्धि को

ध्यान में रखते हुए अन्य सभी कर्मचारियों को राहत दे दी गई है और केवल इन लोगों को ही कोई राहत नहीं दी गई है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को प्रश्न का क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने कहा है कि उनसे अभ्यावदन प्राप्त हुए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उनपर कोई कार्रवाई करने की कृपा करेगी।

वित्त मंत्री (श्री त० त० कृष्णमाचारी) : यह मानी हुई बात है कि निर्वाह-व्यय बढ़ गया है और इससे निश्चित आय वाले व्यक्तियों पर सब से बुरा प्रभाव पड़ा है। परन्तु सरकार को उन लोगों की मांगों को पूरा करना है जो इस समय सरकारी नौकरी में हैं। वह कर दिया गया है और सोमवार को घोषणा कर दी गई थी और इसके कारण सरकार को लगभग 27—28 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन खोजने पड़ेंगे। इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्थानीय सरकार के कर्मचारियों, अध्यापकों आदि का प्रश्न उठता है। पेंशन भोगियों ने भी राहत की मांग की है, जो स्वाभाविक ही है। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि संसाधन उपलब्ध होने पर इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा, परन्तु इस समय संसाधन दिखाई नहीं पड़ते।

श्री नाथपाई : स्वयं वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि भाव बढ़ गये हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों के प्रति, जिन्होंने सरकार की इतनी निष्ठा तथा ईमानदारी से सेवा की है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : हमारा कर्तव्य है; परन्तु यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री नाथपाई : यह सभा की कार्यवाही में दिखाया जाना चाहिये कि मुझे इन लोगों से बहुत से पत्र प्राप्त हुए हैं, परन्तु हमें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती।

अध्यक्ष महोदय : जब यह संगत ही नहीं है, तो मैं कैसे अनुमति दे सकता हूँ।

श्री नाथपाई : कुछ मामलों में हमें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस में नहीं। माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न की सूचना दें।

+ विकास दल

*1081 { श्री विश्वनाथ पाण्डे:
श्री यशपाल सिंह:
श्री कपूर सिंह:
डा० रानेन सेन:
श्री स० मो० बनर्जी:

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांवों में तेजी से विकास कार्य करने के लिए एक "विकास दल" बनाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब बनाया जायेगा तथा इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) इस प्रकार की योजना के बारे में जो कुछ सुझाव दिये गये थे, उनका योजना आयोग में अध्ययन किया जा रहा है। अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं।

Shri Vihwa Nath Pandey : May I know whether the Ministry of Community Development and co-operation was also consulted in connection with the Scheme that has been considered by the Planning Commission ?

Shri B. R. Bhagat : They were also consulted.

Shri Vishwa Nath Pandey : When development work is already being carried out through the gram sevaks in the villages, what is the necessity of constituting a 'Vikas Dal' ?

Shri B. R. Bhagat : An advice has been tendered that educated youngmen should be prepared to work in villages after giving them some training, so that they may carry on development work there. It is being considered. As I have already stated the Ministry of Community Development is also being consulted. In addition, the Education Ministry is also being consulted. If, after full consideration, this scheme is found feasible and reasonable, it would be implemented.

Shri Yashpal Singh : The village community in India does not need any 'dal' or research. Development is not taking place there due to paucity of resources. Resources are not made available to them, which is their real requirement. May I know when the villages would be made self-sufficient so as to carry on development work themselves ?

Shri B. R. Bhagat : It is only his opinion that development work in the villages can be undertaken without the help of men.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का पता है कि सरकार द्वारा गठित की गई अथवा आरम्भ की गई सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार की शरण लेने तथा स्थानीय रुचि को समाप्त करने की अन्तर्निहित प्रवृत्ति होती है और यदि हां, तो क्या इस टिप्पणी को दृष्टि में रखते ए सरकार का चार ऐसी सभी संस्थाओं के प्रश्न की जांच करने का है ?

श्री ब० रा० भगत : इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि जब यह विकास दल बनाने का विचार पहले पहल सूझा, सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया था कि ये विकास दल गांवों के कांग्रेस संगठनों पर आधारित होने चाहिये ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सुझाव पर विचार किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग जिस योजना पर विचार कर रहा है वह उस पर आधारित नहीं है।

डा० सरोजिनी महिषी : जब गांवों में पहले ही पंचायतें, ग्राम स्वयं सेवक दल तथा ऐसी अन्य संस्थायें मौजूद हैं, तब विकास दल बनाने की योजना पर विचार करने की जरूरत क्यों महसूस की गई ?

श्री ब० रा० भगत : : बे इस योजना का पूरक हो सकती हैं ?

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether any remuneration would be paid to the members of this 'Vikas Dal' or they would render development work without any remuneration ?

Shri B. R. Bhagat : This scheme is still under consideration. When it is finally approved, then it will be seen.

श्री रंगा : माननीय मंत्री के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसके पक्ष में पहले ही फैसला कर लिया है, और इसीलिए वे सभी उत्तर इसके समर्थन में दे रहे हैं हालांकि उन्होंने इस रखने अथवा न रखने का फैसला नहीं किया है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य का ऐसा किस प्रकार प्रतीत हुआ।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि सरकार कोई न कोई निर्णय करने जा रही है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा था कि वह विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : योजना क्या होगी, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है ?

Shri Yudhvir Singh : May I know whether the man who has mooted this idea has produced any arguments, in support of the propriety of having this 'Vikas Dal' in spite of all this personnel of the development block, on the basis of which Government is going to consider this suggestion ?

Shri B. R. Bhagat : This suggestion has come to us from the Deputy Chairman of the Planning Commission. It says that youngmen should be prepared to work in villages after giving them training and forming them into an organisation, so that they may take up development work there. The suggestion is still under consideration and a definite decision has not been taken as yet.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : If the scheme which is now under consideration is approved and implemented, how many people will be absorbed as a result thereof ?

Mr. Speaker : Let a decision be taken first.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Government must be having some target before them.

Mr. Speaker : It is too early as yet.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : 1962 में आपाताकाल के शुरू होने के पश्चात योजना आयोग की स्वीकृति से सामुदायिक विकास मंत्रालय ने समूचे देश में पंचायतों में स्वयंसेवक योजनाएं आरम्भ की थीं। मेरी राय में उसे अब समाप्त कर दिया गया है। क्या उसे पुनः चालू करने का कोई विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक भिन्न विचार है। सामुदायिक विकास मंत्रालय भी इस पर विचार कर रहा है। इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा।

Foreign Exchange

+

*1082 { **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have framed any rules for release of foreign exchange to Indians going aboard ;

(b) whether Indians are encouraged to go abroad for minor surgical operations by granting them foreign exchange ;

(c) whether any discrimination is made between the ordinary citizens and V.I.Ps. while granting them foreign exchange for minor surgical operations in foreign countries ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir,

(b) Foreign exchange for medical treatment is allowed on the production of a medical certificate from the Administrative Medical Officer of the State concerned to the effect that either no arrangements exist for such treatment in India or that there has been no improvement in the condition of the patient in spite of the best treatment available in India and in the interest of the patient's health it is necessary to take him abroad for treatment.

(c) No, Sir.

(d) The question does not arise.

Shri Madhu Limaye : Recently the President went to Britain for an eye operation. I want to know.....

श्री रघुनाथ सिंह : क्या राष्ट्रपति के बारे में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। (अन्त-बोधार्थ)

Shri Madhu Limaye : They shout time and again, what, does this mean ? Kindly ask them to keep silence.

Mr. Speaker : I am asking them to keep silence. But the hon. Member should not ask any question about the President.

Shri Madhu Limaye : Let me complete my question first. If you do not allow it afterwards, then it is a different thing.

Mr. Speaker : I am requesting him not to ask any question about the President.

Shri Madhu Limaye : How can you ask me not to do this. Kindly explain it to me. Under which Article of the Constitution or under what rule you are saying this ?

Mr. Speaker : We cannot refer to anything which amounts to criticism of the President here.

Shri Madhu Limaye : I am not criticising the President. I only want to solicit information. Do not allow me if I indulge in criticism of the President.

Mr. Speaker : You will surely bring his name in between your speech.

Shri Madhu Limaye : You can check me then.

Mr. Speaker : All right, what is your question ?

Shri Madhu Limaye : The President recently went to Britain for an eye operation. I want to know the amount of foreign exchange allowed to him for this journey.

Shri Bhagwat Jha Azad : This question cannot be asked.

Mr. Speaker : There is nothing objectionable in it. The information may be given.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। राष्ट्रपति भवन तथा राष्ट्रपति के स्टाफ पर जो व्यय होता है वह भारत की संचित निधि पर भार (चार्ज) समझा जाता है। ऐसी अवस्था में, उस पर इस सभा का मत नहीं लिया जा सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : इसमें मतदान की कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सुन लिया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : इस प्रकार के व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बारे में कोई भी प्रश्न इस सदन की शक्ति से बाहर की बात है।

Shri Madhu Limaye : They know nothing.

श्रीमति सुभद्रा जोशी : क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूँ? मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि यदि प्रश्न में किसी के विरुद्ध कोई आलोचना अथवा आक्षेप न हो और केवल सूचनार्थ हो, तो, उसे पूछने की इजाजत मिल जानी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने इजाजत दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह बिलकुल भिन्न है। हम उनके सचिवालय की मांगों पर अथवा उनके अपने खर्चों के बारे में मतदान नहीं कर रहे हैं। केवल यह सूचना पूछी गई है कि कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णाचारी : राष्ट्रपति के लन्दन में ठहरने का खर्चा भारतीय उच्च आयोग ने उठाया था और हमें उस खर्चों के व्योरे के बारे में कुछ नहीं पता। राष्ट्रपति के मामले में विदेशी मुद्रा की मंजूरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता; भारतीय उच्च आयोग को ही खर्चा उठाने के लिये कहा जाता है। हमें अभी व्योरा प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कपूर सिंह : क्या माननीय मंत्री सूचना एकत्रित करके सभा को बताने का यत्न करेंगे।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister stated in his speech that they first of all, try to find out whether such surgical operations can be carried out in India or not and they give the permission if they find out that such surgical operation can be carried out in India but not very effectively. I want to know whether such information was gathered about the operation carried out on the President in Britain ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह बिलकुल स्पष्ट है । बजाय यह कहने के कि हमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिये, मैं प्रश्न का उत्तर देना ही ठीक समझता हूँ । राष्ट्रपति की एक आंख का जो आप्रेशन किया गया था वह सफल नहीं रहा, इसलिये दूसरी आंज का आरपरेशन करने में बहुत खतरा था क्योंकि बीमारी दूसरी आंख की तरफ भी फैल सकती थी । अतः यह निश्चय किया गया था कि यह आप्रेशन इस प्रकार किया जाय कि किसी प्रकार के खतरे की सम्भावना न रहे । इसीलिये राष्ट्रपति को लन्दन जाकर आप्रेशन करवाने की सलाह दी गई थी । मुझे पूरा विश्वास है कि सभा सन्तुष्ट होगी कि राष्ट्रपति अब ठीक हो गये हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is the London Clinic, which is the most expensive clinic in the world, better than the hospitals here in grafting a new eye and whether the Government have received any scheme from the Indian doctors that if they are given necessary help, then within a period of 10 to 12 years, they would be able to place India on the top as far as the treatment of eyes is concerned ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to know whether the London clinic is the costliest one or not.

Mr. Speaker : Your question has been replied to Now let we proceed further.

Shri Kishen Pattanayak : Is it a fact that many doctors have objected to this clarification that such operations cannot be carried out in India and it is an insult to the Indian Doctors to say that they cannot do such operations.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : भारत के किसी भी सुप्रसिद्ध डाक्टर का अपमान करने का हमारा अशय नहीं था । जिन परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति को यह यात्रा करनी पड़ी उनका मैंने उल्लेख कर दिया है और मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुछ डाक्टरों ने मंत्री महोदय को लिखा है कि वे यह आप्रेशन कर सकते थे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने पहले कहा कि दूसरी आंख के आप्रेशन से कुछ गड़बड़ी हो गई थी अतः इसे हम दोबारा होने से बचाना चाहते थे ।

Shri Kishan Pattanayak : The reply is not to the point. The question was whether some complaint has been received. The hon. Minister has not replied to it.

Shri Ram Sevak Yadav : The question was quite clear and you also made it further clear. But the hon. Minister, instead of replying to the question is beating about the bush.

Mr. Speaker : He has told that they did'nt want to take the risk again.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : He wants to know whether some complaint has been received or not.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : I want to know the amount of foreign exchange sanctioned for such treatments so far and the number of people to whom it was given.

Mr. Speaker : Is there any such information as to how many people were given the foreign exchange.

Shri B. R. Bhagat : For giving the detail, I would like to have notice.

डा० सरोजिनी महीषी : मैं प्रश्न के भाग (क) के बारे में ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि हज यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा देने के लिये साधारण नागरिक और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति में क्या कोई विभेद किया जाता है? उदाहरण के तौर पर शेख अब्दुल्ला को जो विदेशी मुद्रा दी गई थी

अध्यक्ष महोदय : वह आंख के अप्रेशन के लिये नहीं गये थे। अगला प्रश्न।

श्री कपूर सिंह : इससे पहले कि अगला प्रश्न पूछा जाय, क्या इसे लेखबद्ध किया जा सकता है कि राष्ट्रपति की आंख के अप्रेशन की व्यवस्था के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गये थे, उनमें इस व्यवस्था के विरुद्ध आक्षेप करने का आशय नहीं था ?

विदेशों को भारतीय ऋण

+

- *1085 {
- श्री रघनाथ सिंह :
 - श्री प्र० च० बरुआ :
 - श्री मधु लिमये :
 - श्री रामेश्वर टांटिया :
 - श्री तुला राम :
 - श्री विश्वनाथ पाण्डे :
 - श्री मुरली मनोहर :
 - श्री राम हरख यादव :
 - श्री कोया :
 - श्री बृजबासी लाल :
 - श्री कनकसबै :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल, लंका तथा सूडान को औद्योगिक एकक स्थापित करने में सहायता देने के लिए कुछ ऋण देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश को कितना ऋण दिया जायेगा ; और

(ग) जिन परियोजनाओं के लिए ऋण दिया जायेगा उनका व्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) नेपाल को 1 करोड़ रुपया और सूडान व श्रीलंका को 5-5 करोड़ रुपया।

(ग) राजकीय नेपाल सरकार को 1 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए, 29 सितम्बर 1964 को उसके साथ एक औपचारिक ऋण करार किया गया था। ऋण-व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के लिए श्रीलंका और सूडान की सरकारों के साथ जल्दी ही बातचीत शुरू की जायेगी।

Shri Raghunath Singh : I want to know whether the credit has been given for some plan, and whether the amount will be given in kind or cash ?

Shri B. R. Bhagat : No money has been paid so far. But in future it will be paid in terms of Capital equipments.

Shri Raghunath Singh : This credit will be given for some plan or for some particular work.

Shri B. R. Bhagat : This credit will be given for setting up industries for promoting industries.

श्री प्र० च० बरुआ : क्या यह सच है कि संकेन्द्रित योजना के अन्तर्गत भारतीय सहयोगियों को उन देशों के औद्योगिक एकाइयों की पूंजीगत संरचना में भाग लेने तथा पूंजी पदार्थों और तकनीकी ज्ञान देने की इजाजत दी जायेगी।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने कहा नेपाल की सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। परन्तु कोई औपचारिक प्रस्ताव अथवा योजना नहीं आई है। जब कोई योजना आयेगी तो इस बात को ध्यान में रखा जायेगा। यदि नेपाल के राष्ट्रजन इसके अतिरिक्त किसी प्रकार साम्यागत आधार पर भाग लेना चाहें तो यह प्रस्ताव के रूप पर निर्भर करेगा।

Shri Vishwa Nath Pandey : This credit for the establishment of industries which is being given to Nepal, Sudan and Ceylon is being given at the request of the concerned Governments or the Indian Government is giving at its own initiative. The other thing I want to know is that whether some aid was given to these countries ever before for industrialization.

Shri B. R. Bhagat : This depends on the mutual relationship and in the field of international economic co-operation countries do help each other. India is receiving aid from other countries and giving aid to some countries. If we are in a position to help our neighbouring countries then it is always our wish to help them. This is how such schemes are formulated.

Shri Ram Harkh Yadav : I want to know whether the credit covers the Kosi and Gandak projects.

Shri B. R. Bhagat : This does not include Kosi and Gandak projects. It is for the establishment of industries there.

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to know whether one of the conditions is that the credit will be used for a particular scheme and Indian technical personnel will also go there, or they can use this credit as they want or they will have to purchase the material from India.

Shri B. R. Bhagat : This credit is being given for purchasing material from India, especially capital equipments.

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister just now said that the neighbouring backward countries of India.....

Shri B. R. Bhagat : I never said backward.

Shri Sarjoo Pandey : When our own country is so backward, then why we are more worried about the progress of our neighbouring countries than our own progress.

Shri Rameshwaranand : I want to know the amount of loan that has already been taken by Nepal and other neighbouring countries and the amount of loan that India has taken from the foreign countries.

Shri B. R. Bhagat : I want some notice to give this information.

श्री पें० वेंकटसुब्बया : सद्भावना दिखाने के लिये पड़ोसी देशों को जो सरकार ने सहायता दी, यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। क्या इस प्रकार की सहायता उन अन्य अफ्रीकी देशों को भी दी जायेगी, जो हमारी मशीनें खरीदने के लिये हमसे समझौता कर लेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : पाकिस्तान सहित ।

श्री ब० रा० भगत : इसके अतिरिक्त, यूगाण्डा, केन्या, घाना और नाईजीरिया से भी हमारा समझौता है ।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh : I want to know whether some amount has been allocated in the Third Five Year Plan for the development of foreign countries ; if not then from what source this money is drawn.

Shri B. R. Bhagat : I do not know the amount that has been allocated in the Third Five Year Plan for the purpose.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the conditions of the credit which has been given to the foreign countries, and whether we are getting some interest on that credit and the rate of interest.

Shri B. R. Bhagat : The credit given to Nepal is for a period of 15 years at 3 per cent interest. Since no agreement has been signed with other countries, it is difficult to say anything.

Shri Yashpal Singh : Last year the hon. Finance Minister said in this August House that Pakistan owes as 900 million rupees. I want to know how much amount has been paid so far.

Mr. Speaker : This is a separate question.

Shri Yashpal Singh : In the heading Foreign loan it has been mentioned.

Mr. Speaker : This loan was not given to them. What can be done if somebody doesn't pay the amount.

श्री हेडा : जब कोई भारतीय उद्योगपति इन देशों में उद्योग स्थापित करने के लिये मशीनें निर्यात करता है तो क्या तरीका अपनाया जाता है ? इन मशीनों का मूल्य इस ऋण में से चुकाया जाता है अथवा जब वह देश ऋण वापिस करता है तब चुकाया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सरकार का सरकार को ऋण है । अतः यह सब प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री नाथ पाई : जिन देशों को सहायता दी जाती है, यद्यपि उन को सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसी सहायता को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, और इसे प्रभाव का विस्तार समझते हैं, जिस कार बर्मा और इन्डोनेशिया ने अमरीकी सहायता को स्वीकार नहीं किया था । क्या सहायता देते

समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि सहायता-प्राप्त करने वाले देश इसे भारतीय प्रभाव का विस्तार अथवा कुछ भारतीय पूंजीपतियों की सहायता के लिये न समझें ? क्या वित्त मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है ।

झुग्गियां गिराना

*1086. श्री सौर्य : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1965 से अब तक दिल्ली में सराय रोहिला, भूली भटियारी और बज़ीरपुरा में दो हजार झुग्गियां व झौंपड़ियां गिराई गई ;

(ख) क्या यह सच है कि गिराने वाले स्क्वाड ने कुछ झुग्गियों और झौंपड़ियों में आग लगा दी थी तथा प्रतिरोध करने पर महिलाओं व बच्चों पर लाठी-प्रहार किया गया ;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने रिपब्लिकन नेताओं को आश्वासन दिया था कि 31 दिसम्बर, 1962 तक झौंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को पहले अन्य उपयुक्त स्थान दिया जायेगा और फिर उनकी झौंपड़ियां गिराई जायेंगी ; और

(घ) क्या यह सच है कि भाग (क) में उल्लिखित झुग्गियां और झौंपड़ियां दिसम्बर, 1962 से पहले विद्यमान थीं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं । गिराई गयी झौंपड़ियों की संख्या लगभग 680 थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । झुग्गी और झौंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक वास के आवंटन के लिए केवल वे अनधिवासी पात्र हैं जिन्होंने 31 जुलाई 1960 से पहले सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर गैर कानूनी तौर पर बैठना शुरू कर दिया था । फिर भी, क्योंकि अधिकांश बस्तियों में पात्र और अपात्र अनधिवासी मिल जुल गये हैं अतएव सरकार अपात्र अनधिवासियों को भी 25 वर्ग गज की कैम्पिंग साइट दे रही है । ये अनधिवासी 80 वर्ग गज के प्लोटों अथवा बने हुए टैनमेन्टों के अधिकारी नहीं हैं ।

(घ) सराय रोहिला और भूली भटियारी में झुग्गी-झौंपड़ियां अभी हाल ही में बनाई गयी थीं । जो बज़ीरपुर में हैं वे दिसम्बर 1962 से पहले मौजूद थीं लेकिन उन में रहने वालों में से किसी के पास भी जुलाई 1960 से पूर्व इस स्थान के अधिपत्य को प्रमाणित करने के लिये मर्दु मशुमारी की पर्ची नहीं थी ।

Shri Maurya : The Prime Minister had promised that sufficient notice would be given to the dwellers before jhuggis and Jhoparies are demolished and they would be settled permanently on plots of 80 sq. yards each direct without keeping them in transit camps. Will the hon. Minister make these arrangements accordingly ?

Shri Mehr Chand Khanna : As far as promise made by the Prime Minister is concerned, this information is wrong. As regards demolition of Jhuggis, I may point out that Jhuggis and Jhoparies Removal Scheme is being implemented very sympathetically.....

Shri Maurya : Do not make a wrong statement.

Shri Mehr Chand Khanna : Being a resident of Delhi, I know better than the hon. member who is a resident of Aligarh.

We are running this scheme very sympathetically. There are about 60,000 families. I am acquiring land for them from the Zamindars and plots of 25 and 80 sq. yards each are being given to them. Even then you are angry with us.

Shri Maurya : These are about 10,000 houses in Ram Nagar, Multani Dhanda, Gali Nabi Karim and Paharganj and they are there for the last 14-15 years. May I know whether such notices have been served on the dwellers that they should pay the damages for this. They are being looted by Police. 30 to 50 thousand notices have been served on them.

Shri Mehr Chand Khanna : It is very difficult to give reply unless a question is asked about a specific colony. My difficulty is this that hut dwellers are compelling me that they should be removed soon so that they could get land at nearby places. Whatever the hon. Member has said, it is not my experience.

Shri Maurya : My point has not been answered. I have a copy of the notice which has been served on 10,000 people of Paharganj area to pay damages to the tune of Rs. 30,000 to Rs. 50,000. They are being displaced. They are being looted by policemen.

Mr. Speaker : He says it is not correct.

Shri Maurya : Will this be checked ?

Mr. Speaker : You please take your seat.

श्री शिवचरण गुप्त : झुग्गी और झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों के लिये अब तक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की गई है और उन में से कितनों को 80 वर्ग गज के और कितनों को 25 वर्ग गज के प्लाटों पर बसाया गया है ? और ऐसे कितने परिवार हैं जो 25 वर्ग गज के प्लाटों के लिये पात्र नहीं हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे इतना याद है कि 25 वर्ग गज के लगभग 15,000 प्लाटों का विकास किया गया है। इसी प्रकार हम ने 80 वर्ग गज के 4,000 प्लाटों का विकास किया है। हम 3,000 से 4,000 मकानों का निर्माण भी कर रहे हैं।

मेरी कठिनाई यह है कि जब हम किसी खंड में से झुग्गियों को हटाते हैं तो उन में रहने वाले पात्र तथा अपात्र दोनों तरह के लोग होते हैं और जब तक हम उन सब को उठा नहीं देते तब तक समस्या पहले की तरह बनी रहती है। अतः हम उनके लिये भी आवास की व्यवस्था कर रहे हैं जो अपात्र हैं, परन्तु हम नहीं चाहते कि उन को पात्रों के बराबर समझा जाये क्योंकि इस तरह तो सारी दिल्ली अनधिकार वासियों का स्वर्ग बन जायेगी।

80 वर्ग गज के प्लाटों पर 3,000 से 4,000 परिवार तथा 25 वर्ग गज पर लगभग 15,000 परिवार बसाये गये हैं।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने स्वयं 80 वर्ग गज के प्लाट देने के पक्ष में निर्णय किया था, अब वे उन्हें आरम्भ में 25 वर्ग गज के प्लाट दे कर उन्हें पुनः झुग्गी बनाने के लिये उत्साहित करने और तत्पश्चात् उन्हें पुनः एक अन्य स्थान पर भेजना क्यों चाहते हैं ? इससे

उन्हें काफ़ी कठिनाई हो रही है। पहले तो उन की झुगियों को हटाया जा रहा है, उन को पुनः 25 वर्ग गज के प्लाटों पर झुगियां बनाई जायेंगी और तीसरी बार उन्हें पुनः विस्थापित किया जायेगा। इससे बचने के लिये क्या कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ बल है। मेरी समस्या आज यह है कि मुझे 20,000 एकड़ भूमि चाहिये। इसी भूमि का अधिग्रहण करना होता है और फिर उसका विकास करना होता है। इस बीच में यह समस्या बढ़ती जा रही है। अतः जो कुछ आज हम कर रहे हैं वह यह है कि दिल्ली में एक झुग्गी औसतन 10 से 12 वर्ग गज पर बनी हुई है। हम उन्हें 25 वर्ग गज दे रहे हैं। उन क्षेत्रों में हम यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि अन्ततोगत्वा तीन प्लाटों को मिला कर 80 वर्ग गज का एक प्लाट बनाया जाये। यदि मैं आज 80 वर्ग गज के प्लाटों का विकास करने के लिये प्रतीक्षा करने लगूंगा तो इस पर बहुत समय लगेगा और समस्या इतनी बढ़ जायेगी कि यह काबू से बिल्कुल बाहर हो जायेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : The hon. Minister just said that Government are arranging to displace those people who were there since 1960. I want to know whether Government will give loan for construction of houses to those people whose names are there in the Electoral list of 1962 or they will be settled in 8 or 9 storeyed houses ?

Shri Mehr Chand Khanna : As far as their displacement is concerned, I would like to submit that it has become a habit now-a-days that even if a good thing is done, it is said to be bad. The second thing that I said is this that we are going to settle them and they are with us as far as this matter is concerned. My third difficulty is this that the hon. Members want to see that those areas from where they have come, are vacated and the people of these areas settled in Delhi.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : My question was whether Government are considering to give loans to those people or whether government want to settle them in 8 or 9 storeyed houses ?

Shri Mehr Chand Khanna : We will not give any loan. There will be expenditure of Rs. 3,000 to Rs. 4,000 on the plots which are being given.

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार गिराने वाले स्क्वाड द्वारा झुगियों को गिराया जाता है इस के वृत्तान्तों को पढ़ने से एक दुखद तस्वीर का आभास होता है ; गिराने वाला स्क्वाड झुगियों और झौंपड़ियों पर इतने अनावश्यक उत्साह तथा शक्ति से टूट पड़ता है मानों वह दिल्ली में किसी शत्रु राज्य क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा हो। क्या मैं जान सकता हूं कि इस खेदजनक कार्य को करने से पूर्व, जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, यह देखने के लिये कदम उठाये जायेंगे कि उन को वैकल्पिक स्थान दिया जाये और गिराने वाले स्क्वाड द्वारा कम से कम, जितना कि आवश्यक हो, बल प्रयोग किया जाये।

श्री मेहरचन्द खन्ना : हम कोई बल प्रयोग नहीं करते हैं। (अन्तर्बाधाएं)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमन्, वह क्या कह रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसे मुझे पूरा कर लेने दीजिये। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वाक्य पूरा कर लेने दीजिये। हो सकता है वह इस में अदला बदली करें अथवा उसमें कुछ और जोड़ें ; अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है . (अन्तर्बाधार्ण)

Shri Hukam Chand Kachhavaia : The people have been killed. Besides this, day before yesterday a pregnant woman gave birth to a child 10 minutes after she was put into the truck after demolishing the Jhuggie...

Mr. Speaker : Order, Order. Please take your seat and listen.

Shri Maurya : The Jhuggie dwellers have been treated very badly and..

Shri Mehr Chand Khanna : I would come to Aligarh.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह बहुत उत्तेजक मंत्री हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं बहुत उत्तेजक मंत्री हूँ। मैं यहां कई वर्षों से हूँ। मैं यह सब जानता हूँ। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिये। मैं जो कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ वह यह है। (अन्तर्बाधार्ण)

श्रीनाथ पाई : मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : हम कोई बल प्रयोग नहीं करते। हम ट्रकों की व्यवस्था करते हैं और उन्हें ट्रकों में ले जाते हैं। जहां तक इस मामले के बारे में किसी कठिनाई का सम्बन्ध है, यदि कोई ऐसा मामला जिसमें किसी झुग्गी वाले के साथ बुरा व्यवहार किया गया हो, मेरे ध्यान में लाया जाये तो मैं उस मामले पर विचार करने के लिये तैयार हूँ।

श्री मौर्य : ऐसे हजारों मामले हैं। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा।

There are thousands of such cases. You come along with me, I can show you such cases.

Shri Mehr Chand Khanna : Not now, but I would go along with him to see all this. After all, I have been elected from Delhi; I would like to see this myself.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दामोदर घाटी निगम के बांध

*1079. श्री मुहम्मद इलियास : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री बूरदुईन द्वारा दामोदर नदी के एकीकृत विकास संबंधी अपने प्रारम्भिक ज्ञापन में किये गये उल्लेखानुसार दामोदर घाटी निगम के तिलैया, कोनार, मैथन तथा पंचेट हिल बांधों से बाढ़ नियन्त्रण, सिंचाई तथा विद्युत के लिये कितनी-कितनी मात्रा

में जल निर्धारित किया गया है और इस समय कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध है और उपरोक्त तीनों प्रयोजनों में से प्रत्येक के लिये कितनी मात्रा में जल नियत किया गया है जिस के आधार पर कि बांध की लागत उनके बीच बांटी गई है ;

(ख) यदि योजनाबद्ध मात्रा तथा वास्तविक मात्रा में कोई अन्तर है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मूल योजना के अनुसार खरीफ तथा रबी की फसल की सिंचाई के लिये सिंचाई की संभावनाएं क्या हैं और बांधों के पूरे होने के बाद वर्तमान स्थिति क्या है और यदि कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मूल योजना में नौवहन तथा औद्योगिक जल परियोजनाओं का भी उल्लेख है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4305/65]

विद्युत् जनन पर केन्द्रीय नियन्त्रण

*1084 { श्री दी० चं० शर्मा :
 { श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि विद्युत् जनन के लिये सीधी जिम्मेदारी केन्द्र की हो ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की उद्योग, बिजली और परिवहन संबंधी उप-समिति की 2 जनवरी और 23 फरवरी, 1965 को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने केन्द्र द्वारा विद्युत् जनन के विचार का साधारण रूप से समर्थन नहीं किया था ।

इस विषय पर और वार्तालाप करने का विचार है ताकि किसी फैसले पर पहुंचा जाए ।

विदेशी बैंकों में भारतीयों के खाते

*1087. श्री हरि विष्णु कामत : क्या वित्त मंत्री विदेश जाने वाले भारतीय व्यापारियों को विदेशी मुद्रा देने के बारे में 8 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीयों के विदेशी बैंकों में खातों के बारे में समय समय पर मिलने वाली जानकारी, 'पर्याप्त जानकारी' के आधार पर इस मामले की कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). 1964 में प्रवर्तन निदेशक (एनफोर्समेंट डायरेक्टर) ने विदेशी बैंकों में खाते रखने के बारे में 14 मामलों का फैसला किया ।

नामरूप तापीय बिजली घर

*1088. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप तापीय बिजली घर हाल ही में चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण और इस की स्थापना पर कितना व्यय हुआ है और उस में कितनी विदेशी मुद्रा सम्मिलित है ; और

(ग) संयंत्र की बिजली बनाने की क्षमता क्या है और इस से किन-किन क्षेत्रों को बिजली दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमित लागत 813.51 लाख रुपये (केवल उत्पादन भाग) है और इसमें विदेशी मुद्रा का भाग 80 लाख डालर (381.6 लाख रुपये) है ।

(ग) ताप केन्द्र की उत्पादन क्षमता, इसके प्रथम चरण के पूर्ण होने पर, 69 मैगावाट होगी और इसमें 23-23 मैगावाट के तीन यूनिट होंगे । इस केन्द्र से नामरूप क्षेत्र में भिन्न-भिन्न उद्योगों को और तिनसुकिया, माकूम, डिब्रूगढ़, दुमूमा, शिवसागर, डिगबोई, जोरहट, मेरियानी और गोलाघाट के समीपवर्ती क्षेत्रों को भी बिजली दी जाएगी ।

आय का केन्द्रीयकरण

*1089 { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दाजी :
श्री वारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ-शास्त्र अनुसन्धान परिषद् द्वारा किये गये आय वितरण के संवक्षण से पता चला है कि अमरीका और ब्रिटेन की अपेक्षा भारत में आय का केन्द्रण अधिक मात्रा में है ;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों में आय की असमता अधिक बढ़ी मात्रा में है ; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्रों की आय से लगभग आधी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). 'जी' हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च) द्वारा की गयी समीक्षा के ये परिणाम परिषद् की "ग्राल इण्डिया रूरल हाउसहोल्ड सर्वे 1962"—ग्रामीण और अखिल भारतीय स्तर पर आय के वितरण का संक्षिप्त विवरण—नामक पुस्तक में दिये गये हैं।

भारतीय शान्ति दल

*1091. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री पें० वेंकटसुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में सेवा के लिए भारतीय शान्ति दल बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित दल के ठीक ठीक कृत्य क्या होंगे और उसके गठन का विवरण क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*1090. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री पाराशर :
श्री तुला राम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बड़े :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें मंजूर करने और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई

भत्ते में तदनुसूची वृद्धि न करने के कारण राज्य सरकारों के कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन राज्य सरकारों को उपयुक्त वित्तीय सहायता देने का है, जो अपने कर्मचारियों को यह वृद्धि मंजूर करने के इच्छुक हैं लेकिन अपने साधन अपर्याप्त होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कुछ राज्य सरकारों द्वारा, समय-समय पर, भारत सरकार को सूचित किया गया है कि इस बात को लेकर उनके कर्मचारियों में असन्तोष है ।

(ख) जी नहीं ।

चीन की छाप वाले सोने का पकड़ा जाना

*1092. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अप्रैल, 1965 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने कलकत्ता में पश्चिम जर्मनी के एक पर्यटक से चीन की छाप वाला 30 तोला सोना पकड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) 13-4-1965 को सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने कलकत्ता में पश्चिम जर्मनी के एक पर्यटक से चीन की छाप जैसा दिखायी देने वाला विदेशी मार्का का 300 ग्राम सोना पकड़ा जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 1608 रु० (लगभग) है ।

(ख) कलकत्ता सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय न्याय-निर्णय कार्यवाहियां आरम्भ कर दी हैं ।

Employment in Rural Areas

*1093. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any evaluation of the programme for increasing employment in rural areas as envisaged in the Third Five Year Plan has been made ; and

(b) if so, the result thereof and its impact on the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) (a) The programme was evaluated in an Inter-State Conference held in New Delhi on April 14, 15 and 16, 1965.

(b) In the last year of the Third Plan the programme would provide employment roughly to about 3,50,000 persons for an average period of 100 days

in the year. The total expenditure on Rural Works in the Plan is expected to be 18 to 19 crores. The Conference proposed that the programme should be undertaken in 1500 to 2000 development blocks during the first three years of the Fourth Plan. The programme for the Fourth Plan is under examination at present.

राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार

*1094. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व विभागों, जैसे आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों में भ्रष्टाचार के संभाव्य तरीकों का कोई गहन अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या राजस्व विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए विभागीय प्रमुखों ने कोई प्रबुद्ध और उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही की है ;

(ग) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने अब तक की गई जांचों के आधार पर कुछ प्रक्रियाएँ बताई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनको प्रभावी रूप से अमल में लाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) आयकर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के साथ परामर्श से विशेष पुलिस संस्थान (स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट) ने इन विभागों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जोरदार कार्यवाही का एक कार्यक्रम तैयार किया है ।

(घ) विशेष पुलिस संस्थान (स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट) द्वारा सुझाये गये उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

*1095. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कार्यकरण के बारे में कुछ संसद् सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या उन्होंने शिकायतों की जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, हां ।

(ख) शिकायतें अधिकतर खास कार्मिक तथा संगठनात्मक मामलों से संबंधित थीं ।

(ग) शिकायतों की जांच की गई थी, किन्तु कोई निदेश आवश्यक नहीं समझे गये ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कांस्टीट्यूशन हाउस होस्टल

*1096 . श्री हरि विष्णु कामत : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन हाउस होस्टल एक वर्ष से अधिक पहले गिराया गया था ;

(ख) क्या सरकार का विचार उस स्थान पर कई मंजिल वाला होस्टल बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(घ) क्या वहां कांस्टीट्यूशन हाउस की स्मृति में एक तख्ती लगाई जायेगी जैसा कि 6 अप्रैल, 1964 को अपने मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद के उत्तर में उन्होंने (मंत्री) आश्वासन दिया था ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मूलतः इस जगह पर बहु-मंजिला होस्टल बनाने का विचार था । दिल्ली में होटल-वास की गंभीर कमी को दृष्टि में रखते हुए जिससे कि हमारे पर्यटक आवागमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह निर्णय किया गया है कि वहां एक होटल बनाया जाये । इस होटल में लगभग 600—800 बिस्तर होंगे । योजनायें लगभग एक वर्ष के अन्दर तैयार हो जानी चाहिए ।

(घ) जी हां ।

विदेशों को दिये गये ऋण

2759. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुछ देशों को विभिन्न रूपों में ऋण दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; अब तक कितना ऋण दिया गया है तथा उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार ने 31 दिसम्बर, 1964 तक कुल कितना ऋण दिया था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अब तक संयुक्त अरब गणराज्य (मिस्र), बर्मा और नेपाल को ऋण दिये गये हैं । आज तक दी गयी रकम और बाकी रकम का व्यौरा इस प्रकार है :—

	ऋण की रकम	बकाया रकम
संयुक्त अरब गणराज्य (मिस्र)	650 लाख रुपये	15 लाख रुपये
बर्मा	1998 लाख रुपये	1167 लाख रुपये
नेपाल	87 लाख रुपये	87 लाख रुपये

विदेशों में डाक्टरों का प्रशिक्षण

2760. श्री धर्मलिंगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

- (क) विदेशों में आगे अध्ययन के लिये डाक्टर किन किन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भेजे जाते हैं ;
- (ख) गत तीन वर्षों में, राज्यवार, कितने डाक्टर बाहर भेजे गये ;
- (ग) प्रत्येक राज्य से उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और
- (घ) चुनाव किस आधार पर किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) स्वास्थ्य मंत्रालय, कोलम्बो योजना, भारत फ्रांस तकनीकी सहयोग, अमरीकी सहायता, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि जैसे विभिन्न तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अधीन अनेक विशिष्टताओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये डाक्टरों को विदेश भेजता है । फोर्ड प्रतिष्ठान, जन संख्या परिषद्, वारसेस्टर प्रतिष्ठान, नफील्ड प्रतिष्ठान और राकफेलर प्रतिष्ठान आदि जैसे विदेशी / अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से शिक्षावृत्ति के कुछ अन्य तदर्थ प्रस्तावों पर भी डाक्टर समय समय पर प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किये जाते हैं ।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।
[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4306/65]

(घ) विदेशों में प्रशिक्षण के लिए डाक्टरों का चयन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त केन्द्रीय चयन समिति करती है । कुछ कार्यक्रमों के सम्बन्ध में इस समिति द्वारा किये गये चयन पर वित्त मंत्रालय की तकनीकी सहायता चयन समिति की स्वीकृति लेनी पड़ती है ।

सुनार

2761. श्री वै० तेवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण उन विस्थापित सुनारों को जो लागत वहन करने के लिये तैयार हैं पोरामबोक भूमि के आवंटन में कोई प्राथमिकता दी जाती है ;
- (ख) क्या यह सच है कि किसी संसद् सदस्य / विधान सभा सदस्य / पंचायत बोर्ड के प्रमुख द्वारा दिये गये उन प्रमाण-पत्रों की, जिनमें यह कहा गया हो कि अमुक-अमुक व्यक्ति स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण पीड़ित हैं, विरोधी रिपोर्ट देने वाले ग्राम अधिकारियों की सलाह पर उपेक्षा की जाती है ;
- (ग) यदि हां, तो गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और
- (घ) क्या प्रमाण-पत्र / पूछताछ केवल पंचायत संघ की माफत भेजना संभव है ताकि परस्पर विरोधी तथा गलत जानकारी न दी जा सके ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) मद्रास सरकार ने निर्देशित किया है कि कृषि के लिए भूमि देने में विस्थापित सुनारों को भूतपूर्व सैनिकों के नीचे और दूसरे भूमिहीन व्यक्तियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाय । उसने यह भी निर्देश दिया है कि जो विस्थापित सुनार गरीब हैं और जिनके पास मकान या मकान बनाने के लिए स्थान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए मुफ्त भूमि दी जाय और ऐसा करते समय उनको दूसरे आवास रहित व्यक्तियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाय । दूसरी राज्य सरकारों को भी ऐसी ही कार्यवाही करने की संभावना पर विचार करने के लिए निवेदन किया गया है ।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) चूंकि प्रमाणन और पुनर्वास सम्बन्धी कार्य विभिन्न राज्य सरकारों में प्रत्येक राज्य में परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों को सौंप दिया गया है इसलिए कार्य को समानरूप से संचायत संघ को सौंपने के लिए कोई संशोधन करना संभव नहीं समझा जाता है ।

अस्पताल तथा औषधालय

2762. डा० कोहोर : क्या स्वास्थ्य मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी मिशनों द्वारा स्थापित किये गये अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). इस आश्वासन की पूर्ति में दिये जाने वाले विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है ।
[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—4307/65]

इरीनव रेगुलेटर

2763. श्री अ० क० गोपालन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्नानूर जिले, केरल में इरीनव रेगुलेटर के कायकरण के बारे में जनता से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या यह कहीं से टूटा हुआ है और इन छेदों से बांध में जमा शुद्ध जल में नमक का पानी मिल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस दोष को दूर करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार को किसानों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि उन्हें बांध से समय पर पानी नहीं मिल रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ड). केरल सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिचूर जिले में कृषि फसल

2764. श्री अ० क० गोपालन: : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पानी की कमी के कारण त्रिचूर जिले (केरल) के मुल्लूर कयाल क्षेत्र में कृषि फसलों के नष्ट होने का खतरा बना हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में फसलों को बचाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). वहां 'पीचि' जल की अनाधिकृत पम्पिंग की गई थी, जिसके कारण मुल्लूर कयाल क्षेत्र में पानी की कमी हो गई। केरल सरकार ने इसका पता लगा कर इसे बन्द कर दिया था।

केरल में अस्पताल

2765. श्री अ० क० गोपालन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसे अस्पतालों की संख्या क्या है जो जिला मुख्यालयों में हैं ;

(ख) उनमें से कितनों में महिलाओं के लिये अलग सुविधाओं की व्यवस्था है ;

(ग) प्रत्येक अस्पताल में प्रति मास अस्पताल में रहने वाले रोगियों की औसत संख्या क्या है ;

(घ) क्या बिस्तरों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है ;

(ङ) क्या इन अस्पतालों में एकसरे फिल्मों की कमी है ;

(च) क्या कर्मचारियों की भी कमी है ; और

(छ) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (छ). केरल सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी :

कर बसूली

2766. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर निर्धारण आदेशों में गलतियों को दूर करने सम्बन्धी आवेदन-पत्र जिनके परिणामस्वरूप मांग तथा धनवापसी के भुगतान में कमी होगी कई वर्षों तक अनावश्यक रूप से बिना कार्यवाही किये पड़े रहते हैं क्योंकि कानून के अन्तर्गत ऐसे आदेशों को पास करने की समय-सीमा चार वर्ष है ; और

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन-पत्रों को शीघ्र निबटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

South Block, New Delhi

2767. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a replica of the insignia of the British Royal Arms is still there on the wall in South Block, where the office of the Prime Minister is situated, while a similar replica was removed from the North Block some time ago ; and

(b) if so, when this replica is likely to be removed ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) Yes.

(b) By the end of July, 1965.

कलाकारों पर आयकर

2768. { श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान प्रमुख पेंटर्स, शिल्पियों तथा लेखाचित्रण कलाकारों द्वारा हैदराबाद में 13 जनवरी, 1965 को हुई एक बैठक में आय-कर तथा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के असहानुभूतिपूर्ण रवैये के विरुद्ध प्रकट किये गये विरोध की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे तंग करने के विशिष्ट मामले बताने के लिये कहा गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आय-कर तथा सीमा-शुल्क विभागों के ध्यान में इस प्रकार का कोई विरोध नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालय

2769. श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री 17 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नई दिल्ली के सरोजिनी नगर क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : सरोजिनी नगर में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने के लिये अभी उपयुक्त स्थान मिलना सम्भव नहीं हुआ है। सम्बन्धित मंत्रालय से परामर्श करके इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

Bleeding During Operations

2770. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of Health be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in November-December, 1964 issue of the British Medical Journal stating that during the course of operation, the British doctors make use of gold leaves which help stop bleeding ; and

(b) if so, whether Government propose to adopt the same method in India ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) Its application in operative procedure in the human subject has yet to be scientifically evaluated.

स्कूलों के लिये वैज्ञानिक उपकरण

2771. { श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
प्र श्री प्र० कु० घोष :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा रखे गये प्रस्ताव के अनुसार किन किन राज्यों में स्कूलों की वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या इन उपकरणों की किस्म निर्धारित करने के लिये किसी एजेन्सी को चुना गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) योजना कार्य समिति, योजना आयोग ने माध्यमिक स्कूलों में वैज्ञानिक शिक्षा सम्बन्धी पैनल की स्थापना की थी। पैनल ने स्कूलों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया है और सिफारिश की है कि राज्य सरकारें चौथी योजना के दौरान स्कूलों के लिए वैज्ञानिक सामान की आवश्यकता का सर्वेक्षण करें। पैनल की इस सिफारिश के अनुसार, योजना आयोग ने एक विचारक दल की स्थापना की है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सम्बन्धित सगठनों के प्रतिनिधि हैं। यह विचारक दल आगामी दस वर्षों के लिए, विशेषकर चौथी योजना के लिए, शैक्षिक संस्थानों के वैज्ञानिक सामान की आवश्यकताओं के प्रश्न पर विचार करेगा। स्कूलों के लिए वैज्ञानिक सामान की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद का वैज्ञानिक शिक्षा विभाग, स्कूल स्तर पर वैज्ञानिक उपकरणों तथा सामान के लिए अर्ध-स्वायत्त एजेन्सी स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

कालाधन कमाने की मार्ग-दर्शक पुस्तक

2772. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में आय-कर विभाग को कालाधन कमाने में 'सफलता का मार्ग' (गाइड टू सक्सेस) नामक पुस्तक मिली है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह सारे भारत में बिकने वाली एक प्रामाणिक पुस्तक है ;

(ख) पुस्तक में क्या विशिष्ट हिदायतें दी गई हैं ; और

(ग) इस पुस्तक में दिये गये व्यवहार नियमों पर चलने वाले व्यापारी-वर्ग के सदस्यों के समाज-विरोधी कार्यों के प्रतिकार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री त्रि० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सिंचाई सुविधाएं

2773. श्री विभूति मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सिंचाई सुविधाओं के तुरन्त प्रयोग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये क्षेत्र मार्ग बनाने में पेश आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयां कब तक दूर हो जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मद्रास, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने पहले से ही लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय नालियों की खुदाई और रख-रखाव के लिये तथा यदि किसी मामले में ऐसा नहीं होता तो पंचायतों अथवा सरकार द्वारा कार्य के कार्यान्वयन का विधान बना लिया हुआ है । इस विषय पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं । इन उपायों द्वारा प्रगति पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है ।

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कई वृहत् और मध्यम परियोजनाएं हाथ में ली जा रही हैं अतः सिंचाई सम्भाव्यता के द्रुत उपयोग के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार करने के लिये लगातार प्रयत्न किया जा रहा है ।

चोरी-छिपे लाए गये सोने का पकड़ा जाना

2774. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती जोहराबेन चावडा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक सरकार ने देश में राज्यवार किन स्थानों पर व कितने तस्कर व्यापारियों से चोरी-छिपे लाया गया कितना सोना पकड़ा ; और

(ख) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सीमाकर, स्थल सीमाकर तथा केन्द्रीय उत्पादन कर अधिकारियों द्वारा 31 अक्टूबर, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक की अवधि में राज्यवार चोरी-छिपे लाये गये सोने की मात्रा और मूल्य तथा उन स्थानों के नाम जहां पर सोना पकड़ा गया और इनमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4308/65] इसमें से लगभग 6,38,800 रुपये का लगभग 119.2 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। पकड़े गये 388 व्यक्तियों में से 1 अप्रैल, 1965 तक 31 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाये गये, जिनमें से अब तक न्यायालयों द्वारा 7 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 3 को छोड़ दिया गया। 1-4-1965 तक उन व्यक्तियों पर, जिनके मामलों का वैभागीक स्तर पर न्याय-निर्णय किया गया, 1,36,950 रुपये का वैयक्तिक अर्थदण्ड भी किया गया। शेष मामले छान-बीन तथा न्यायालयों में संभव कार्यवाहियां सहित न्याय निर्णय की भिन्न भिन्न प्रावस्था में हैं। इनके पूरा हो जाने तक, अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम बताना वांछनीय नहीं होगा।

उड़ीसा को ऋण

2775. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को 1964-65 में अपनी अर्थोपाय स्थिति में सुधार करने के लिये कोई ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार को जून, 1964 में 8 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम (वेज एण्ड मीन्ज एडवांस) दिया गया था। इसके ब्याज की दर 3 प्रतिशत वार्षिक थी और यह राज्य सरकार द्वारा 1964-65 में वापस चुका दिया गया था।

उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण

2776. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को कैसी तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ख) किन किन योजनाओं के लिये सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उड़ीसा सरकार को राज्य में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों पर धन लगाने के लिए 1964-65 में 45 लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया था।

(ख) स्वीकृत ऋण किसी विशेष उद्देश्य के लिये नहीं था, परन्तु 1964-65 में राज्य द्वारा शुरू किये गये बाढ़ नियन्त्रण और जल निकासी कार्यों के कार्यक्रम के लिये है, जिनमें तटबन्ध निर्माण, वर्तमान तटबन्धों के उठान और दृढ़ीकरण, बाढ़ नियन्त्रण कार्यों, नालियों और कुल्याओं आदि की सुधार की कई स्कीमें सम्मिलित हैं।

कुष्ठ रोग केन्द्र

2777. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

- (क) इस समय उड़ीसा में कितने कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र हैं ;
(ख) इन केन्द्रों में कितने रोगियों के लिए व्यवस्था है ; और
(ग) 1964-65 में केन्द्र सरकार ने इन केन्द्रों को कुल कितना ऋण अथवा अनुदान दिया ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा में इस समय 20 कुष्ठ नियंत्रण एकक तथा 17 सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्र काम कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त एक स्वेच्छा संगठन भी कुछ नियंत्रण कार्यक्रम में भाग ले रहा है।

(ख) सामान्यतया एक कुष्ठ नियंत्रण एकक के अन्तर्गत 1.5 लाख की आबादी होती है। एक एकक का काम रोगियों का पता लगाना तथा 1800 से 2000 कुष्ठ रोगियों का उपचार करना होता है। उड़ीसा साधारण स्थानिकमारी राज्य है, यहां प्रत्येक एकक इस समय औसतन लगभग 1650 रोगियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान पद्धति के अनुसार धन का आवंटन योजना-वार नहीं किया जाता बल्कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्वास्थ्य योजनाओं के व्यापक वर्गों अथवा श्रेणियों के लिये सहाय्यानुदान मंजूर किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता का 3/4 भाग उस वर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में एक मुश्त दे दिया जाता है। इसलिये कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रों के लिये 1964-65 में इस राज्य को ठीक-ठीक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई, यह सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि राज्य सरकार ने बतलाया है कि 1964-65 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम पर उन्होंने 2.59 लाख रुपये खर्च किये हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के स्वीकृत स्वरूप के अनुसार राज्य सरकार इस योजना पर अपने द्वारा किये गये अनावर्ती खर्च का 75 प्रतिशत तथा आवर्ती खर्च का 50 प्रतिशत ले सकती है। उड़ीसा योजना में कुष्ठ नियंत्रण के लिये 11.00 लाख रुपये की कुल तृतीय योजना व्यवस्था है।

बम्बई में चलार्थ नोटों का पकड़ा जाना

2778. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस ने मार्च, 1965 के पहले सप्ताह में बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के एक यात्री के पास से, जो बड़ौदा जाने के लिए सौराष्ट्र डक गाड़ी में चढ़ रहा था, 2.1 लाख रुपये के चलार्थ नोट पकड़े ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). रेलवे पुलिस ने 5 मार्च, 1965 को बम्बई सेंट्रल स्टेशन से बड़ौदा के लिए सौराष्ट्र मेल में चढ़ते हुए प्रथम श्रेणी के एक यात्री से 2.1 लाख रुपये के नोट और कुछ कागजात पकड़े। चूंकि मामले पर विदेशी विनियम विनियमों के उल्लंघन का सन्देह था। इसलिए मामले को प्रवर्तन निदेशालय ने अपने हाथों में ले लिया। आवश्यक जांच-पड़तालें के पूरा हो जाने पर प्रवर्तन निदेशक ने मामले का न्यायनिर्णय किया। उन्होंने अभियुक्त को विदेशी विनियम विनियम अधिनियम 1947 की धारा 23 बी के साथ पठित धारा 5(1)(ग) के उल्लंघन का दोषी पाया। निदेशक ने अभियुक्त पर 5000 रुपये का दण्ड लगाया और 2.1 लाख रुपये की राशि को जब्त कर लिया। पार्टी ने दण्ड की राशि भुदा कर दी है।

Smuggling of Chinese Made Goods into India

2779. Shri Hukam Chand Kachhavaia : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that through the Gede Railway Station in Nadia District on the Eastern Railway Chinese-made goods are being smuggled into the Indian market for sale ; and

(b) if so, the action being taken to check the smuggling of Chinese-made goods in this country?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). During the period from January, 1964 to March, 1965, one case of attempted smuggling of Chinese-made goods was detected at Gede Railway Station and three other cases were detected at the adjacent Banpur Checkpost. As far as the Government are aware, Chinese-made goods are not generally smuggled through this Railway Station. However, the Customs officers are on the alert.

पुनः नियुक्त सैनिक कर्मचारी

2780. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे अनुदेश दिये हैं कि ऐसे पुनर्नियुक्त सैनिक कर्मचारियों के वेतन से, जिन्हें प्रति मास 50 रुपये या इससे कम पेंशन मिलती है, कोई कटौती न की जाये ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस सुझावों को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां, बशर्ते कि वह व्यक्ति 55 वर्ष की आयु से पहले रिटायर हुआ हो। यह नियम सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के पेंशनभोगियों पर लागू होता है।

(ख) हमारे पास कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकारों को इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया।

Reimbursement of Medical Expenses

2781. **Dr. Chandrabhan Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount reimbursed on account of medical expenditure to the Central Government employees working in the Offices of the Central Excise and Income Tax Department in Kanpur during the last three years ; and

(b) the reasons for the high rise in the figures ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The amount reimbursed is as follows :

Year	Total for Income-tax and Central Excise Departments.
1962-63	Rs. 64,888/-
1963-64	Rs. 2,14,359/-
1964-65	Rs. 4,57,376/-
TOTAL	Rs. 7,36,623/-

(b) The rather steep rise in the expenditure on this account is due mainly to

- (i) Liberalisation of the Medical Attendance Rules and Orders, including extension of facilities to Class IV staff to the extent perm issible to the employees of other categories ;
- (ii) Expansion of the Department ;
- (iii) Rise in the cost of medicines and higher expenditure due to more frequent prescription of injection, costly medicines, etc ; and
- (iv) increase in the number of family members of Government servants.

फरक्का बांध

2782. { श्री च० का० भट्टाचार्यः
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना के पूरा होने में और अधिक देर लगेगी ;

(ख) कलकत्ता पत्तन के लिये जल की व्यवस्था करने के लिये हुगली में जल पहुंचाने के लिये सहायक नहर के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) बांध के निर्माण के भिन्न भिन्न चरण क्या हैं ; और

(घ) मशीनों तथा उपकरण के आयात के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) परियोजना अनुसूची अनुसार ही पूर्ण हो जाएगी, ऐसी संभावना है ।

(ख) लम्बाई के आधे भाग में काम प्रगति कर रहा है और इसके जून, 1968 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है । शेष काम को औपचारिकताओं के पश्चात् हाथ में लेने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) फरक्का बराज पर 109 खाड़ियों से दायें तट पर 12 खाड़ियों और बायें तट पर 30 खाड़ियों पर कार्य हो रहा है । 67 खाड़ियों के शेष भाग पर कार्य औपचारिकताओं के पश्चात् हाथ में लिया जाएगा । जंगीपुर बराज में टैंडर पर पसला किया जा रहा है और कार्य शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा ।

(घ) अधिकतर सामान के लिए आर्डर दे दिया हुआ है और वह अब प्राप्त होना शुरू हो गया है ।

Nature cure institutions

2783. { Shri P. L. Barupal :
Shri Samnani :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether any grant has been asked for from the Central Government for the development of nature cure institutions being run by the voluntary organisations in Rajasthan ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The Government of India has given the following grants to the Prakritik Chikitsalaya, Jaipur, Rajasthan :—

	Rs.
(i) Research in the treatment of Obesity and Gastritis	4,000
(ii) Running One Year Training Course	14,400
(iii) Equipping Pathological Laboratory	5,000

Requests for financial assistance have been received from the Prakritik Chikitsa Kendra, Jodhpur and the Rajasthan Prakritik Chikitsa Kendra, Bikaner. These requests will be considered by the Nature Cure Advisory Committee when it meets next.

मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को दिये गये ठेके

2784. श्रीमती सावित्री निगम : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों में उनके द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी ने कितनी बार मध्यस्थ निर्णय तथा न्यायालय की शरण ली है ; और

(ख) क्या आदेश मिलने तथा फरक्का बांध पर कार्य शुरू करने के लिये ठेकों को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले ही उन्हें मशीनों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस भी दे दिया गया है ?

सिचार्ड और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) इस मंत्रालय को केवल तीन मामलों का पता है जिन में एक हीराकुड में और दो शरावथी घाटी परियोजना में है ।

(ख) अभी तक फर्म को कोई आयात लाइसेंस नहीं दिया गया है । मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को फीडर केनाल पर काम देने के लिये टैंडर समिति के सुझावों को स्वीकार करने से फरक्का वराज नियंत्रण बोर्ड के फैसले के परिणामस्वरूप फरक्का वराज परियोजना के मुख्य अभियन्ता ने इस फर्म को 15 जनवरी, 1965 को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उनका टैंडर मान लिया गया है और उनसे, प्रार्थना की गई थी कि जब तक औपचारिक ठेके का कार्यान्वयन नहीं होता और कार्य आदेश जारी नहीं हों वे कार्य आरम्भ कर दें । फर्म परियोजना स्थल पर पहुंच गई है और उन्होंने प्राथमिक कार्य आरम्भ कर दिया है । इस फर्म के साथ हुए ठेके की शर्तों में से एक यह थी कि मशीनरी के लिये फालतू पुर्जों और कुछ सामान के आयात में सरकार उनकी सहायता करेगी । सामान की इन मदों के लिये इस फर्म से विदेशी मुद्रा के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं और उन पर अब विचार किया जा रहा है ।

जीवाणु विनाशक कपड़ा

2785. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मास्को टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट ने एक नया जीवाणु विनाशक कपड़ा तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके बारे में रूस सरकार से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरकार को इस प्रेस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है, किन्तु यह मालूम हुआ है कि मास्को टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट की एक प्रयोगशाला में ऐसे रेशे तैयार किये हैं, जिनसे जीवाणु मर जाते हैं ।

(ख) इस रेशे का विकास अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और स्वयं रूस में भी इसका उत्पादन अगले साल ही होने की सम्भावना है । इस की तकनीकी जानकारी के प्रश्न पर यथा-समय विचार किया जायेगा ।

गर्भाशयाभ्यन्तर साधन

2786. श्री रामकृष्ण रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में प्रोफैसर एम० एस० थेकर ने वक्तव्य दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था ने भारत में गर्भ निरोध के लिए अन्तः गर्भाशय साधनों का निर्माण करने के लिए उपकरण भेजने का वचन दिया है ; और

(ख) क्या अब तक भारत में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे साधन तैयार करने का कोई कारखाना नहीं है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं। प्रोफेसर एम० एस० ठक्कर ने इतना ही कहा है कि जन संख्या परिषद् न्यूयार्क ने भारत सरकार को कुछ गर्भाशयी गर्भरोधक देने का वचन दिया है।

(ख) उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में स्थित सरकारी क्षेत्र की वर्तमान फैक्टरी ने गर्भाशयी गर्भरोधक साधनों का निर्माण पहले ही शुरू कर दिया है।

Pollution of Jamuna Water

2787. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cultivators along side the banks of Jamuna river between Wazirabad and Okhla barrage in Delhi use sullage as manure ;

(b) whether the Jamuna water gets polluted by this ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to prevent such practice ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) Yes. It can happen in the rainy season.

(c) The Delhi Administration have already banned the use, carrying or stocking of night soil and organic manure for cultivation for a period of one year with effect from 14-1-65 within the area described below:

“Area extending east and west upto a distance of one furlong from the east and the west bank of river Jamuna respectively upto 3 miles upstream from the Wazirabad Pumping Station.”

They have been asked to extend this ban to some more areas to prevent the danger of pollution of the river. Adequate arrangements have also been made to ensure proper treatment of Jamuna Water so that any possible pollution does not endanger the health of the people.

ग्रामोद्योग परियोजनायें

2788 { श्री श्रीनारायण दास :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में ग्रामोद्योग परियोजनाओं का आगे विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों में कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुट्टीपाड़ी सिंचाई योजना

2789. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोद्दकाट्ट :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले की जिला विकास परिषद् ने 1965-66 के लिये कुट्टीपाड़ी सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने के लिये 50 लाख रुपये के आवंटन के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और 1965-66 में कितनी राशि व्यय करने का विचार है ; और

(ग) उस स्थान पर एक अलग सिंचाई विभाग खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) हां, जी ।

(ख) परियोजना की अनुमित लागत 496 लाख रुपये है और 1965-66 के लिये इस के लिये 17.26 लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) इस परियोजना के लिये अतिरिक्त निधि उपलब्ध होने पर अलग सिंचाई विभाग बनाने के लिये विचार किया जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आय-व्ययक

2790. श्री ह० च० सौय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि के० सन्धानम तथा अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि सरकारी उपक्रमों के आय-व्ययक एक साथ मिला दिये जायें और फिर उन्हें एक पृथक संकलन के रूप में रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के 1965-66 के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में इस वर्ष से अनुबन्ध 17 जोड़ा गया है ताकि सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों (अण्डरटेकिंग्स) को दी जाने वाली पूंजी और ऋणों के अनुमान, एक ही स्थान पर, दिखाये जा सकें ।

कच्चे पानी का संभरण

2791. श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या घरों में सब्जियां उगाने वालों को तथा दिल्ली में और उसके आस-पास किसानों को कच्चा पानी देने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्नलिखितों को पहले से ही कच्चा पानी देता आ रहा है :—

1. नई दिल्ली के मैदानों तथा बगीचों को
2. पूसा इन्स्टीट्यूट
3. रेलवे
4. कैंटोनमेंट्स
5. निर्माण कार्यों के लिए सरकारी ठेकेदारों तथा गैर-सरकारी पार्टियों को
6. नई दिल्ली के कुछ आटोमोबाइल सर्विस स्टेशनों को ।

आन्ध्र प्रदेश का विकास

2792. श्री रॉ० वेंकटामुब्बया : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की हाल की हैदराबाद की यात्रा के दौरान मुख्य मंत्री तथा विधान मंडल के सदस्यों ने अभ्यावेदन दिये थे कि केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की घोर उपेक्षा की थी जिस के फलस्वरूप अत्यधिक प्रादेशिक असन्तुलन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस बात की सावधानी बरती जायेगी कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिले ।

उपभोक्ता वस्तुएं

2793. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में हुई वृद्धि का विशेषकर ग्रामीण जनता में, कोई अनुमान लगाया गया है अथवा सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यह किस आधार पर किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

भारत सरकार प्रेस

2794. { डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार प्रेस के वर्गीकरण के लिये 1963 में स्थापित की गई समिति ने कोई रिपोर्ट तथा सिफारिशें दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) कमेटी की रिपोर्ट अभी तक विचाराधीन है । जब उसकी जांच हो जायेगी और निर्णय ले लिया जायेगा तब एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

नगर आयुक्तों का सम्मेलन

2795. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में नगर आयुक्तों का एक दो दिन का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, हैदराबाद, बंगलौर और नागपुर निगमों के आयुक्तों को एक सम्मेलन में आमंत्रित किया था ।

(ख) इस सम्मेलन में विचार किये गये विषय तथा पारित प्रस्ताव संलग्न विवरणों में दिये गये हैं । [पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4309/65]

अनुसन्धान के लिए विशेष एकक

2796. { श्री पें० वेंकटसुब्बया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का विचार अनुसंधान के लिए एक पृथक विशेष एकक खोलने का है ;

(ख) विशेष एकक के मुख्य कृत्य क्या होंगे ; और

(ग) यह कब खोला जायेगा तथा इस पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). आर्थिक और सामाजिक आयोजन की समस्याओं का बुनियादी अनुसंधान करने के लिए योजना आयोग में एक छोटा अनुसंधान दल स्थापित करने के प्रस्ताव पर, योजना आयोग विचार कर रहा है । यह दल सम्मत दीर्घकालीन कार्यक्रम के भाग के रूप में, इसी प्रकार के बुनियादी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के निकट सहयोग से काम करेगा ।

(ग) व्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

कनाडा से सहायता

2797. { श्री पं० वेंकटासुब्बया :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कनाडा से प्राप्त सहायता के प्रभावी प्रयोग के बारे में कनाडा के वैदेशिक सहायता कार्यालय के महानिदेशक मि० एच० ओ० मोरान ने उन के मंत्रालय के अधिकारियों से बात चीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर चर्चा हुई ; और

(ग) सरकार ने कनाडा से प्राप्त सहायता का अब तक कितना उपयोग किया है और यदि उस में कोई कमियां हैं तो क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जी, हां। बातचीत मुख्य रूप से कनाडा द्वारा 1965-66 के लिए दी जाने वाली सहायता के उपयोग के सम्बन्ध में हुई (जिसके बारे में भारत सहायता संघ की बैठक में हाल ही में घोषणा कर दी गयी है और जो कनाडा के डालरों में इस प्रकार होगी—(1) 1.2 करोड़ डालर अनुदान के रूप में; (2) 2 करोड़ डालर लम्बी अवधि के विकास ऋणों के रूप में और (3) 1.25 करोड़ डालर सप्लायरों द्वारा दिये जाने वाले विस्तृत ऋणों के रूप में)। भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों पर कनाडा की सरकार विचार कर रही है और अनुमान है कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने में उसे कुछ हफ्ते और लग जायेंगे।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4310/65]

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

2798. श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ तथा जल निकासी कार्यों के लिये चौथी योजना में कितनी राशि रखी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी कार्यों के लिये चतुर्थ योजना में कोई राशि रखने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में बंसधारा परियोजना

2799. श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की बंसधारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दे दी जाये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने संघारा परियोजना की जांच की और उनके विचार जनवरी, 1965 में आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेजे गये थे । राज्य सरकार से केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विचारों के प्रति उत्तर के प्राप्त होने पर परियोजना की स्वीकृति तकनीकी सलाहकार समिति से ली जायेगी ।

बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

2800. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सान्ता क्रूज (बम्बई) पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 6 अप्रैल, 1965 को कुवैत से आने वाले एक यात्री से 60,000 रु० के मूल्य की सोने की छड़ें व आभूषण पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 6-4-1965 को बम्बई में सान्ता क्रूज हवाई-अड्डे पर बहरिन से आये दो यात्रियों से सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने चोरी छिपे रूप में लाया गया पासा सोना तथा सोने के जवाहिरात पकड़े जिनका सामूहिक मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 27,972/- रु० (लगभग) और वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार 55,944/- रु० (लगभग) है ।

(ख) मामले में आगे जांच पड़तालें प्रगति पर हैं जिनके पूरा होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

दिल्ली में मकान मालिक सरकारी कर्मचारी

2801. श्री यशपाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन के दिल्ली में अपने मकान हैं और जो 20 जुलाई, 1964 को सरकारी स्थानों में रह रहे थे, 20 जुलाई, 1964 से बढ़ी हुई दरों पर किराया देने के लिए कहा गया है जबकि उन को इन स्थानों को खाली करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). ऐसे व्यक्तियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे बढ़ी हुई दरों पर किराया दें या स्थान को खाली कर दें ।

दिल्ली में मकान मालिक सरकारी कर्मचारी

2802. श्री यशपाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो सरकारी कर्मचारी 20 जुलाई, 1964 को सरकारी क्वार्टरों में रह रहे थे और जिन्होंने बाद में दिल्ली में अपने मकान बना लिये हैं, क्या उन के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने मकानों के पूरा होने पर सात दिन के भीतर इस बात की सूचना दें ; और

(ख) यदि वे सरकारी स्थान खाली न करें, तो उस के लिये क्या देने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) यदि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सम्पदा निदेशक को समय के भीतर सूचना दे दी जाती है तो उनके लिए यह विकल्प है कि या तो वे 7 दिनों के भीतर सरकारी वास छोड़ दें या एफ० आर० 45-बी के अन्तर्गत गणित मानक किराया अथवा एफ० आर० 45-ए के अन्तर्गत पूलड मानक किराया, इन में से जो भी अधिक हो, मकान के स्वामित्व अर्जित करने की तारीख से दें । लेकिन, यदि सूचना समय के भीतर नहीं दी गयी है तो प्रश्नाधीन मकान के स्वामित्व के अर्जन की तारीख से आवंटन रद्द समझा जाता है और बाजार भाव के किराये के बराबर क्षति की वसूली तथा मकान खाली करने की कार्रवाई की जाती है ।

मकान बनाने के लिये ऋण

2803. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की योजना चालू होने के बाद क्या मकानों के निर्माण की लागत में औसतन वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या निर्माण की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उक्त योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को दिये जा सकने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या कुछ श्रेणियों के कर्मचारी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वे कौन सी श्रेणी के कर्मचारी हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां । अप्रैल, 1956 में इस योजना के फिर से चालू होने के बाद मकानों के निर्माण की लागत लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गयी है ।

(ख) और (ग). व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों को दी जा सकने वाली ऋण की राशि पहले ही से 24 महीने के वेतन से बढ़ा कर 36 महीने के वेतन तक कर दी गयी है वशर्ते 25,000 रुपये से अधिक न हो । निम्न आय के कर्मचारियों को 4800 रुपये का ऋण दिया जाता है चाहे यह राशि 36 महीने के वेतन से अधिक हो जाये । यह योजना निम्न तथा मध्य आय वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत दी जा सकने वाली राशि पहले ही से साधारण जनता के लिए मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत दी जा सकने वाली राशि से जो कि 20,000 रुपये है, अधिक है । इसलिये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के निम्नांकित वर्ग इस योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए पात्र नहीं है :

(1) अस्थाई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने लगातार 10 वर्ष सेवा नहीं की है ।

- (2) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जैसे कि आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० आदि जो कि आवधिक आधार पर केन्द्रीय सरकार में छः वर्ष से कम की प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

मकान किराया भत्ता

2804. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया गया है किन्तु 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ते की सीमा वही है ;

(ख) क्या इस सीमा को बढ़ाने की सम्भाव्यता पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां । 'ए' वर्ग के नगरों में वेतन की जिस सीमा तक किराये की रसीद की जांच कराये बिना, वेतन के 15 प्रतिशत के हिसाब से मकान किराया भत्ता मिल सकता है, वह 250 रुपया प्रतिमास ही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सीमा को न बढ़ाने का फैसला किया गया है ।

नेफा माइक्रो हाइडल परियोजना

2805. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तुला राम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में तीन माइक्रो हाइडल परियोजनाओं के प्रारूप, प्रतिवेदन पूरे हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां । तीन माइक्रो हाइडल स्कीमें नामशः (1) बामडीला (2) पस्सीघाट और (3) तेजु की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तैयार कर ली गई हैं :

(ख) स्कीमों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

बामडीला : इस स्कीम में बामडीला नाले से 2 क्यूसेक पानी का व्यपवर्तन और 1500 फुट लम्बी पावर चैनल के तथा 30-30 किलोवाट के प्रतिष्ठापित उत्पादन यूनिटों के बिजली-घर के निर्माण से 170 फुट ऊंचाई से पानी का उपयोग परिकल्पित है । स्कीम की अनुमित लागत 6.92 लाख रुपये हैं ।

पस्सीघाट : इस स्कीम में सिल्लेकांग नदी से 6 क्यूसेक पानी का व्यपवर्तन और 4220 फुट लम्बी पावर चैनल के निर्माण तथा 40-40 किलोवाट के 4 प्रतिष्ठापित उत्पादन यूनिटों के बिजली-घर के निर्माण से 180 फुट की ऊंचाई से पानी का उपयोग परिकल्पित है ।

तेजु : इस स्कीम में डेराह सरिता से 9 क्यूसेक पानी का व्यंपवर्तन और इसका 175 फुट की ऊंचाई से उपयोग, 5165 फुट लम्बी पावर चैनल का निर्माण और 8.07 लाख रुपये की अनुमित लागत पर 90-90 किलोवाट के 4 उत्पादन यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है ।

सरकारी क्वार्टरों में छत के पंखे

2806. { श्री दी० च० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटित क्वार्टरों में छत के पंखे लगाने का विचार है ; और
(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होगा और इस कार्य को कब तक पूरा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां । उन क्वार्टरों के संबंध में जो कि जनरल पूल का भाग हैं तथा इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत हैं ।

(ख) कार्य को पूरा होने में लगभग 2 वर्ष लगेंगे । मोटे तौर पर लागत की संभावना 25 लाख रुपये है ।

जीवन की दीर्घायुता

2808. श्री कृष्णमाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में दीर्घायुता प्रदान करने वाले तत्वों का अध्ययन कर लिया गया है ;
(ख) यदि हां, तो क्या इससे ऐसे परिणाम निकले हैं कि किस खुराक और किन अन्य आदतों के कारण जीवन लम्बा और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है और किन आदतों से यह छोटा हो जाता है ; और
(ग) क्या सरकार का विचार इस विषय पर कोई पुस्तिका प्रकाशित करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ख) देश में जीवन को दीर्घजीविता प्रदान करने वाले तत्वों के बारे में सरकार ने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है । सुधरी हुई चिकित्सा, जन स्वास्थ्य प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं तथा संवारी रोगों का उन्मूलन अथवा नियंत्रण, पर्यावरणिक तथा सामाजिक अवस्थाओं में सुधार ही वे तत्व हैं जो दीर्घायुता से सम्बन्धित हैं ।

स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तिका तथा पैम्फलेटों के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित करने का काम केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय तथा राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है ।

दिल्ली में आय-कर दाता

2809. श्री शिववरण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली में क्रमशः 1951, 1956 और 1961 से 1965 तक प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च को आय-कर दाताओं की संख्या कितनी थी ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1964-65 के लिए दिल्ली में कितना आय-कर निर्धारित किया गया; और

(ग) दिल्ली में 31-3-64 और 31-3-65 को कितना आयकर बकाया था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग), सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम में चोरी छिपे लाया गया चीनी सामान

2810. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० च० बहग्रा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में भारी मात्रा में चीनी माल पकड़ा है जो गारो पहाड़ियों को पार करके पाकिस्तान के जरिये आसाम में चोरी छिपे लाया गया था;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का और कितना सामान पकड़ा गया है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख), अप्रैल, 1965 के पहले सप्ताह में सीमा-शुल्क पदाधिकारियों ने चीन में बने लगभग 1200 रु० की कीमत के गैलवैनाइज्ड तारों के तेरह बण्डल पकड़े जब कि उनको एक ट्रक में गारो पहाड़ियों पर से ले जाया जा रहा था ।

(ग) रोकथाम के उपाय सख्त कर दिये गये हैं । सीमा-पुलिस के सहयोग से सीमा-शुल्क पदाधिकारी कड़ी चौकसी रख रहे हैं ।

पंजाब में उद्योग

2810. { श्री दलजीत सिंह :
श्री चुनी लाल :

क्या योजना मंत्री 26 नवम्बर, 1964 के अतारार्कित प्रश्न संख्या 515 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भारी तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक धन देने के बारे में अब जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

झुग्गियों का गिराया जाना

2813. { श्री बाल्मीकी :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री बूटा सिंह :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 अप्रैल, 1965 को मिंटो पुल, दिल्ली के निकट राउज एवेन्यू में 70 से अधिक झुग्गियां और झोंपड़ियां गिराई गईं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन में रहने वालों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी थी; और

(ग) सरकार ने इन लोगों को बसाने के लिये क्या कार्यवाही की है ।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ग). मिंटो पुल के निकट राउज एवेन्यू में गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए 61 परिवारों को 6 अप्रैल, 1965 को हटाया गया था । उन सब को झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक वास देने का प्रस्ताव किया गया । उन में से 57 परिवारों ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वज्जीरपुर तथा सीलमपुर की बस्तियों में आवंटित प्लोटों पर आधिपत्य जमा लिया । शेष चार परिवारों ने प्रस्ताव से कोई लाभ नहीं उठाया, और संभवतः उन्होंने अपनी निजी व्यवस्था कर ली ।

परिवार नियोजन निदेशालय

2814. श्री प्र० च० बरुआ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार परिवार नियोजन निदेशालय का स्तर ऊंचा करके उसे मंत्रालय के स्तर पर लाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है; और

(ग) वर्तमान निदेशालय को परिवार नियोजन योजनाओं की क्रियान्विति में क्या कठिनाइयां हों रही हैं तथा उन्हें कैसे दूर किया जायेगा ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कार्य-प्रणाली सम्बन्धी विलम्ब कभी कभी हो जाया करते हैं । उन्हें दूर करने के उपाय निकाले जा रहे हैं ।

मद्रास राज्य में गांवों में विद्युतीकरण

2875. श्री धर्मांगम : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये 1964-65 में कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) क्या नियत की गई सारी राशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) भारत सरकार ने 30 करोड़ रुपये की धन राशि नियत की है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संतति निग्रह की गोलियां

2816. { श्री कोया :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री बूटा सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कनाडा के एक मनश्चिकित्सक डा० विक्टोरिया बोजे के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि संतति निग्रह की गोलियों से स्त्रियों में पुंसत्व अधिक हो जाता है ;

(ख) उनकी इस वक्तव्य पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय स्त्रियों के लक्षणों को बनाये रखने के लिये इन गोलियों के प्रयोग को हतोत्साहित करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत में खाये जाने वाले गर्भरोधकों के आम प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

पीत ज्वर

2817. श्री श्रीनारायण दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संघ की संचारी रोग राष्ट्रीय संस्था और भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के बीच पीत ज्वर के सम्बन्ध में संयुक्त विचार-विमर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है जिससे भारत में इस रोग का उन्मूलन किया जा सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। पीत ज्वर तथा अन्य सम्बन्धित संगरोधी विषयों की विभिन्न बातों पर विचार-विमर्श करने के लिये पीत ज्वर सलाहकार समिति की एक नियमित बैठक 5 और 6 अप्रैल, 1965 को नई दिल्ली में हुई। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के निदेशक इस समिति के नियमित सदस्य हैं किन्तु विश्व स्वास्थ्य संगठन, लंका और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को भी सार्वजनिक हित के संगरोधी विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।

ग्रिड के लिये ट्रांसमिशन

2818. श्री धीनारायण दास : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रिड के लिये कोई नई ट्रांसमिशन पद्धति निकालने के लिये भारत-फ्रांस तकनीकी सहायता के अन्तर्गत कोई अध्ययन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है उनका सही सही स्वरूप क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) इन अध्ययनों का सम्बन्ध पूर्व क्षेत्रीय ग्रिड (जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों की, दामोदर घाटी निगम प्रणाली और उड़ीसा समेत, विद्युत प्रणालियां हैं) से है। इन अध्ययनों को चौथी योजनावधि के अन्त तक पारेषण प्रणाली की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये और पांचवीं तथा छठी योजना अवधियों के लिये उत्पादन और पारेषण आवश्यकताओं की एक विस्तृत दीर्घकालीन तस्वीर जानने के लिये भी किया जाएगा।

केरल में रतिरोग

2820 श्री कोया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नैतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य संस्था द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर केरल राज्य में रतिरोगों के उपचार के लिए सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). भारतीय नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ के सुझावों के आधार पर केरल राज्य में कोई ऐसी योजना चलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश में चलाये जा रहे केन्द्र सहायित रतिरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन केरल राज्य में 6 जिला रतिरोग क्लीनिक स्थापित किये गये हैं। अनावर्ती खर्च के 75 प्रतिशत और आवर्ती खर्च के 50 प्रतिशत की पूर्ति के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त रतिरोग क्लीनिकों के लिये पी० ए० एम० मुफ्त दिया जा रहा है और रतिरोग नियंत्रण में प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

केरल में मलेरिया का प्रकोप

श्री कोया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के कुछ नगरों में मलेरिया का अब भी जोर है ;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन दल को वापिस बुलाने का निश्चय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) मलेरिया उन्मूलन की निष्पत्ति के पश्चात् राज्य में चल रहे सभी 14.5 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एकक अन्तिम चरण में पहुंच चुके हैं जहां मलेरिया के दुबारा होने को रोकने के लिये आवश्यक निगरानी कार्य राज्य की सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य के लिये इस सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है।

केरल में चेचक का प्रकोप

2822. श्री कोया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में चेचक फैली हुई है ;

(ख) क्या ऐसी परिस्थिति में सरकार ने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को बन्द करने का निश्चय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय इस विषय में क्या स्थिति है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं। केरल राज्य में जिसकी जन संख्या लगभग 184 लाख है, (1965 के मध्य में अनुमानित जन-संख्या), जनवरी, फरवरी और मार्च, 1965 में केवल 24 घटनाएँ तथा 6 मौतें हुईं। ये घटनाएँ कोझी-कोदे, त्रिचूर और कन्नानोर नामक तीन जिलों तक ही सीमित थीं। शेष 6 जिलों से किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी नहीं। गत वर्ष स्थापित किये गये 6 के 6 उन्मूलन एकक चालू वर्ष में काम कर रहे हैं और आशा है कि वे सारे राज्य में इस वर्ष मौपिना-अप-आपरेशन पूरा कर लेंगे।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद में सोने का पकड़ा जाना

2823. { श्री किन्दर लाल :
श्री विद्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारियों ने 11 अप्रैल, 1965 को मुरादाबाद में बस अड्डे पर बस से उतरते हुए तस्कर व्यापारियों के गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया और उससे 18,000 रुपये के मूल्य के सोने की ईंटें बरामद कीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री त्ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 8 अप्रैल, 1965 को मुरादाबाद बस स्टैंड पर एक व्यक्ति से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारियों ने 7,500/- रुपये की कीमत का सोना पकड़ा।

(ख) व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

सभा पटल रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा अधिनियम (वाणिज्यिक), 1965, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4299/65]

पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में संकल्प

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवध्या): मैं बड़े पत्तनों पर पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में सरकारी संकल्प सं० डब्ल्यू० बी० 21 (13) 65, दिनांक 27 अप्रैल, 1965, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० एल० टी०—4300/65]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट और इस पर सरकार द्वारा समीक्षा

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिये सं० एल० टी० 4301/65]

केरल सामान्य बिक्री-कर नियमों का सशोधन तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहू): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:

(ए) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 24 मार्च, 1965 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार), के साथ पठित केरल सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1963 की धारा 57 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 44/65 की एक प्रति जो दिनांक 23 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र

में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा केरल सामान्य बिक्री कर नियम, 1963 में कुछ संशोधन किये गये थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4302/65]

(दो) सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 569, दिनांक 9 अप्रैल, 1965 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4303/65]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

तिरासीवां प्रतिवेदन

श्री अरुण चन्द्र गुह (बारसाट) : मैं शिक्षा मंत्रालय—विश्व भारती विश्वविद्यालय—के बारे में प्राक्कलन समिति का तिरासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय (सम्भरण तथा तकनीकी विकास विभाग), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय (कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के पत्तन न्यासों सहित), सामाजिक सुरक्षा विभाग सम्बन्धी विनियोग लेखों (असैनिक) 1962-63 तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट (असैनिक); 1964 और सूचना और प्रसारण मंत्रालय सम्बन्धी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (वाणिज्यिक), 1964 के बारे में लोक लेखा समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

तीसरा प्रतिवेदन

श्री सिद्धनंजप्पा (ह त) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1962-63

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1962-63

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं वर्ष 1962-63 के आय-व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री जगन्नाथ राव : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगी । इसके लिये निर्धारित 9 घंटों में से 2 घंटे 50 मिनटों तक चर्चा हो चुकी है और 6 घंटे 10 मिनट शेष हैं । श्री राधेलाल व्यास अपना भाषण जारी रखेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : I had given notice of calling attention regarding the Aligarh Muslim University incident, in reply to which you had stated that it is a State subject. But the U.P. Chief Minister has stated in the State Vidhan Sabha, that the University is under the control of the Centre. . . .

Mr. Speaker : You may write to me or see me in this connection. .

Shri Rameshwaranand : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : There is no point of order at the moment. However, you may see me in my Chamber. Now kindly allow the proceedings of the House to be resumed.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : The problem of food scarcity in the country has continued to grow since long. Whereas in 1956 we imported 14 lakh tons of foodgrains, the imports have now risen to 62 lakh tons in 1964. Drastic steps are needed to tide over the situation. In this connection, my first suggestion is to give exemption of land revenue to those farmers who grow foodgrains and to increase it in the case of crops other than foodgrains. Increasing the number of fertiliser factories alone will not solve the problem. Other steps also will have to be taken. What a pity that on the one hand we

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*)

are setting up fertiliser factories to meet the demand of the country, and on the other, cowdung is being wasted on a very large scale in villages for want of fuel which could substitute cowdung. This criminal wastage should be stopped forthwith and soft-coke, gas or fire-wood should be made available to the villagers. If cowdung were properly utilised as manure, we would have saved crores of rupees, which are drained out of the country every year. Trees are disappearing rapidly and the cost of fire-wood is very high. This is also a very serious matter.

Till the time we are able to produce sufficient number of tractors and the farmers can afford it, they will have to depend on bullocks for agriculture. Pair of bullocks is also very costly, their breed is deteriorating and their number dwindling rapidly. We should therefore ban cow-slaughter more from the economic rather than religious point of view. This will result in increased yield of milk also. If necessary, Constitution should be amended to ban cow-slaughter by law.

The economic condition of M.P. is appalling. Farmers do not get timely loans, poverty and unemployment are rampant in the State. Irrigation facilities also do not exist there. Proper attention should be paid to all these problems to ameliorate the condition of the State. It is long, since it was decided to set up Regional Forest Research Institute at Gauhati and in M. P. The scheme has not yet been sanctioned and this has been complained by the Estimates Committee also. This should be expedited.

Chambal Ravines are the dens of dacoits. This area should be developed to convert it into cultivable land. The Central Government should prepare special project for the purpose.

श्री बालकृष्णन (कोइलपट्टी) : हाल का खाद्य संकट दूर करने के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्री ने जिस पटुता से कार्यवाही की है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं ।

क्योंकि हमारा देश कृषि-प्रधान है इसलिये कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । यद्यपि इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं, परन्तु खाद्य समस्या बराबर बनी हुई है, इसका एक कारण जनसंख्या में वृद्धि का खाद्य उत्पादन की वृद्धि से अधिक होना है । इसलिये कृषि के क्षेत्र में और अधिक प्रयत्न करने के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि रोकने के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

[श्री बालकृष्णन]

कुछ दिन हुए मुझे दिल्ली प्रशासन के कुछ खण्ड क्षेत्र देखने का अवसर मिला था। मैंने देखा कि कृषि योग्य भूमि बड़ी मात्रा में खाली पड़ी है। पूछने पर बताया गया कि यह भूमि 7 वर्ष से खाली पड़ी है क्योंकि निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने भवन निर्माण के लिये इस पर अधिकार कर लिया है। यह तो बहुत बुरी बात है। जब तक भवन निर्माण कार्य वास्तव में आरम्भ न हो जाए, खेती जारी रहनी चाहिये। खाद्य तथा कृषि मंत्री को निर्माण तथा आवास मंत्री से इस संबंध में बात करनी चाहिये।

खण्ड क्षेत्र में जो कृषक क्लब बनाया गया है, वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यह क्लब जो 100 मनों वाले क्लब के नाम से भी विख्यात कृषकों, को अधिक उत्पादन की प्रेरणा देता है। ऐसे क्लब समस्त देश में स्थापित होने चाहियें। बीज सुधारने का काम भी यह क्लब सराहनीय कर रहा है। मिश्रित किस्म के बीजों के प्रयोग से उत्पादन दुगना हो सकता है।

कृषकों को मशीनी तथा आधुनिक औजार उपलब्ध किये जाने चाहियें और इस मनोरथ के लिये सरकारी क्षेत्र में उत्पादन आरम्भ होना चाहिये।

सीमेंट की कमी की शिकायत गांवों में आम है। कृषकों के लिये सीमेंट का विशेष निर्धारण होना चाहिये।

कुछ सिंचाई परियोजनाएं न लघु हैं और न बड़ी हैं। इन मध्यम श्रेणी की योजनाओं की उपेक्षा की गई है। तीन ऐसी परियोजनाएं तो मेरे तालुके में ही हैं इन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

Shri Brijraj Singh (Bareilly) Every year, at the time of discussion of the Demands for Grants of the Ministry, so many suggestions are made but they are invariably ignored and the situation does not change. It has become an annual ritual which has no meaning and significance at all. The irony is that we know the disease but not the treatment. Perhaps we know the treatment also, but do not apply it and are experimenting with foreign remedies.

Farmers are receiving very rough treatment at the hands of the Government. They are being told to believe that they are ignorant of the very fundamentals of agriculture and when acting upon their advice the farmers act likewise and the results are the same, they are told that this is nature's wrath and everybody is helpless in the matter which the farmer is bare of body and empty of stomach, he is constantly reminded of the tremendous progress he is making. The country cannot make any progress in industrialisation, defence, education and prestige unless our agriculture develops.

We import foodgrains, but we cannot even handle it properly. For this purpose also we require the assistance of foreign experts. This is the extent to which we have reached in lack of self-confidence. Sindri Fertilizers required modern equipment worth 20 lakh rupees in foreign exchange. This was not granted but instead we imported fertilisers worth 10 crores of rupees. This is another example of thoughtlessness on our part.

The Annual budget is presented and passed before 31st March, whereas the harvest arrives in May-June. We prepare the budget on supposition which is usually wrong. Hence Budget should be presented sometimes after the harvest season. We are blindly imitating the British which is a mockery.

Constructive proposals coming from the Opposition are not accepted, which is not fair.

It is said that Ministers and high officials should go to villages off and on. I suggest that informed tours will not serve any purpose. Only surprise visits will have some effect on village life.

Unfortunately the villager is being pulled by too many strings in different direction, resulting in much pain to the farmer without any result. The hon. Minister should pay proper attention to the villages and remove all duplication and confusion.

The village level worker should be given coordinated training, his pay should be increased and one village should be assigned to each village level worker. A Block Development Officer should be appointed to coordinate the work of village level workers. All inspectors should be dispensed with.

Chaos prevails in the name of land reforms. There is no uniformity of standards in this matter. Every State is going its own way. The centre should not run away from its responsibility under the plea that land reform is a State subject you will have to consider this matter some day. Until the centre exercises effective control in the matter of food and agriculture, there will be no progress in that direction.

Chief Ministers' conference was convened but no decision was taken regarding abolition of zonal system. You should not succumb to pulls and pressures. This matter should not be dealt with in a partisan spirit. You should work in the spirit of service of the nation and not with an eye on the elections.

श्री जेना (भद्रक) : श्रीमन्, मनुष्य का जीवित रहना तभी सम्भव है जब उसे आवश्यक अन्न प्राप्त हो। भारत समूचे संसार में एक कृषि प्रधान देश के रूप में विख्यात रहा है और हमें इस पर गर्व है। हम पिछले 18 वर्ष से स्वतंत्र हैं परन्तु इस अवधि में हम खाद्य समस्या हल नहीं कर पाये हैं। हम स्वतंत्र हैं इसलिए अपनी समस्याओं के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते।

हमने दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी कर ली हैं और तीसरी पूरी होने वाली है। परन्तु जहां तक खाद्यान्न की स्थिति का सम्बन्ध है, हमारी प्रगति सराहनीय नहीं है। हम लगभग प्रत्येक वर्ष विदेशों से खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। यह हमारे जैसे स्वतंत्र कृषि प्रधान देश के लिए कोई अच्छा लक्षण नहीं है कि प्रति वर्ष हमारा खाद्यान्नों का आयात बढ़ रहा है।

खाद्यान्न की कमी एक महान समस्या है और इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। यह समस्या रक्षा की समस्या से कम गम्भीर नहीं है। हमें अपने कृषकों तथा कृषि श्रमिकों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिये जितना कि हम अपने जवानों का रख रहे हैं। हम खाद्य की समस्या का समाधान किये बिना अपनी सीमाओं पर आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें प्राथमिकताओं को फिर से निश्चित करना चाहिये।

कुछ दिन पहले हम यहां कम मूल्य वाली कारों के उत्पादन पर चर्चा कर रहे थे और इस के लिए आग्रह कर रहे थे। इस समय उस की इतनी क्या आवश्यकता है जबकि खाद्यान्न के अभाव की जटिल समस्या हमारे सामने है ?

हम में से कुछ ने इस बात की मांग की है कि खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये। खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के साथ साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित किये जाने चाहियें। जैसे अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में होता है, खाद्यान्न के भाव निर्धारित करते समय भी उसके उत्पादन पर जो लागत आती है उसे ध्यान में रखा जाना चाहिये।

[श्री जेना]

इस वर्ष उड़ीसा में चावल और धान के अधिकतम मूल्य निर्धारित किये गये हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि खरीद बहुत ही कम हुई है और उत्पादकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य मंत्री को इस ओर ध्यान दे कर इस कठिनाई को दूर करना चाहिये।

जब हम खाद्यान्नों का आयात करते हैं तो हमें उच्च मूल्य देने होते हैं और उन्हें ऐसे मूल्य पर बेचना होता है जिस पर जनता उसे खरीद सके। इसी प्रकार हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उत्पादक भी घाटे में न रहे और उपभोक्ता को भी दिक्कत न हो।

सबसे पहले हमें कृषकों को आश्वस्त करना चाहिये कि उनकी फसलें बाढ़, अनावृष्टि तथा कृमिकों से सुरक्षित रहेंगी। यह बातें हमारे देश में आम हैं। वैज्ञानिक कृषि के सम्बन्ध में उन्हें समय पर विशेषज्ञों द्वारा मंत्रणा दी जानी चाहिये। कृषकों को अच्छे बीज, सुधरे हुये कृषि के औजार तथा अच्छे उर्वरक उपलब्ध कराये जाने चाहियें। इससे पूर्व हमें भूमि सम्बन्धी पूरी जांच तथा अनुसंधान करना चाहिये कि कहां कौन सी फसल उपयुक्त रहेगी।

इस प्रकार यह बहुत बड़ा काम है परन्तु दुर्भाग्य से राज्यों में खाद्य मंत्री की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए खंड विकास कर्मचारियों की सहायता आवश्यक है। उन्हें सहायता के लिए कहा जाना चाहिये।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप खोदने पर ध्यान दिया जाना चाहिये। उनका प्रयोग बाढ़ों के हट जाने के बाद किया जा सकता है। सिंचाई के काम के लिए भूमिगत जल के प्रयोग के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho): The provision of food is the responsibility of this Ministry hence it is but natural that the whole country is particularly interested in the discussion regarding this Ministry.

The reason for shortage of food in India is that as a result of partition India was left with more population and comparatively lesser land. Pakistan got 25 per cent land for only 17.5 per cent of population. Whereas we got 82.5 per cent population for 75 per cent of land. Apart from that, there was great influx of refugees, increasing the pressure on land. Secondly, the Government did not pay particular attention to the increase of agricultural production. We did not realise that agriculture should come first because industry has to depend on it. Agriculture should be treated by everybody as a national enterprise. The agriculturists are simple people and everybody tries to exploit and harass them.

One of the main reasons of low agricultural production is litigation. On the death of a farmer, mutation of property takes a very long time as a result of which sixteen lakh farmers have to attend the Courts daily. The Government does not pay attention to their difficulties.

There is need for imparting agricultural education in the Country. The way of thinking in the country should be improved. We should respect the dignity of labour. The agriculturist should be given due respect.

The Government have spent Rupees 400 crores on the import of foodgrains and they have earmarked Rupees five hundred crores for this purpose during the next plan. There is no shortage of foodgrains but there is slackness on the

part of the Government. Zones have been formed but the sentries on duty allow the foodgrain to cross the border on receipt of certain amount.

The prices of foodgrains should be uniform throughout the country. That will do away with the need for controls and ban on movement.

India is leading in the world in the matter of taking loans. We have to import the foodgrains under P.L. 480. The production of foodgrains can be increased if cowdung manure is developed. If Government supplied even inferior quality of coal to the villages, which was lying unused in Madhya Pradesh, there could be substantial increase in cowdung manure.

There are instances when the required customs duty on tractors is deposited, but the tractors are not available. The Government should pay attention to this matter.

The Government of Madhya Pradesh has supplied sixty lakh tons of rice to the central Government. If the Central Government gives assistance to Madhya Pradesh Government for development, more foodgrains could be available from that State.

श्री अलवारेस (पंजिम) : श्रीमन्, कल सभा में देश की सुरक्षा और विदेशी आक्रमण का सामना करने की नीति पर वाद-विवाद हुआ था। यदि वर्तमान काल में आक्रमण का मुकाबला करना है तो उसके आर्थिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना होगा। जब तक देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया जाता तब तक आक्रमण का सामना करना और युद्ध लड़ना कठिन है। खेती के क्षेत्र में, जिस पर हमारी 70 प्रतिशत जनता निर्भर है, यह जरूरी हो जाता है कि कृषक की ओर सब से अधिक ध्यान दिया जाये। सदा ही हमारी सरकार ने उद्योगों की तुलना में कृषि को कम महत्व दिया है। हमारे जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, जहां अधिक योगदान खेती से मिलता हो, किसी भी सरकार द्वारा इस प्रकार की गई भूल को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस वाद-विवाद के कारण देश में कृषि की स्थिति के बारे में कोई नई दृष्टि डाली जा सकेगी।

हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्वों को तीन भागों में बांटा जा सकता है—उत्पादन, मूल्य तथा वितरण। इन सभी मामलों में सरकार बुरी तरह असफल रही है। हमारी राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। उत्पादन और वितरण का कोटा कृषक समुदाय के हितों के सर्वथा विपरीत होता है। जब तक यह असंतुलन दूर नहीं किये जाते तब तक इस बात की सम्भावना नहीं है कि हम सामाजिक उन्नति कर सकते हैं।

कृषि सम्बन्धी कुल उत्पादन केवल एक प्रतिशत बढ़ा है। यह तर्क दिया जा सकता है कि कुल वृद्धि 3.5 प्रतिशत हुई है परन्तु आर्थिक विशेषज्ञों से इस बात का पता चलता है कि कृषि उत्पादन में 2.5 प्रतिशत वृद्धि कृषि के अधीन लाई गई अतिरिक्त भूमि के कारण हुई है। इतनी कम वृद्धि के आधार पर भविष्य में आने वाले संकट का सामना करने की आशा नहीं की जा सकती।

यद्यपि कुछ समय तक अनाज की खपत की प्रति व्यक्ति होने की मात्रा में वृद्धि होगी तथापि जब देश आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ेगा तब खाने के लिए अनाज पर निर्भरता अवश्य कम हो जायेगी। प्रत्येक औद्योगिक और प्रगतिशील आधुनिक समाज में कम विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत कम होती है। यदि सरकार इस मामले को सभी स्तरों पर हल करे, अन्य खाद्य पदार्थों—दूध, सब्जियां, गोश्त तथा मछली आदि का प्रयोग बढ़ावाये तो मझे

[श्री अलवारेस]

विश्वास है कि अनाज पर हमारी निर्भरता कम हो जायेगी तथा स्थिति इतनी गम्भीर नहीं रहेगी । कठिनाई यह है कि सरकार लोगों के लिए खाद्य की व्यवस्था करने का ठीक तरीका नहीं जानती ।

हमारे आयात से असंतुलन का पता लगता है । हमने कमी से अधिक आयात किया है, इसके बारे में स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये । इसका कारण यह है कि हमारी वितरण व्यवस्था इतनी त्रुटिपूर्ण है कि हम यह पता नहीं लगा सकते कि खाद्यान्न किस स्थान पर है और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में इसका वितरण नहीं कर सकते ।

इसलिये, यह आवश्यक है कि सरकार न केवल उत्पादन में वृद्धि की व्यापक घोषणा करे बल्कि इस बारे में इस प्रकार काम करे कि इस से सत्यनिष्ठा का प्रमाण प्राप्त हो । उदाहरण के लिए हम हर जिले में एक ताल्लुक ले सकते हैं और उस ताल्लुक को उस जिले के लिए उर्वरक प्राकृतिक खाद, ऋण की सुविधाओं और ग्रामीण आवास आदि के लिए प्रयोग का आधार बनाया जा सकता है ताकि उस प्रयोग की सफलता के कारण दूसरे निकट के ताल्लुकों में चेतना लाई जा सके ।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मूल्यों का है । दुर्भाग्य से कृषि मूल्यों के सम्बन्ध में इतना विचार नहीं किया जाता जितना कि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में किया जाता है । भारत को समान आर्थिक स्तर पर लाने के लिए कृषि वस्तुओं के मूल्यों में समानता लाना जरूरी है । इस बात का कोई औचित्य नहीं कि खाद्य निगम कुछ राज्य सरकारों को पृथक रूप से काम करने की अनुमति दे ।

जब भी किसी प्रकार का विधान लाया जाता है तो उद्योगपति लाभप्रद मूल्यों का प्रश्न खड़ा कर देते हैं । यह आवश्यक है कि कृषकों को भी लाभप्रद मूल्य मिले । कृषि मूल्य आयोग को यह देखना चाहिये कि लाभप्रद मूल्य निश्चित करते समय पूंजी, ऋण और उर्वरकों आदि सभी बातों पर ध्यान रखा जाये जैसा कि उद्योग के सम्बन्ध में किया जाता है और आयोग इस बात को भी ध्यान में रखे कि भूमि पर सभी परिवार परिश्रम करता है, केवल एक व्यक्ति नहीं ।

कृषि के कच्चे माल के निर्यात मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति है जबकि उस कच्चे माल से बनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं । फल यह हुआ है कि उद्योगपति बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं । सरकार को उचित आधार पर कच्चे माल के मूल्य निश्चित करने के लिये कोई प्रबन्ध करना चाहिये ।

क्या कारण है कि इस बात के बावजूद कि पिछले वर्ष चावल का उत्पादन 90 लाख टन अधिक हुआ है, वितरण सम्बन्धी संकट उत्पन्न हुआ है तथा आंध्र, असम और मध्य प्रदेश जैसे फालतू चावल वाले राज्यों में भी केन्द्रीय सरकार को चावल का कोटा भेजना पड़ा । सरकार की वितरण व्यवस्था में कुछ त्रुटि हैं और मुझे आशा है कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय सरकार इस को स्पष्ट करेगी ।

श्री रेड्डियार (तिडीवनम्) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं चाहता हूँ कि खाद्य तथा कृषि विभाग को उच्च स्तर का बनाया जाना चाहिये । इसे कम से कम प्रतिरक्षा मंत्रालय के स्तर का होना चाहिये, क्योंकि कृषि उत्पादन से ही हमारी सभी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और इससे हम सभी आर्थिक मांगों को पूरा कर सकेंगे । कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके वितरण में सुधार लाने के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के रास्ते में वित्तीय कठिनाइयां नहीं खड़ी होनी चाहियें । हमने कई योजनायें बनाई हैं और कई प्रतिवेदन तैयार किये हैं । परन्तु खेद इस बात का है कि इनको ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । परिणाम

यह है कि हम इन योजनाओं द्वारा जो सफलता प्राप्त करना चाहते थे उसको प्राप्त नहीं कर सके । जो अधिकारी जैसे विस्तार अधिकारी तथा राजस्व निरीक्षक आदि इन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, उनको बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबदील कर दिया जाता है और छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें दिल्ली से मंजूरी लेनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप कई योजनायें क्रियान्वित नहीं की जा सकीं क्योंकि दिल्ली से उनकी मंजूरी नहीं दी गई । पहले कई वर्ष तो योजनायें बनाने में लगाये जाते हैं और फिर उनको मंजूर करने के लिये भी चार अथवा पांच वर्ष लग जाते हैं ।

कृषि विभाग में अधिकारियों को जिस प्रयोजन के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें उस प्रयोजन के लिये नहीं लगाया जाता जिस प्रयोजन के लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । कृषि स्नातकों को औजारों, बीज, खाद आदि के वितरण तथा विक्रय पर तथा उनका हिसाब किताब रखने पर लगाया जाता है । हालांकि जिस प्रयोजन के लिये उन्हें यह शिक्षा दी गई है वह कुछ और ही है । मुझे ऐसे मामलों का भी पता है जिसमें विशेषज्ञों को ऐसे कामों पर लगाया गया और इस प्रकार उनके अर्जित ज्ञान से लाभ नहीं उठाया गया । एक बार गन्ने के विशेषज्ञ को धान का विशेषज्ञ बना दिया गया, क्योंकि उधर उसकी पदोन्नत का रास्ता बन्द था, हालांकि उसको इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था । इस प्रकार उनके ज्ञान को नष्ट किया जा रहा है ।

इसी प्रकार अनुसंधान के क्षेत्र में भी कई अनुसंधान योजनायें बनाई गईं और उनसे अच्छे परिणाम भी निकले, परन्तु उन परिणामों से किसानों को अवगत ही नहीं किया गया तो आप ही बतायें कि इस अनुसंधान का क्या लाभ है । हमें इन परिणामों से पूर्ण लाभ उठाना चाहिये । खण्ड विकास कार्य के अन्तर्गत विस्तार सेवा में सुधार करना चाहिये और इसमें किसानों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये ।

इस विभाग द्वारा प्रकाशित "एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट : प्रोब्लम्ज एण्ड प्रेसक्रिपशन" में कृषि उत्पादन सम्बन्धी जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है और उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो उपाय सुझाये गये हैं यदि उनको उसी प्रकार क्रियान्वित किया जाता तो मुझे पूर्ण आशा है कि हम कच्चे सामान तथा अनाज में न केवल आत्मनिर्भर ही हो जाते, परन्तु हम अपनी आवश्यकताओं से भी कहीं अधिक उत्पादन कर सकते । परन्तु कठिनाई तो यह है कि सरकार इस पहलू पर विचार गम्भीरता से नहीं कर रही है । इस मंत्रालय के प्रतिवेदन के पृष्ठ 6, कंडिका 124 में यह कहा गया है "कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये अनिवार्य चीजों तथा उत्पादन की समुन्नत प्रविधियों का इस प्रकार प्रबन्ध करना पड़ेगा कि यह चीजें किसानों को ग्रामों के निकट, समय पर तथा युक्तियुक्त कीमत पर उपलब्ध हों और इनके साथ ऋण देने के भी पर्याप्त प्रबन्ध हों" । यदि हम इसको सही ढंग से क्रियान्वित कर दें तो कोई कारण नहीं कि उत्पादन में वृद्धि न हो । परन्तु वास्तव में होता क्या है ? ऋण देने के मामलों में इतनी देरी कर दी जाती है कि जब तक वह राशि किसान तक पहुंचती है, किसान को 50 प्रतिशत से भी अधिक खर्च पहले ही कर देना पड़ता है । अतः उनको ऋण समय पर मिलना चाहिये ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने कृषि मूल्य आयोग को नियुक्त किया है । परन्तु खेद इस बात का है कि उसमें किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है । यह नितान्त आवश्यक है कि उसमें किसानों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिये, क्योंकि किसान ही बता सकता है कि उस वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जानी चाहिये जिसका वह उत्पादन करता है । मूल्य निर्धारित करते समय मशीनों तथा

[श्री रेड्डियार]

श्रौजारों के मूल्यापकर्ष (डेप्रिसियेशन) और अधीक्षण के लिये भत्ता आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिये ।

यह निर्धारित करते समय कि कहां कितना खाद अथवा उर्वरक पड़ना चाहिये, वहां की मिट्टी की पूरी जांच कर ली जानी चाहिये, ताकि हानि न हो ।

Shri Chandriki (Raichur): Mr. Deputy Speaker, Sir, our country is primarily an agricultural one where 70 per cent of our people live on agriculture, which is the biggest industry and the mother of all industries. It is, therefore, our duty to improve the living standards of those 70 per cent of our people who are engaged in agriculture. But this factor has not been taken into account while making provisions in the Budget. In this connection, I want to draw your attention to the resolution which was passed by the Ruling party at their Bhuvneshwar Session. It had been assured that in the next 10 years, the financial position of the country would be so improved that even the poorest people could have the minimum national income. But very little has been achieved in this direction. So long as we are not able to improve the lot of those 70 per cent of our people who depend on agriculture, we will not be able to achieve the target of production even in the next 10 years. We must, therefore, analyse our achievements in agriculture during the three Plans. Although the acreage under cultivation has increased by 14 million hectares but in spite of this and other facilities we have been extending, the food situation remains the same as it was before. The reason is this that the additional acreage brought under cultivation has gone to cash crops and also the other facilities like fertilisers and irrigation have gone to cash crops. Fertilisers are so costly that the food crops producers cannot afford to purchase them. But because the purchasing capacity of cash crops producers is more than that of food crops producers, thus the fertilisers are going to cash crops. In order to check this trend, I suggest that while cess should be levied on fertilisers given to cash crops producers, rebate should be allowed on the fertilisers given to food crops producers so that the food crops producers are able to purchase more fertilisers and by their application they are able to increase the agricultural production.

It is regretted that scientists working in the various Research Institutes under the control of this Ministry have not been given proper incentives nor there is any inspiring atmosphere in these institutes. The scales of pay of the agricultural scientists are so low that no youngman is ready to come forward for this type of work. These research institutes have, no doubt, been doing good work but the research is not reaching the farmers. No development is possible without research. I hope the thoughts expressed by the Estimates Committee regarding the position of these research institutes would be looked into by the Ministry.

Shrimati Satyabhama Devi (Jahanabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, in so far as agriculture is concerned, our country had all along been ahead of all the countries of the world in the past since olden times, but now the position has changed. Our production has failed to feed our increasing population. Our "Grow More Food" Campaigns have not been very successful during the last 17 years. That is why food scarcity has been occurring from time to time at one place or the other. We have to import lakhs of tons of foodgrains every year from foreign countries which resulted in a great loss to us of our foreign exchange which could have otherwise been utilised for other purposes. We have failed to attain self-sufficiency in foodgrains. When such is the state of affairs how we can progress and deal with our enemies at our borders.

As regards irrigation I would like to suggest that small and medium irrigation schemes should be implemented fully and more attention should be paid to these schemes rather than to the big projects. Every help should be given to farmers for sinking of wells, tanks etc. All these things will help us to a great extent to increase our production. In my region of Newada-Sub-Division, irrigation facilities have not been provided. The Minister of Irrigation and Power himself visited that region and realised our difficulty but it is regretted that nothing has so far been done. All possible steps should be taken to encourage the farmers. The irrigation charges should be reduced and arrangements should be made to provide credit to the farmers for the development of agriculture through Panchayats who should also be made responsible for the recovery of these credits. Arrangements should also be made to teach the farmers the new techniques of agriculture and in the use of new implements.

It is surprising that while a sum of Rs.36 crores is being spent on agriculture in the country, a sum of Rs. 448 crores is being spent on import of foodgrains from the foreign countries. While making provisions, due attention should be paid to agriculture.

One thing more to which I want to draw your attention is that the economic condition of farmers is very deplorable. It is so because of his ignorance and non-availability of facilities like fertilisers etc. He has to face numerous difficulties. The efforts so far made by the Government to remove his poverty were not adequate and the result is that their economic condition is going on deteriorating day by day. While relief has been given to all the sections of the people in the Budget of this year, but no relief has been given to the farmers. I hope, some concession would be given to the farmers in the new Five Year Plan.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : श्रीमान, मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 6, 7, 8, 9, 46 और 56 का समर्थन करता हूँ। भारत में कृषि सबसे बड़ा उद्योग है और हमें इस पर राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत खर्च करना चाहिये, परन्तु आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पर केवल 36 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं और खाद्यान्न का जो हम आयात करते हैं उस पर 448 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। कृषि के विकास को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिये। हम विदेशी आक्रमण का तो मुकाबला करेंगे परन्तु उसके साथ साथ खाद्य स्थिति की अवहेलना भी नहीं की जा सकती। युद्ध के पश्चात् जैसे पश्चिमी जर्मनी तथा जापान ने कृषि का विकास किया था उसी तरह हमें भी अधिक खाद्य पदार्थों को उगाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। हमें भी घर के आंगनों में आलू और सब्जियां उगानी चाहियें। जब तक हम ऐसे उपाय नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। आज आयतित गेहूँ बाजरे से भी सस्ता है और इसलिये पशुओं को भी गेहूँ ही डाला जा रहा है क्योंकि यह गेहूँ अन्य सभी खाद्यान्नों से सस्ता पड़ता है। सरकार की नीति कितनी सराहनीय है कि इससे आज मानव और पशु को बराबरी का अवसर तो प्राप्त हुआ है।

हमारी सरकार की नीति की दूसरी विशेषता यह है कि जहां एक तरफ तो सरकार मजदूर संघों को प्रोत्साहन देती रही है परन्तु दूसरी ओर किसानों का कोई संगठन ही नहीं है। एक नाम मात्र का भारत कृषक समाज नामों संगठन अवश्य है परन्तु उस पर सभी किसानों को प्रतिनिधान नहीं मिला है। अतः मैं सरकार तथा संसद् सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों का भी एक बहुत शक्तिशाली संगठन होना चाहिये। किसानों को जिम्मीदार तथा शाहूकार हमेशा लूटते रहे हैं और इसका परिणाम यह निकला है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 20,000

[श्री नरेन्द्र सिंह महीडा]

किसानों को, उनकी भूमि का औद्योगिक प्रयोजन रेलों तथा सड़कों के लिये अर्जन करके भूमि से वंचित कर दिया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह रेलें, सड़कें आदि आवश्यक हैं परन्तु हम उन्हें पुनः खेती-बाड़ी में ही क्यों नहीं लगाते हैं। कहने को तो कहा जाता है कि कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। किसानों को उनकी भूमि से वंचित करके उनको श्रमिक बनाया जा रहा है।

किसानों को उर्वरक, खाद, ऋण अथवा उधार, पौदा परिरक्षण रसायन और अच्छे बी दिये जाने चाहियें। उनको ऐसा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे वे अधिकाधिक उत्पादन करें। नकदी फसलों को निरुत्साहित किया जाना चाहिये। एक ओर तो यह कहा जा रहा है कि खाद्यान्न की कमी है और दूसरी ओर गुजरात राज्य में किसान तम्बाकू तथा रूई का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार को कानून द्वारा अथवा अन्यथा यह अनिवार्य ठहराना चाहिये कि किसान अपनी आवश्यकताओं का तीन चौथाई खाद्यान्न उत्पन्न करें ताकि वे इसमें आत्म निर्भर हो सकें। हमें उनको बाध्य करना चाहिये कि वह नकदी फसलों की उपेक्षा खाद्य फसलें अधिक उगायें।

दूसरा सुझाव यह है कि किसानों को तकनीकी परामर्श दिया जाना चाहिये जिससे वे अपनी भूमि से पूर्ण लाभ उठा सकें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कृषि संस्था है और आसपास कुछ कृषि कालेज भी हैं, परन्तु यह कालेज केवल उच्च वर्गों के लिये हैं अर्थात् उनके लिये हैं जो शिक्षित हैं और जो अंग्रेजी जानते हैं। इन कालेजों से गांव के लोगों का कोई लाभ नहीं होता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि ऐसी संस्थाओं को साथ लगते गांवों के किसानों के साथ सम्पर्क जोड़ना चाहिये और उन्हें कृषि सम्बंधी कुछ ज्ञान की बातें बतानी चाहिये, जिससे वे लाभ उठा सकें।

सिंचाई और पानी देने की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिये। मेरे राज्य गुजरात में इन सुविधाओं की कमी है क्योंकि वहां पर केवल 5.9 प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है जबकि अखिल भारत में 17 प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। इस राज्य को खाद्यान्न के आयात पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि यही राशि नर्बदा घाटी परियोजना पर खर्च की जाये तो इससे न केवल सिंचाई सुविधाओं की कमी दूर हो जायेगी परन्तु वहां का नकशा ही बदल जायेगा। यदि नर्बदा से पानी कच्छ को दिया जा सके तो वहां पर 10 लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है और इस प्रकार कच्छ की रन की भूमि को उर्वरा बनाया जा सकता है।

महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल ने ठीक ही कहा है “कि कृष्य भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने से खाद्य उत्पादन में वृद्धि की सम्भावनायें खत्म हो जाती हैं।” छोटी जोतों से उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें कृषि के आधुनिक तरीकों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। ऐसी छोटी जोतों में न तो ट्रैक्टर चलाये जा सकते हैं और न ही उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। लोगों को सरकार अच्छे किस्म के बीज तथा खाद देने और कृषि के नये तरीकों को अपनाने में जो सुविधायें दे रही है उनसे वे छोटी जोत होने के कारण लाभ नहीं उठा पाते। अतः सरकार को जोतों पर सीमा के हटाने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करना चाहिये। तभी अधिक उत्पादन हो सकेगा। महाराष्ट्र तथा गुजरात में भूमि पर उच्चतम सीमा होने के कारण हम लोग केवल 3600 रुपये प्रतिवर्ष कमा सकते हैं, जबकि दिल्ली, बम्बई अथवा अहमदाबाद जैसे बड़े नगरों में आय पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। अब इस 3600 रुपये की आय से हम कैसे ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और खेतीबाड़ी के नये तरीकों को कैसे अपना सकते हैं। भूमि उन लोगों को दी जानी चाहिये जो उसका विकास करना चाहते हों और जो अधिक खाद्य उत्पादन करना चाहते हों। यह ठीक है कि भूमिहीन लोगों को रोजगार मिलना

चाहिये, परन्तु उनके हित के लिये गांव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये, क्योंकि ऐसे भूमिहीन लोग खेती बाड़ी में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। वे अपने निर्वाह के लिये केवल 10 अथवा 12 मन बाजरा पैदा करते हैं। भूमि पर सीमा लगाने के कारण उत्पादन कम हो रहा है। धीरे धीरे सारी भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जायेगी तथा स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी।

सहकारी कृषि से भी कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे राज्य में 95 प्रतिशत समितियां असफल रही हैं। जहां यह असफल रही हैं वहां पर भूमि किसानों को वापस मिल जानी चाहिये और जो उन पर ऋण हैं उन्हें सरकार को चुकता करना चाहिये। बड़ोदा और पंचमहल के बीच पला नामक गांव है जहां पर लोगों को भूमि से वंचित कर दिया गया है और उनके सिर पर ऋण भी है। ऐसी अवस्था में इस सारे प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को तुरन्त उपलब्ध किया जाना चाहिये। सरकारी उद्योग समितियों को कार्य तत्परता से करना चाहिये।

जिस प्रकार हम सब संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति के लिये आवश्यक समझते हैं उसी प्रकार धरती से गरीबी को दूर करने के लिये एक संयुक्त खाद्य संघ स्थापित किया जाना चाहिये। जब तक निर्धनता को दूर नहीं किया जाता तब तक विभिन्न क्षेत्रों में जो झगड़े हो रहे हैं उनको नहीं रोका जा सकता।

Shri Shashi Ranjan (Papri) : India is primarily an agricultural country and 70 per cent of the population is dependent on agriculture. Just as sun is the centre of the solar system, the agriculture occupies the most important place among the industries of India.

We didn't pay any attention to Agriculture during the two five year plans as a consequence of which the prices of foodgrains have doubled and the import of foodgrains has increased three-fold. It is a matter of shame that there should be shortage of foodgrains when there is such fertile land as Gangetic Valley.

The individual should not depend on the Government solely but should make his own efforts also. I congratulate the hon. Minister for paying attention to different aspects of the problem and removing the short-comings where ever they existed.

There are two aspects of the problem, production and distribution. The Department of Agriculture is an old one and is not suitable for increasing the production because the men working here do not have the requisite knowledge. We must undertake this work at the Block level. In my opinion in each Block there should be one laboratory equipped with tractors, fertilizers, insecticides and arrangement for soil testing which are all essential for increasing the production. All these facilities should be provided free to the tillers on the profit sharing basis. If there is increase in production as a result of these facilities, then the Government can take a part of the profit from the crops for three years. This way the farmer will not be investing anything in cash and the net result will also be very good.

The agriculturists, in our country do not know even the basic things such as rotation of crops, Agronomy, economic holding etc. Somebody from the Agriculture Department should come and inform them that how the crops are rotated and how small holdings should be combined to form one economy holding. Our food shortage is about 8 or 9 percent and I hope that if we utilise all these methods then this shortage can be overcome. We will take sometime

[Shri Shashi Ranjan]

in controlling draughts, floods and irrigation but we can adopt the above mentioned methods very quickly.

The Congress tried to propagate the idea of cooperative farming but it has not been successful. This is the age of individualism; we must first of all cultivate this idea in the farmers. I know in a village near Delhi, the farmers dug a well on a co-operative basis. The value of the land has gone up so much that the land which they were selling at Rs. 1000 per acre, they are now not prepared to sell at Rs. 5,000/- per acre. It is not necessary that land should be pooled, even irrigation and fertiliser can be prepared on co-operative basis.

To-day a graduate in Agriculture doesn't like to enter the field and work there, more particularly, because he finds that doctors, engineers, lawyers etc. just sit in their offices and work. Therefore we must start trying giving education at the primary and secondary stage so that the student when he grows up knows the usefulness of working in the field.

The main reason for the shortage of foodgrains is the Control of foodgrains. A person has to spend the whole of his day in waiting at the shops selling the foodgrains at controlled rates. He tries to purchase the maximum food according to his capacity because he is not sure whether he will get it tomorrow or not. Therefore we must revise our Control Policy.

We must give due encouragement to the agriculturists. Our industries cannot progress till our agricultural production increases. Therefore the Government must think in this direction and give all facilities to the farmers to increase agricultural production so that the country may become self-dependent.

Shri Sumat Prasad (Muzaffarnagar): 70 per cent of our population is dependent on agriculture. Last year the price of wheat rose up Rs. 50 per maund with the result that there was demand for increased dearness allowance from teachers, Coolies, Clerks etc. If we are not able to improve our food situation then our five year plans cannot be successful. Even after three five year plans the food crisis persists. We are not following any definite policy. In 1957 the Food grain Enquiry Committee had recommended the building of buffer stocks to be released when the prices tend to rise. But this policy has not been successful.

Last year we imported 6 million tons food grains and had we not received it the situation would have become very serious. We must try to keep the prices of essential commodities. According to figures contained in a book "Agricultural development problem and perspective". There has been an increase of 3.23 per cent in foodgrains from 1952 to 1955 and an increase of 7 per cent from 1949 to 1952. The population also increased at the rate of 2.5 per cent.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
Dr. Sarjini Mahishi in the Chair]

We must treat agriculture like an industry. All the necessary things should be made available to the farmers in time. There are 6 crore farmers and more than 60 per cent possess less than 5 acres of land. Therefore the Government must devise some such method to convert these small holdings into economic holding.

The income from agriculture is less than professions and industries. Therefore the talented boys do not like to take agriculture as subject come to this side.

It has also been mentioned in the book referred to by me that unless cultivation is done on scientific lines, our production cannot increase. We can increase the production three to four times by testing the soil and sowing the suitable crop. This is the only way of increasing the income of the farmer, because by the increasing the prices our economic structure will collapse.

We are laying too much stress on industrialization. But where is the market for them? If we are able to improve the economic condition of our 70 per cent population, the farmers, then their purchasing power will increase and our industrial products will find the necessary market in the country also. I want to read something mentioned at page 4 of this book.

‘सरकार 6 करोड़ कृषकों की स्थिति इस प्रकार सुधार सकती है :

- (क) विकास कार्यों में उन्नति करना ।
- (ख) खाद, अच्छे बीज, कीट नाशकों तथा सीमेंट के वितरण की व्यवस्था में सुधार करना ।
- (ग) अनुसंधान द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना ।
- (घ) आर्थिक प्रोत्साहन देना ।
- (ङ) ऐसी स्थिति बनाना जिससे कृषि में अधिक विनियोजन हो ।

If all these measures are undertaken, then I am sure that agricultural production will increase.

Whenever there is scarcity of foodgrains, the Government has to exercise certain controls for the benefit of weaker sections of the society. But because of inefficiency in the distribution machinery the control is not effective. Few days back wheat was in Delhi at Rs. 30 per 40 kilogram while at Ghaziabad it was selling at Rs. 40 per 40 Kilogram. This naturally leads to corruption. Along with irrigation attention should be paid to water logging also. Unless there is input there cannot be output. Therefore the Government should pay utmost attention to the problems of the farmers.

Shri Vishram Prasad (Lalganj): A Government which has not been able to solve the food problem cannot do anything for defence or increasing the production.

I have come to know that in 250 municipalities 6 lakhs persons die of hunger. The Government is providing a ration of four chhataks which is not sufficient for a manual worker. There are many persons in Eastern U.P. who are living on mollasses and stone of the Mango. This Department has got a budget of Rs. 5,89,55,72,000 and its production figures are :

1960-61	8 lakh tons.
1961-62	8 lakh tons.
1962-63	7.84 lakh tons.

If the production increases than the planning is good but if it goes down then the whole blame is put on the nature. Every year we are spending crores of rupees for importing foodgrains and this year also Rs. 4,48,30,00,000 have been set aside for the import of foodgrains. The reason for all this is that the farmer has been neglected.

What are the reasons that the agricultural production is not increasing. The first reason is that agriculture as a profession is not paying. Secondly,

[Shri Vishram Prasad]

because of high cost of the fertiliser people want to sow cash crops. Then there is great shortage of irrigation facilities. People merely depend on rain water which is there only for 3 months in a year. The Government should make arrangement for Cheap timely and sure supply of water. If irrigation facilities can be improved, we can have three crops in one year.

The Government is supplying power to an alluminium factory in U.P. at the rate of 3 np. per unit while for tube wells it is available at the rate of 9 np. per unit. During the last 5 years 17½ crore rupees have been spent on 13 Blocks. Had this money been spent on digging wells and tube wells, perhaps the food problem would have been solved long back. I would request the Government to give top priority to irrigation. The fertilizers should also be provided to the farmers at cheap rates.

I may inform you about another fact that some people are preparing Sal-ammoniac out of ammonium chloride fertiliser. The Government is making so much publicity about the cow dung gas plant, but it is to be found only on paper. Unless and until the nitrogenous fertilisers and phosphatic fertilisers are in right proportion, they are likely to have an adverse effect on the crop. Therefore the Government should supply balanced fertiliser.

It has been mentioned in the Nalagarh report that in Agriculture Department 30 to 80 per cent staff is still temporary. Our Government has got wrong notion that I.A.S. and I.C.S. personnel are jack of all trades and can fit in anywhere. Even the technical personnel are working under I.A.S. Officers. I want to make a recommendation in this context that all the technical personnel in the Agriculture Department should be confirmed. All the 30 to 80 per cent technical staff should also be confirmed.

When the farmer sells his produce in the market, he is forced to sell at a very cheap rate, but when he goes to market to purchase it he gets it at a very high cost. The Government must ensure that the difference in price should not be more than one anna per seer. Another thing I want to stress is that you must build buffer stocks to be used in times of emergency.

Zonal system should also be abolished as it leads to corruption and disparity in prices. The farmer should be given loan at no or nominal interest. A farmer whose annual income is less than Rs. 3,600 should not be charged land revenue. The land should be given to the tiller only.

The distribution of sugar should be rationalised. A single person gets 7 kilos of sugar and a family man also gets 7 kilos of sugar. The price of sugar cane should be fixed at Rs. 3 per maund.

Graduates in Agriculture should be required to work in villages for three years before applying for a job in cities. Attention should be paid to the development of animal husbandry also. In the end I would request you to make such plan that a poor man should be able to keep body and soul together.

Shri Lahtan Choudhry (Saharsa): Sir, the Government have taken some steps to solve the food problem and have determined to give incentives to the producers and to see that the prices are fixed in such a way as would help in increasing the agricultural production. As regards giving of incentives is concerned, I would like to quote some figures to show that how the Government have been helping the agriculturists. The price-index number in respect of foodgrains during 1963 was 102·8, but price index number in regard to manufactured goods during that year was 129·8 and in case of Cloth it was In order to remove this inequality and thus to help the farmers the Government fixed

the prices of agricultural produce in such a way that the price-index of food-grains has risen to 144.9 from 102.8 in 1963. The index number in respect of manufactured goods is now 140.7 and in case of cloth it is 133.7. It is clear from these figures as to how the Government have achieved their aim of bringing the level of price-index of agricultural commodities at par with that of manufactured goods and thus have helped the farmers. It has been stated in this House that the prices of agricultural commodities should be increased further for the benefit of the agriculturists, but I think that the prices should not be increased otherwise the people other than agriculturists and particularly the salaried class of the population will be put to a lot of difficulty.

The second thing I would like to point out is this that the small agriculturists are not actually benefited by the prices fixed by the Government, because when the crops are ready in the fields, the big businessmen go there and give them advances and purchase their produce at half the price fixed by the Government. These small farmers are very poor and in order to meet immediate financial requirements they dispose of their produce. I would, therefore suggest that the Government should seriously consider the question of giving advances to those agriculturists against their standing crops. It would help the Government in creation of buffer stock and also serve the needs of the farmers.

The Government has not succeeded in achieving the purpose for which the ceiling prices of agricultural commodities were fixed. Speculation is responsible for this. Besides the big agriculturists indulge in hoarding their produce and sell it at a time convenient to them. This leads to artificial shortage and thus there is black marketing. In order to overcome this difficulty, the Government should try to improve their methods of procurement. If the Government cannot fix the ceiling prices effectively, there should be no ceiling on prices.

The last thing which I want to point out is this that the jute growers are in a very deplorable condition. We are earning foreign exchange from jute to the tune of Rs. 176.10 crores, but proper facilities have not been provided to the jute growers. The support price fixed by the Government is not helped to them and the traders are looking them. Subsidy should be given to them. 10 per cent of the total quantity of jute which is exported, is produced in the district of Saharsa in Bihar. The jute growers there have to bring their produce from the interior to the market which is at a distance of 30 to 40 miles, but the communications in those areas are quite unsatisfactory. The Government should, therefore, improve the communications in those areas.

Shrimati Shashank Manjari (Palamau): Mr. Chairman, Sir, India is mainly an agricultural country where 80 per cent of the population depend on agriculture. But in spite of this fact, we have to import lakhs of maunds of foodgrains from abroad every year. The Government are no doubt something to solve the food problem. They are developing irrigation potential and arranging to provide better seeds, tractors and agricultural implements to the farmers. In spite of all these efforts being made by the Government there is shortage of foodgrains in the country. After all what is the reason for this shortage? The reason for this shortage is this that the facilities being provided by the Government are not adequate. The food problem is becoming more and more complicated day by day. The Government have failed to check the rise in prices, because the traders are not co-operating with the Government. The Government should take stringent action against hoarders. The uncultivated land in Dandakaranya should be brought under cultivation. To day, we find profiteering, hoarding, black marketing etc. are going on in open. Our bad planning, wrong policies and short-sightedness are responsible for all these ills.

[Shrimati Shashank Manjary]

The restrictions on movement of foodgrains from one state to another state, control and permit system are responsible for rise in prices, shortage of foodgrains and all corrupt practices resulting therefrom. Consequently the people have to suffer. These restrictions should be removed. The permit system should be abolished and let there be free movement of foodgrains so that the people could get them easily. The condition of people in rural areas in Bihar is very tragic. Nothing is available there. The quota which is given to them is very meagre and they cannot afford to purchase foodgrains from the market due to high prices. We find small children asking for alms in trains and trying to find out something for eating from the dust bins. It is obvious as they grow they will have no other alternative but to indulge in thefts and pick-pocketing. The Government should pay attention to them.

Irrigation facilities should be provided in Bihar state. The enforcement of the sharing System in Bihar is not going to be helpful to anybody, neither the tillers nor the agricultural labourers. I would, therefore, suggest that the matter should be reconsidered by the Government.

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर-उत्तर) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। जैसाकि स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री नेहरू जी कहा करते थे, कृषि गैर-सरकारी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उद्योग है। इसलिये हमें कृषि उत्पादन के महत्व को भली प्रकार समझना चाहिये, क्योंकि संतुलित मूल्य ढांचा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त की गई सफलता पर निर्भर है। अतः हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन पर निर्भर है। हमें न केवल खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करनी चाहिये अपितु फालतू उत्पादन भी करना चाहिये। इस फालतू उत्पादन से हमें अपनी अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य उद्योगों का विकास करने में सहायता मिलेगी। इस मामले में, इस मंत्रालय की जिम्मेदारी केवल सिंचाई सम्बन्धी छोटी योजनाओं, उर्वरकों के लिये धन जुटाना तथा केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय करना है। इस क्षेत्र में यह मंत्रालय भरसक प्रयत्न कर रहा है परन्तु इस दिशा में प्रयत्न करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्यों पर है। हम यहां इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से विचार करते हैं और कहते हैं कि कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये, परन्तु जिला अथवा खण्ड स्तर पर यह कार्य गम्भीरता से नहीं किया जा रहा है। राज्य मंत्रियों को खाद्य समस्या को हल करने में भरसक प्रयत्न करने चाहियें, परन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। उदाहरणार्थ तकावी ऋण मंजूर कराने के लिये किसानों को समय और धन बरबाद करना पड़ता है और तब कहीं जाकर कई महीनों के पश्चात मंजूरी मिलती है। इसमें सन्देह नहीं है कि हमें वित्त संबंधी ऋणों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हमें इन सीमित साधनों से अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। जिला विकास परिषदों की दो अथवा 3 महीनों में केवल एक बार बैठक होती है और वह भी केवल दो घंटों के लिये, जिसमें उन्हें 50 अथवा 60 विषयों को निपटाना पड़ता है। इस प्रकार हम समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। अतः मेरा सुझाव यह है कि कृषि सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जिसका अध्यक्ष सहायक आयुक्त हो। इस समिति को पर्याप्त अधिकार तथा धन दिया जाना चाहिये जिससे वह अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके। इस समिति की सप्ताह में एक बार बैठक होनी चाहिये, ताकि सीमित साधनों से कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा सकें। प्रत्येक

राज्य में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि किसानों को ऋण लेने में कोई असुविधा न हो।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : सभापति महोदय, मैंने सभी सदस्यों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है, जिनमें इस मंत्रालय की गतिविधियों के विरुद्ध इतनी आलोचना नहीं की गई है। अतः मैं यह समझता हूँ कि सदस्य खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में हमारी पुनरीक्षित नीति से सहमत हैं। हमने यह नीति बड़ी सावधानी से विचार करने के पश्चात् निर्धारित की है और मेरे विचार में यह वर्तमान परिस्थितियों में सर्वोच्च नीति है। यह पहली बार सिद्धांत रूप से स्वीकार किया गया है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिये जाने चाहियें। मूल्यों की मात्रा के बारे में भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं कि आया ज्ञा समिति द्वारा, जो कि एक तदर्थ समिति थी, निर्धारित किया गया मूल्य दिया जाना चाहिये अथवा इससे भी अधिक मूल्य दिया जाना चाहिये, परन्तु यह अब सिद्धांत रूप से मान लिया गया है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिये जाने चाहियें। इस नीति के अनुसरण में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग अर्थव्यवस्था के सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर मूल्यों को निर्धारित रूप करने के मामले पर विचार करेगा। मेरे विचार में यह बहुत अच्छी नीति है और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।

एक अथवा दो सदस्यों ने सहकार समितियों को लाइसेंस देने के बारे में सरकार की नीति की आलोचना की है। श्री शिवमूर्ति स्वामी ने यह कहा कि चीनी मिलें स्थापित करने में उद्योगपतियों को उत्साहित किया जा रहा है परन्तु सहकारी संस्थाओं को ऐसा करने से निरुत्साहित किया जा रहा है। स्थानीय समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री तथा राज्य सरकार ने चीनी कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की थी परन्तु हमने उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया और कि सरकार को सहकारी आन्दोलन को उत्साहित करना चाहिये। मैं इस बारे में कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में 139 चीनी कारखाने थे जिनमें से केवल दो कारखाने ही सहकारी क्षेत्र में थे—एक आन्ध्र प्रदेश में और दूसरा महाराष्ट्र में। उस समय इस उद्योग से 16.7 लाख टन चीनी का उत्पादन होता था जिसमें से केवल 0.14 लाख टन उन कारखानों से उत्पादन होता था जो सहकारी क्षेत्र में थे। इसके पश्चात् सहकारी क्षेत्र में जो विकास हुआ उसको यदि हम देखें तो आपको यह आलोचना जो इस सम्बन्ध में की गई है अनुचित प्रतीत होगी। पंचवर्षीय योजना के दौरान 10.6 लाख टन चीनी का उत्पादन करने के लिये 70 कारखाने स्थापित किये गये थे। इन 70 कारखानों में से 54 कारखाने सहकारी क्षेत्र में थे और इन की उत्पादन समर्थ्य 8.56 लाख टन थी। इनके अतिरिक्त 2 सहकारी कारखाने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व थे और एक अन्य कारखाना जो कि पहले संयुक्त स्कन्ध कम्पनी था, परन्तु बाद में इसे सहकारी कारखाने में परिवर्तित कर दिया गया था, वह भी अपनी पूरी सामर्थ्य से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार सहकारी क्षेत्र में जहां पहले 0.18 लाख टन चीनी का उत्पादन होता था अब 8.56 लाख टन चीनी का उत्पादन हो रहा है, जबकि कुल उत्पादन 33.77 लाख टन हो रहा है। दक्षिण में नये कारखाने स्थापित करने के बारे में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इन 57 कारखानों में से, जो सहकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं, 20

[श्री दा० रा० चव्हाण]

कारखाने महाराष्ट्र में, 3 गुजरात में, 9 आन्ध्र प्रदेश में, 2 केरल में, 6 मद्रास में, 4 मैसूर में, 4 उत्तर प्रदेश में, एक बिहार में, 6 पंजाब में, एक आसाम में और एक उड़ीसा में स्थापित किये गये हैं। 1960-61 तथा 1962-63 में चीनी उद्योग के लिये लाइसेंस देने बन्द कर दिये गये थे, क्योंकि चीनी का फालतू उत्पादन होने लगा था। 1963 में इस प्रश्न पर पुनः विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि 8 लाख टन चीनी के उत्पादन के लिये अतिरिक्त लाइसेंस दिये जायें। प्रार्थना पत्र मंगाये गये और कुल 229 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इन में से 108 प्रार्थना-पत्र विद्यमान कारखानों में विस्तार करने के लिये थे तथा 121 प्रार्थना पत्र नये कारखाने स्थापित करने के लिये थे। जांच समिति द्वारा इन 108 मामलों पर विचार किया गया और इनमें से लगभग 62 मामलों में आश्च-पत्र दे दिये गये हैं। इनमें से 22 मामले सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित थे और शेष 40 संयुक्त स्कंध कम्पनियों के थे। इस प्रकार 8 लाख टन में से 1.86 लाख टन चीनी का अतिरिक्त उत्पादन सहकारी क्षेत्र में होगा और 2.26 लाख टन चीनी का अतिरिक्त उत्पादन इन 40 संयुक्त स्कंध कम्पनियों में होगा। अन्य प्रार्थना-पत्रों में से, जो कि सरकार के विचाराधीन हैं, 121 तो नये कारखाने लगाने के लिये हैं। यह सभी प्रार्थना-पत्र जांच समिति के विचाराधीन हैं।

प्रति एकड़ उत्पादन के बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1952-53 में यह केवल 11.9 टन था। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप अब प्रति एकड़ उत्पादन 18.4 टन तक पहुंच गया है। अब मैं देश में कुल उत्पादन, खपत और निर्यात के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

ग्रामतौर पर यह आलोचना की जाती है कि जब देश में खपत के लिये चीनी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी बहुत कम है, तो फिर चीनी का निर्यात क्यों किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति स्पष्ट करूंगा।

1963-64 में चीनी की स्थिति अत्यन्त खराब थी। इसके दो कारण थे। एक तो उत्पादन कम हुआ था तथा दूसरे पिछले वर्ष के चीनी के उत्पादन में से बहुत कम चीनी बची थी। अतः चीनी को उचित मूल्य पर और समान रूप से वितरित करने के लिये मूल्य का नियमन तथा चीनी के वितरण की प्रणाली को जारी रखना पड़ा।

1964 में चीनी का निर्यात 2.34 लाख टन हुआ जब कि 1962 में 3.74 लाख टन तथा 1963 में 4.79 लाख टन था। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक होने के कारण हमने 19 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में कमाये यद्यपि गत दो वर्षों की तुलना में चीनी कम मात्रा में निर्यात हुई।

आंतरिक संभरण स्थिति को देखते हुए 1965 के दौरान चीनी के निर्यात के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। यह निर्णय किया गया है कि चीनी का निर्यात तो होता रहना चाहिये परन्तु निर्यात घटा कर 2.5 लाख टन कर दिया जाय। यह भी फैसला किया गया है कि स्थिति पर कुछ समय के बाद फिर गौर किया जावे जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या चालू सीजन में उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए

और अधिक निर्यात किया जा सकता है अथवा नहीं। इस फैसले के अनुसार अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा तथा मलेशिया के साथ चीनी के निर्यात के बारे में समझौते किये गये हैं। अमरीका को 91,000 टन ब्रिटेन और कनाडा को 1,27,000 टन तथा मलेशिया को 20,000 टन चीनी का निर्यात किया जायेगा। कुल 2.38 लाख टन चीनी निर्यात की जायेगी। यह अनुमान लगाया गया है कि 2.38 लाख टन चीनी के निर्यात से हमें लगभग 10 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होंगे। राज सहायता के कारण 12 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह कहा जाता है कि यदि हमें हानि होती है तो हम निर्यात क्यों करते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि निर्यात सम्बन्धी हानि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निर्भर करती है जिस पर हमारा काबू नहीं है।

अनेक कारणों से देश में चीनी का मूल्य बढ़ गया है। गन्ने की प्रति क्विंटल कीमत 5.36 रुपये हो गई है जब कि 1958-59 में यह 3.86 प्रति क्विंटल थी। केवल गन्ने की ही कीमत बढ़ जाने से भारतीय चीनी की कीमत प्रति टन 150 रुपये बढ़ गई है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(MR. SPEAKER in the chair)

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि चीनी के निर्यात की कोई योजना "जब चाहो जैसे चाहो" पर आधारित नहीं हो सकती। यह बात भी याद रखनी चाहिये कि चीनी का आयात करने वाले देश अत्यन्त विकसित देश हैं और वे उन देशों से चीनी का आयात करना चाहते हैं जो उनको बराबर चीनी का संभरण कर सकें और जिन पर वे निर्भर कर सकें। विभिन्न मंडियों में पांव जमाने के लिये निर्यात का बराबर होते रहना भी आवश्यक है। निर्यात नीति बनाने में एक और बात ध्यान में रखने वाली यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अन्तर्गत जो दायित्व हम पर आते हैं उनका पालन करना आवश्यक है। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिये कि विश्व के देशों में गन्ने का संभरण उनकी मांग से कहीं अधिक है और इसीलिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का मुकाबला करना ही पड़ता है।

प्रश्न यह है कि निर्यात में होने वाली हानि कैसे कम की जाय तथा हम किस प्रकार से अपनी चीनी प्रतियोगी दर पर बेचें। चीनी के निर्यात में होने वाली हानि को तभी कम किया जा सकता है जब प्रति एकड़ उपज बढ़े तथा गन्ने की किस्म में सुधार हो। इस कार्य के लिये विकास योजनायें चालू हैं। यदि उत्पादकों को अच्छे किस्म के गन्ने की फसल उगाने के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध की जायें तो गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ सकती है। प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में किसान की दिलचस्पी, लगन का भी बहुत महत्व है।

अब मैं खाद्य विभाग के कुछ अन्य कार्यों के बारे में बताऊंगा। इस विभाग का एक सहायक खाद्य कार्यक्रम है जिसका कार्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना तथा उसको लोकप्रिय बनाना है जिससे अन्न के स्थान पर अन्य पोषक खाद्य पदार्थों की खपत को बढ़ावा मिले।

[श्री दा० रा० चव्हाण]

एक खाद्य तथा पोषण बोर्ड भी स्थापित किया गया है जो सहायक तथा पोषी खाद्य पदार्थों के विकास तथा उनको लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम को तेजी से व समन्वित तथा प्रभावरूप में क्रियान्वित करने की दिशा में योग देगा ; इसमें 10 सदस्य होंगे । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक योजनाएँ हैं । खाद्य विभाग के सहयोग से कई राज्य सरकारें बहुप्रयोजनीय खाद्य कारखाने भी स्थापित कर रही हैं ।

एक परियोजना और भी है जिसका नाम चलता-फिरता खाद्य तथा पोषण विस्तार एकक है । यह परियोजना खाद्य तथा पोषण विस्तार सेवा से संबंध है जो विद्यमान ज्ञान तथा खाद्य और पोषण के क्षेत्र में इस ज्ञान के उपयोग के बीच के अन्तर को मिटाने के उद्देश्य से बनाई गई है ।

सामुदायिक डिब्बे भरने तथा खाद्य संभरण सम्बन्धी केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं । इनका कार्य यह है कि ये लोगों को यह शिक्षा दें कि सब्जियाँ व फल अच्छे दशा में कैसे रखे जा सकते हैं ।

बम्बई, मद्रास, दिल्ली व कलकत्ता स्थित खानपान प्रविधि तथा व्यावहारिक पोषण की चारों संस्थाओं में, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं, पाठ्यक्रम चालू हो गये हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह बहाना लेना कि इस सम्बन्ध में मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, बहुत अनुचित है । राजनैतिक तथा प्रशासकीय दोनों ही प्रकार से केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी है । यदि हम खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो अत्यन्त आवश्यक है कि समन्वय तथा केन्द्रीयकरण की ओर पूरा ध्यान दिया जाये ।

इस संदर्भ में मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि अधिक समन्वय के हेतु मैं ने रेगिस्तान विकास प्राधिकार के गठन का सुझाव दिया था, जिससे देश में शुष्क क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आरम्भ किया जा सकता है । दो वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक इस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है । सरकार ने सभा में आश्वासन दिया था कि इस प्रकार के निकाय की अवश्य स्थापना की जायेगी ।

मैं जानता हूँ कि इस निकाय के बनाने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं । परन्तु इन रेगिस्तान इलाकों का विकास करने की दृष्टि से, जहाँ आबादी घनी नहीं है तथा जहाँ पर कृषि के विकास की बहुत सम्भावना है, सरकार से यह आशा की जा सकती है कि वह इस दिशा में तत्काल कदम उठाये । इस निकाय के क्षेत्राधिकार में लद्दाख तथा रायल सीमा के शुष्क क्षेत्र भी होने चाहियें ।

जोधपुर स्थित शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था अच्छा कार्य कर रही है । इससे सरकार को यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर क्या किया जा सकता है । सरकार का यह

कर्तव्य है कि वह इस अनुसन्धान के परिणामों को वास्तविक रूप से प्रादर्शित करके किसानों को इनका लाभ पहुंचाये ।

सरकार बताये कि रेगिस्तानी इलाके के विकास के लिए सहयोग देने का जो प्रस्ताव इजराइल ने किया था उसको क्यों ठुकरा दिया गया है । इजराइल अब मरुभूमि के विकास के मामले में सब से आगे है ।

सरकार ने जिस प्रकार से कृषि उत्पादन को बढ़ाने की समस्याओं को हल करने की कोशिश की है उसकी कटु आलोचना की है । वास्तव में यह बहुत खेद की बात है कि भूसे तथा घास के संसाधनों तथा मिट्टी के संरक्षण जैसी बातों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है ।

समिति ने भू-संरक्षण के बारे में अनेक सिफारिश की हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो किस प्रकार की मिट्टी के सर्वेक्षण तथा उसके संरक्षण के बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है । जब तक सारे अनुसंधान कार्य को और अधिक प्रगतिशील नहीं बनाया जायेगा, तब तक कृषि के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती ।

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह विस्तार से यह बताये कि देश में कृषि अनुसंधान की किसमें सुधार करने के लिये उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

समाप्त करने से पहिले मैं सरकार का ध्यान "इकानामिक टाइम्स" के आज के अंक में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि "केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसके द्वारा विभिन्न कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक आधार पर मूल्य निश्चित करने के हेतु उनकी उत्पादन लागत का अनुमान लगाने के लिये फार्म प्रबन्ध अध्ययन किया जाना था ।" यह बहुत चिन्ता का विषय है कि इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया है । मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि इस सम्बन्ध में वस्तुतः स्थिति क्या है ?

श्री इन्द्रजीत लाल महोत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या मंत्री महोदय ने इस पर कोई विचार किया है कि इस देश में कृषि नीति किसान के हित में होनी चाहिये जैसा कि भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री जी ने सभा में कहा था ।

कृषि के मामले में किसान सब से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है । परन्तु इस के साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान कर्मचारी भी महत्वपूर्ण कार्य करता है । यह दुर्भाग्य की बात है कि गत पांच वर्षों में कृषि वैज्ञानिकों के लिये कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है । अनुसंधान संस्थाओं में काम करने वाले गैर तकनीकी व्यक्ति कृषि में अनुसंधान करने वाले कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों को नहीं समझ सके हैं । मंत्री जी कृषि वैज्ञानिकों की स्थिति सुधारने के लिये स्वयं रुचि लें ।

इस बात की आवश्यकता है कि कृषि के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाय और कार्यान्वित किया जाय जिससे कि वह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हो । यह बहुत अनुचित बात है कि गैर-तकनीकी व्यक्तियों को अनुसंधान संस्थाओं

[श्री द० रा० चव्हाण]

का प्रमुख बनाया गया है जिससे कार्यक्रम को ठीक तरह से लागू करने में कठिनाइयां पैदा होनी हैं। यह एक संतोषजनक बात है कि अब डा० बी० बी० पाल, जो एक कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष होंगे। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव और दूंगा कि समस्त अन्य अनुसंधान संस्थायें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन आनी चाहियें ताकि यह परिषद् विभिन्न संस्थाओं के अनुसंधान कार्यों में तालमेल ला सके। इस परिषद् की त्रुटियों के बारे में तो इस समय मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मंत्री जी ने इसमें सुधार करने के लिये कदम उठाये हैं। परन्तु लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को पढ़ कर मुझे बहुत दुख हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि मंत्रालय पिछले इतने वर्षों से कृषि योजनाओं के लिये दिये गये धन को प्रतिभूतियों में लगाता आ रहा है। यह तो वास्तव में बहुत ही गलत बात है।

कृषि अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन क्रम अन्य सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन-क्रमों के समान ही होने चाहियें। नालागढ़ समिति ने इस की बहुत वर्ष पहले सिफारिश की थी। इस समिति की इस सिफारिश को पूर्णतया कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

पहाड़ी क्षेत्र विकास बोर्ड की जब से स्थापना हुई है तब से ले कर अब तक उसकी केवल एक बैठक हुई है जिसमें यह निर्णय किया गया था कि मंत्रालय 6 महीने के अन्दर इन क्षेत्रों के विकास के लिये एक रूपरेखा तैयार करेगा जिसकी कोई बोर्ड जांच करेगा। मंत्री जी बतायें कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER in the chair.]

नेफा में साग सब्जी की पैदावार को बढ़ाने के लिये और अधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें।

कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के लिये माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं। यह किसानों के हित में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। परन्तु उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि वे इस आयोग में एक या दो ऐसे सदस्यों को भी स्थान में दें जो किसानों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर सकें और उनके हितों के प्रहरी के रूप में काम करें।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : It is of paramount importance that Government should take appropriate steps for cattle preservation. Legislation should be brought forward as early as possible to ban cow slaughter. It is also necessary that steps should be taken to ban slaughter of other kinds of animals as well. The supply of milk and ghee may be augmented if our live-stock is preserved and developed properly which would help in solving the food problem to some extent. I would like to submit that at least for eight or ten years, the slaughtering of animals should be totally banned. Cowdung can be converted into a very good fertiliser. I would further suggest that steps should be taken to compel the farmer to earmark a certain part of his land for cow grazing and wood cultivation which would help us a great deal in becoming self sufficient in the matter of fertilisers.

The Government does not want to increase the price of sugarcane beyond Rs. 2.00 per maund. Not only that lakhs of acres of land is being used for sowing tobacco. The cultivation of tobacco should be stopped.

The prices of foodgrains paid to the farmers are not reasonable keeping in view the amount of labour they have to put in. The farmers should be paid more for their produce so that they may be encouraged to produce more.

It is very strange that the persons who have been filling the soil generation after generations have not been given representation in the Committee constituted for increasing the production of foodgrains. The persons who have simply obtained degrees in agriculture but have no practical knowledge have been included in these Committees. This is not the way of increasing production.

The food problem should be taken at war footing. At present we are importing foodgrains from Foreign countries. If war breaks out it is just possible that we may not be able to get the supplies. So we have to make our country self-sufficient in the matter of food production. Only then can we solve our other problems.

Today the people are complaining of the rise in prices. The only permanent solution of this problem is that we should manufacture all the goods of our requirement within the country. So long as we continue to import from outside we cannot check the rise in prices. The more you will increase the dearness allowance the more the prices will rise and this vicious circle goes on.

Recently the Home Ministry issued circulars regarding the more and more use of Hindi. But I have learnt that the Ministry of Food and Agriculture is not complying with instructions and not using Hindi words. Apart from this posters, books and advertisements are printed in English from which the people in villages are little benefitting. If you want the farmers to understand the problem fully, maximum use of Hindi and regional languages should be made for this purpose. I hope the hon. Minister will give sympathetic consideration to suggestions which I have made.

Shri Balgovind Verma (Kheri) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the demands for grants relating to the Ministry of Food and Agriculture. It is an undisputed fact that many of our industries are dependent upon agriculture. So, if want to raise this standards of living of the masses, then agriculture will have to be given priority. How for shall we be depending upon foreign countries, for our requirement of foodgrains. Unless we bring a fundamental change in our policy towards agriculture we will not be able to give a practical shape to the dreams of Jawaharlal Nehru who wanted to take India to the pinnacle of glory.

The hon. Deputy Minister told that the policy of the Government is farmer-oriented. He also spoke about price-support Policy. Government have fixed the procurement price of wheat at Rs. 20 per maund. When farmer can get much better price for cash crop, why should he produce wheat, gram, barley, etc. That is why the farmers have now started growing more and more of cash crops. It is, therefore, evident that we shall fall short of our requirement of foodgrains. The need is to give remunerative price and incentive price to the farmers. All the prosperous countries like U. S. A. and Japan have done that. Whenever the food problem faced by those countries, their Governments purchased foodgrains at higher rates and sold at lower rates. Our Government should also do like that. If the Government want to solve the food

(Shri Balgovind Verma)

problem, they will have to pay good price to the farmer for his produce and sell it to the consumers at subsidized rates. Today we are importing Rs. 5,000 crores worth of foodgrains which is not a permanent solution of the problem.

Here the hon. Members have stressed that the price of foodgrains should be brought down, price should be controlled. But I say that if we fix these prices at Rs. 45 per maund it will not be high. I feel that unless remuneration price is given to the farmers, we cannot create incentive in them to produce more.

Today a major portion of the farmers profit is taken away by the commission agents and middlemen. It is true that some sale and purchase societies are functioning but, the commission agents are creating obstacles in their way, and do not allow them to grow. More attention should be paid towards these societies.

Agriculture in this country cannot progress unless these ministries of Co-operation, Irrigation and Power are brought merged in the Ministry of Food and Agriculture. If this thing is done then there will be co-ordination in the working of these Ministries and their various departments. The farmer will be relieved of much of his worries and much of his time and energy will be saved which he now has to waste in going from one department to another.

There is no doubt that Government is doing something regarding minor irrigation Schemes, but there are some difficulties in obtaining loans.

Government should not refuse loans to the farmers on any score if his financial status or credit worthiness permit it.

There is discrimination in the electricity rates charged in the North and in the South which is highly objectionable. In the North 28 paise per unit are charged for the electricity supplied for the tubewells, whereas in the South they are charging at the rate of 8 or 10 paise per unit. Government supplies electricity to the industry at subsidised rates. Agriculture should be treated at par with industry. Unless uniformity in electricity rates is brought agriculture cannot make headway.

If a farmer takes loan from cane Department, Agriculture Department or Cooperative Department, it is forced upon him to purchase manure equal to 20 or 30 per cent of the loan. It should not be so. We should adopt a productive policy in this regard and not force them because they take it in a bad way.

Supposing a farmer takes a loan of 6000 rupees to construct a tubewell, then he will have to spent 25 per cent, *i.e.*, Rs. 1,500 on the purchase of manure. This is the way we want to propagate the use of manure. This is bad. First, he should be allowed to have the well constructed and then we should think of manure otherwise he will not be able to meet the expenditure of the construction of well.

My District Khalimpur Kheri has always been a surplus area but due to natural calamities that place has been hit hard and there was no crop. Government should provide irrigation facilities there.

There is more mechanised farming in my State and therefore workshops should be provided at those places for the repairing of tractors. Due to the absence of repairing facilities the farmers is forced to sell the tractor at very cheap price.

The moboil oil supplied for the tractors should also be subsidized. Restrictions should be removed from the paddy pounding machines, because now even the poor people do not like to go house to house to get the paddy pounded to save their time.

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : समस्या के आकार को देखते हुए सरकार ने बड़ा सराहनीय काम किया है। परन्तु कुछ बातों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

1953 से 1964 तक 1324.8 करोड़ रु० के मूल्य का अनाज आयात किया गया था। इस प्रकार हम विदेशों पर कब तक निर्भर करते रहेंगे। हमें दो बातों को याद रखना चाहिये। एक तो यह कि अनाज के लिये हमें विदेशों को एक भारी राशि देनी पड़ती है। दूसरे यह कि देश में अनाज की कमी को पूरा करना और उत्पादन बढ़ाना मुख्यरूप से सरकार का काम है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह अन्न आयात करने पर भारी रकम खर्च करने की बजाय खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये काश्तकारों को कुछ सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे। काश्तकारों को सहायता देने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह कि उनको पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं दी जायें। दूसरा यह कि उनको अच्छे बीज, उर्वरक और वित्तीय सहायता दी जाये।

तृतीय योजना में 294.7 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि केवल 231.6 लाख एकड़ भूमि को ही सिंचाई सुविधाएं दी गई हैं। यदि सिंचाई सुविधा देने की हमारी यही गति रही तो हम कभी भी खाद्य उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पायेंगे। जब देश में अनाज की कमी होती है तो इसके लिये खाद्य मंत्री को ही दोषी ठहराया जाता है। इसलिये उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सिंचाई सुविधाओं का जो लक्ष्य है वह पूरा हो।

माननीय उपमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उत्तर में दक्षिण की अपेक्षा प्रति एकड़ कम गन्ना पैदा होता है। उनकी जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे महाराष्ट्र में प्रति एकड़ उपज अधिक नहीं है, अपितु केवल कुछ ही भाग में ऐसा है। सारे देश की चीनी की मांग को आप वहां से कभी भी पूरा नहीं कर पायेंगे। वहां की भूमि उपजाऊ है और वहां पर सिंचाई के लिये नहरें हैं। इसलिये जब तक उत्तर भारत को भी आप ये सुविधाएं नहीं देंगे आप इस प्रकार हमें चुनौती नहीं दे सकते।

महाराष्ट्र में गन्ने से प्राप्ति अधिक होने के बावजूद भी वहां पर उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत देनी पड़ती है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : महाराष्ट्र में कीमत सब से कम है।

श्री काशीनाथ पांडे : उपभोक्ता क्या कीमत देता है ? आप मुकाबला करें।

जब तक सारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया जायेगा किसी एक भाग में सुधार करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाल ही में मैं राजस्थान में गंगानगर क्षेत्र में गया तो मैंने देखा कि लोगों ने वहां पर गन्ना पैदा करना बन्द कर दिया है क्योंकि कपास की उनको अधिक कीमत मिलती है। चीनी के कारखानों के कारण ही काश्तकारों की

[श्री काशीनाथ पांडे]

आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। इसलिये आप यह नहीं कह सकते कि ये कारखाने लाभप्रद एकक नहीं हैं, ये घाटे में चल रहे हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण अथवा महाराष्ट्र में ले जाया जाना चाहिये।

श्री डा० रा० चह्वाण : किसी ने ऐसा नहीं कहा है।

श्री काशीनाथ पांडे : बहुत व्यक्ति कहते हैं।

माननीय मंत्री जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ समस्याएं हैं। ये समस्याएं कोई आजकल में ही पैदा नहीं हुई हैं। सारी कोशिश के बावजूद भी ये कारखाने गुड़ और खांडसारी का मुकाबला नहीं कर सके हैं। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम उत्तर प्रदेश के कारखानों को बीज-बीच में लगभग 5 महीने बन्द करना पड़ा था। अधिक उत्पादन की दृष्टि से सरकार ने उत्पादन शुल्क में कुछ छूट की घोषणा की थी। परन्तु इसके बावजूद भी हालत और खराब हो गई है। मजदूरों को खाली बैठने के लिये कहा गया। इस दौरान में उन्हें केवल आधा वेतन मिला। इतनी महंगाई के समय में आप सोच सकते हैं कि आधे वेतन से किस प्रकार गुजारा चल सकता है।

मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि यदि 2 या 3 लाभप्रद एकक हों तो उन्हें एक साथ मिला दिया जाना चाहिये। हिटलर ने कहा था कि दो बेवकूफों को मिला कर एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता। जब तक आप इन कारखानों का विस्तार नहीं करेंगे ये लाभप्रद नहीं बन सकते। इस मंत्रालय ने रामपुर के चीनी के कारखानों को आपस में मिलने की आज्ञा दे दी थी। इससे 700 व्यक्तियों का रोजगार छिन जायेगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा आदेश क्यों दिया गया। मंत्री महोदय इस पर गौर से विचार करें। इतनी आसानी से इसको सहन नहीं किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई निर्णय लेने से पूर्व कार्मिक प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिये।

श्री वारियर (त्रिचुर) : मैं मंत्रालय का ध्यान अपने राज्य केरल की ख़ाद्य स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह कोई नई समस्या नहीं है परन्तु कभी-कभी यह बहुत ही विकट रूप धारण कर लेती है। समाचार मिला है कि इस समय लोगों को वहां पर केवल मोटा चावल दिया जा रहा है। और इसलिये त्रिवेन्द्रम के शहर में हैजा फैलना आरम्भ हो गया है। मुझे बताया गया है कि केरल के केन्द्रीय गोदामों में सेले चावल का कुछ स्कन्ध है। परन्तु उस चावल के वितरण का अधिकार सम्भरण विभाग को नहीं दिया गया है और डिपो के अधीक्षक अपनी मनमानी से उसका वितरण करते हैं। वे बहुत भेदभाव करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी स्थानों को सेला चावल समान रूप से मिले।

दूसरी समस्या यह है कि अब मानसून आने वाली है और इन दिनों में वहां पर लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता और न ही उनके पास खाने के लिये कुछ होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां अभी से काफी मात्रा में चावल भेज दिया जाये।

खाद्य मंत्री ने घोषणा की थी कि बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों और केरल राज्य में कानूनीरूप से राशन जारी किया जायेगा। अब केरल में अनौपचारिक राशन

लागू किया गया है। परन्तु इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। कीमतें चढ़ती जा रही हैं और अब एक बोरी चावल 120 रु० का बिक रहा है। मैं समझता हूँ कि इस अनौपचारिक राशन की बजाय सरकार को कानूनीरूप से राशन लागू करना चाहिये और लोगों के पेट भरने की जिम्मेवारी लेनी चाहिये।

आंध्र से चावल खरीदने पर केरल को लगभग 100 करोड़ रु० खर्च करने पड़ते हैं। क्या इतने बड़े खर्च से एक छोटे से राज्य की अर्थव्यवस्था टूट नहीं जायेगी? यह आश्चर्य की बात है कि आंध्र में तो चावल इतना महंगा है और तंजौर के चावल को कोई लेता नहीं है।

दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व हमें बर्मा का चावल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था और हमें चावल की समस्या का बिल्कुल अनुभव नहीं होता था। परन्तु अब हमें बर्मा का चावल देना बन्द कर दिया गया है। सरकार अब भी बर्मा और अन्य स्थानों से चावल आयात कर रही है और यदि केरल को बर्मा का चावल पर्याप्त मात्रा में दिया जाये तो हमें आंध्र के चावल के लिये अधिक मूल्य नहीं देना पड़ेगा।

केरल से हम अपने कृषि उत्पाद का काफी बड़ा भाग निर्यात कर रहे हैं। केरल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री गिरी ने कहा था कि यदि सरकार केरल को आयातित चावल में से पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं देगी तो केरल को जो विदेशी मुद्रा वह अर्जित कर रहा है उससे चावल खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये। अन्यथा हमें रोक फसलों के स्थान पर धान की खेती करनी होगी। क्या ऐसा करना सारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के हित में होगा?

मछली उद्योग के लिये सरकार ने क्या किया है? अपने प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि 4000 डीजल इंजन आवश्यक हैं और वे केवल 1,000 दे सकते हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रश्न भी है। हम नहीं जानते कि नार्वे के लोग केरल के तट पर वास्तव में मछलियां पकड़ रहे हैं या कुछ और। हाल ही में जिस प्रतिनिधिमण्डल ने जापान का दौरा किया था उसने प्रतिवेदन दिया है कि अकेला जापान ही प्रति वर्ष 20,000 झींगा आयात कर रहा है और इसमें हमारा भाग केवल 1,000 टन है। इस उद्योग का काफी विकास किया जा सकता है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य देशों में इसकी मंडी है। अकेले झींगा उद्योग में ही मछियारों की बड़ी संख्या को लगाया जा सकता है। इससे केरल की खाद्य समस्या को सुलझाने में भी सहायता मिलेगी।

सभी सदस्य केवल उत्पादन के बारे में ही बोल रहे हैं। यह अच्छी बात है कि उत्पादन बढ़ना चाहिये और वास्तव में हम ने अपना उत्पादन बढ़ाया भी है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत भी हम काफी मात्रा में गेहूं आयात कर रहे हैं। परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर भी हमारे पास अनाज की कमी क्यों है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि वास्तव में दोष हमारी वितरण प्रणाली में है।

श्री पें० वेंकटामुब्बया (अडोनी) : इस मंत्रालय के सामने अनेक बाधाएं हैं। मुख्य बाधा यह है कि विभिन्न राज्य सरकारों पर इसका अच्छा नियंत्रण नहीं है। यदि हम कृषि और खाद्य की समस्या को हल करना चाहते हैं तो खाद्य मंत्री को इस सभा के सामने उपाय लाने चाहियें जिनके द्वारा विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रालयों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सके।

[श्री पें० वेकटासुब्बया]

कुछ समय पहले उन्होंने कृषि के लिये एक पृथक् योजना बनाने की बात भी कही थी। मैं नहीं समझता कि इस योजना को पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ चलाया जा सकता है। किस प्रकार वह सरकार की विभिन्न नीतियों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने जा रहे हैं ?

हमें काश्तकारों की समस्याओं को सुलझाने के लिये उनकी कठिनाइयों को दूर करना होगा। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना होगा। सिंचाई साधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा।

ऋण, बीज, उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने और पीघा संरक्षण उपायों के मामले में काश्तकार के सामने आज अनेक कठिनाइयाँ हैं। मेरा एक सुझाव है कि काश्तकार को सहकारी समिति द्वारा ऋण के लिये एक पत्र दिया जाना चाहिये जिसे दिखा कर वह जब चाहे ऋण प्राप्त कर सके। मंत्रालय मेरे इस सुझाव पर विचार करे।

बिजली देने के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि किसानों से बिजली के पैसे वर्ष में एक बार केवल फसल के दिनों में लिये जायें।

हमारे राज्य में उर्वरक सिंचाई वाली भूमि और सूखी भूमि दोनों के लिये प्रयोग में लाया जाता है। मांग अधिक है और हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कल ही की बात है मंत्री जी ने बताया था कि उर्वरक मांग से लगभग 350,000 टन कम पैदा किया जाता है। इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने इसके स्थान पर काम में आने वाली अन्य किसी वस्तु की ओर ध्यान दिया है ?

फिर कृषि सम्बन्धी नीति को क्रियान्वित करने के लिये हमारे पास उचित व्यवस्था नहीं है। किसानों की वर्तमान हालतों को देखते हुए सारी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में सरकार क्या उपाय कर रही है।

मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि सरकार एक अखिल भारतीय कृषि पदाली बनाने की ओर कदम उठा रही है। मुझे आशा है कि कृषकों की आशाओं को पूरा करने के लिये बहुत ही योग्य व्यक्ति इस ओर आकर्षित होंगे।

हम ने बार बार कहा है कि पीघा संरक्षण उपायों की ओर सरकार उचित ध्यान नहीं दे रही है। कृषकों को फसल के कीटाणुनाशक औषधियाँ किसानों को दी जानी चाहिये।

कृषकों के ट्रैक्टर आदि और खेती की अन्य मशीनों के खराब होने पर उनको ठीक करने के लिये उनके लिये तकनीकी जानकारों की सेवाओं की कोई सुविधाएं नहीं हैं जो कि होनी चाहिये।

किसान की एक और बड़ी समस्या मंडी की है। यदि किसान अपनी फसल को समय पर मंडी में नहीं लाता है तो उसको उसके परिश्रम का पूरा फल नहीं मिल सकता है। इस समय देश में जो विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं उनमें भांडागार और विपणन सुविधाओं के सम्बन्ध में दोहरा काम है। इस काम में अनेक संगठन लगे हुए हैं और

इसके कारण मंत्रालय उन लोगों को विपणन सम्बन्धी उचित सुविधाएं नहीं दे सकता है ।

अन्त में माननीय मंत्री से मेरा यही निवेदन है कि जैसा कि श्वेत पत्र में दिया गया है किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और वे ऐसा अनुभव करें के सरकार से वित्तीय और अन्य सहायता उन्हें मिल सकती है और उन्हें अपनी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है ।

कच्छ-सिन्ध सीमा पर युद्ध-विराम सम्बन्धी बातचीत के कथित समाचार के बारे में

RE : REPORTED CEASE-FIRE TALKS ON KUTCH-SIND BORDER

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान् जी, एक बहुत ही चिन्ताजनक समाचार है, और इससे पूर्व कि आप श्री अणु को भाषण देने के लिये कहें, हम चाहेंगे कि प्रधान मंत्री अथवा प्रतिरक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें । कल हमने सभा में एक संकल्प स्वीकार किया था कि हम आक्रमणकारियों को कच्छ क्षेत्र से भगायेंगे । अब हम यह सुन रहे हैं कि युद्ध-विराम समझौते के लिये किसी ओर से प्रयत्न किये जा रहे हैं । कल यहां प्रधान मंत्री ने यथापूर्व स्थिति के बारे में कहा है । सभा को पता होना चाहिये कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : हम कल यहां पर नहीं सुनना चाहते कि युद्ध-विराम समझौता हो गया है । यदि इस सरकार द्वारा अपमानजनक युद्ध-विराम समझौता किया गया तो सारे देश में गड़बड़ी मच जायेगी । हम इस बारे में आश्वासन चाहते हैं कि संसद् को बताये बिना ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । श्री सुब्रह्मण्यम, जो मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं यहां बैठे हैं । वह जा कर श्री शास्त्री से कहें कि वह आज रात रेडियो पर यह संदेश प्रसारित करें कि यह समाचार निराधार है । भारत यह चाहता है कि आक्रमणकारियों को खदेड़ा जाये । क्या हम यह समझें कि हमें इस बारे में आश्वासन दिया जायेगा ?

श्री भागवत झा अजाद (भागलपुर) : हम भी इससे बहुत चिन्तित हैं । हम भी चाहते हैं कि प्रधान मंत्री सभा को यह आश्वासन दें कि आक्रमणकारी को अपनी मर्जी नहीं करने दी जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने यह बात आगे पहुंचाई है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : प्रधान मंत्री ने पूरा पूरा आश्वासन दिया था कि जब तक यथापूर्व स्थिति कायम नहीं होती हम युद्ध-विराम के लिये सहमत नहीं होंगे । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यथापूर्व स्थिति का यह अर्थ होगा कि हमारे सभी क्षेत्रों को खाली किया जाये जिसमें कंजरकोट भी सम्मिलित है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सरकार, संसद् की उपेक्षा कैसे कर सकती है ? यदि ऐसी स्थिति पैदा हो भी गई तो मुझे विश्वास है कि सभा में वक्तव्य दिया जायेगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : क्योंकि यह मामला सभा में उठाया गया है और कल समाचार-पत्रों में आ जाएगा, इतलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में एक निश्चयात्मक वक्तव्य दे ताकि इस बारे में कोई भ्रम न रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री को सूचित कर दिया है।

श्री ब्रजराज सिंह कोटा (झालावार) : सभा के स्थगित होने से पहले हमें कुछ बताया जाना चाहिये।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : युद्ध-विराम की अफवाह के साथ-साथ यह भी अफवाह है कि शत्रुओं ने बियार ब्रेट पर भी कब्जा कर लिया है। इस बारे में भी सभा को जानकारी दी जाये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : The Prime Minister has given categorical assurance three times that until Kanjarkot is vacated by Pakistan, no cease-fire talks will be started. If the Prime Minister agrees to cease-fire now he will be going against his assurance to the country.

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—contd.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

डा० मा० श्री० अग्ने (नागपुर) : माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान यह जानने की इच्छा प्रकट की है कि कृषि तथा अर्थ-व्यवस्था के बारे में सरकार की क्या नीति है। सरकार की नीति यह है कि जिस चीज की आवश्यकता है, उसका यहां उत्पादन किया जाये और जो उत्पादन हो उसका हम पूरा-पूरा प्रयोग करें। जब तक कि देश इस तरीके पर नहीं चलता तब तक वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो सकता।

जहां तक कृषि सम्बन्धी नीति का प्रश्न है आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि देश में अधिकाधिक कृषि-जन्य वस्तुओं का उत्पादन हो। लोगों को अन्न के सम्भरण के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं कर सकते। इसलिये सरकार को उन सभी छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान देना चाहिये जिनसे उत्पादन में वृद्धि हो। इन बातों में से एक उर्वरक के बारे में है। उर्वरक का प्रयोग महत्वपूर्ण है।

[श्री थिरमाला राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO in the chair]

कृषि-विभाग के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि :

“देश में नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। परन्तु इन उर्वरकों का उत्पादन देश में अपर्याप्त मात्रा में होने और विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण उर्वरक सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं हो सकता है।”

यह खेद का विषय है कि उर्वरक का उत्पादन आशा के अनुसार नहीं हो रहा है। इसके साथ-साथ उर्वरकों का वितरण भी ठीक नहीं होता है।

पिछले वर्ष महाराष्ट्र सरकार, विदर्भ सहकारी विक्रय समिति लिमिटेड को, जिसका मुख्य कार्यालय नागपुर में है, और जो विदर्भ के आठों जिलों में सभी समितियों के लिए थोक वितरण का काम करती है, अपेक्षित मात्रा में उर्वरक नहीं दे सकी। इसलिये इस समिति ने सरकार के परामर्श से प्रादेशिक निदेशक (एफ) कलकत्ता को उर्वरक के सम्भरण के लिये आदेश दिये। प्रादेशिक निदेशक (एफ) कलकत्ता ने इस समिति को उर्वरक भेज दिया। जब रेलवे द्वारा डिब्बों में भेजा गया यह माल प्राप्त किया गया तो मालूम हुआ कि बोरियां फटी पड़ी हैं और डिब्बों में खुला माल भी पड़ा है। सरकार को इस मामले की सूचना दी गई। 30 दिसम्बर, 1964 को महाराष्ट्र सरकार के अवर सचिव ने इस समिति को यह सूचना भेजी कि श्री पी० सी० माथुर उप-विदेशक (उर्वरक आयोजन), भारत सरकार इन शिकायतों की जांच करने के लिए विदर्भ जिला के कुछ स्थानों का दौरा करेंगे। उन्होंने केवल चार अथवा पांच केन्द्रों का दौरा किया। परन्तु इस जांच से कोई लाभ नहीं हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

इस मामले में इस समिति के सदस्यों को जो अधिकतर कृषक हैं, बहुत हानि हुई। मैं इससे सम्बन्धित सभी पत्र, मंत्री महोदय को भेजूंगा। वह इस बारे में जांच करायें और यह सुनिश्चित करें कि इस समिति के सैंकड़ों सदस्यों से, जो कि कृषक हैं, न्याय हो।

श्री मणियंगडन (कोट्टयम) : मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

इस देश में खाद्य-स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस के बहुत कारण हैं। परन्तु इसका सारा दोष खाद्य तथा कृषि मंत्रालय पर नहीं डाला जा सकता। उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, उर्वरक के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कमी, अपर्याप्त सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें और वर्तमान सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं से लाभ न उठाया जाना—ये सब बातें इस स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं।

हमें यह याद रखना चाहिये कि वर्तमान, मंत्री ने उस समय कार्यभार सम्भाला जब खाद्य स्थिति बड़ी जटिल थी। उन्होंने इस स्थिति में जो सुधार किया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि नियन्त्रण हटा दिये जाने चाहिये और खाद्यान्न का व्यापार अबाध होना चाहिये। दूसरी ओर से यह भी सुझाव दिया गया है कि पूरा-पूरा नियंत्रण लागू किया जाना चाहिये। हमें यह ज्ञात ही है कि किन परिस्थितियों में नियन्त्रण लगाने पड़े हैं। इसलिये इस अभाव की स्थिति में नियन्त्रण हटाया जाना ठीक नहीं है।

खाद्य निगम तथा कृषि मूल्य आयोग के स्थापित किये जाने का स्वागत है और मुझे आशा है कि ये दोनों संस्थायें भली प्रकार कार्य करेंगी।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, वहां खाद्यान्न की स्थिति बहुत शोचनीय है। कुछ समय पूर्व वहां अनौपचारिक रूप से राशन व्यवस्था चालू की गई थी और वह अब तक

[श्री मणिगंगाडन]

चल रही है। वहां राशन की मात्रा बहुत थोड़ी है, खाद्यान्न की किस्म भी बहुत बुरी है। केरल के लोग गेहूं नहीं खाते और वे चावल खाने के अभ्यस्त हैं। खुले बाजार में चावल मिलने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें। जिन स्थानों से खुले बाजार में चावल आता है, उन्हें बन्द नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु आज केरल में यह हो रहा है कि जो कुछ खाद्यान्न वहां पैदा होता है, उसे सरकार उद्ग्रहण प्रणाली (प्रोक्योरमेंट स्कीम) के अन्तर्गत ले लेती है। इस पर आन्ध्र तथा मद्रास राज्य से केरल में चावल लाने की अनुमति नहीं दी जाती। मैं यह सुझाव देता हूं कि केरल में उद्ग्रहण प्रणाली बिल्कुल समाप्त की जानी चाहिये और पड़ोसी राज्यों से केरल में चावल लाने के लिए अनुमति दी जानी चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो स्थिति में सुधार होगा और खुले बाजार में मूल्य गिर जायेंगे।

आजकल वहां राशन की मात्रा 80 ग्राम चावल तथा 80 ग्राम गेहूं है। यह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए खुले बाजार में चावल मिलना बड़ा आवश्यक है। वहां चावल के मूल्य बढ़ जाने से स्थिति फिर गम्भीर हो रही है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इसकी जांच करें।

केरल में सरकार द्वारा उद्ग्रहण के लिए मूल्य निर्धारित किये गये हैं। पहले तो मैं यह कहूंगा कि उद्ग्रहण बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिये। धान के जो भी मूल्य हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। इन मूल्यों का उत्पादन-व्यय से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि किसान को मूल्य सम्बन्धी कोई प्रोत्साहन दिया जाना है, तो उसे ऊंचे मूल्य दिये जाने चाहिये। कुट्टानद में कच्चे बांध बनाये जाने के बजाये सरकारी खर्च पर पक्के बांध बनाये जाने चाहिये ताकि उत्पादन-मूल्य में कमी हो। बिजली तथा उर्वरक सस्ते दामों पर उपलब्ध करने चाहियें। बहुत पूर्व पहले थान्निरमुक्कम बांध का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया था परन्तु इस कार्य में बहुत कम प्रगति हो रही है। यदि इस काम में तेजी लाई गई और दूसरे सुझावों पर अमल किया गया तो कुट्टानद क्षेत्र में धान का उत्पादन व्यय बहुत कम होगा और इस सम्बन्ध में अधिक कठिनाई नहीं होगी।

अनौपचारिक रूप से राशन व्यवस्था लागू होने के बाद केरल में उचित मूल्य को दुकानें बन्द कर दी गई हैं। खाली स्थिति में सुधार करने के लिए वहां ये दुकानें फिर से खोली जानी चाहिये।

मूल्यों में उतार चढ़ाव होने के कारण कृषक वहां तेपिओका की फसल नहीं उगा रहे हैं। कृषकों को तेपिओका के न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित कराये जाने चाहियें ताकि वे इसकी फसल उगायें। मैं यह भी कहूंगा कि कम से कम आगामी तीन या चार मास के दौरान राशन की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिये। पिछले वर्ष इस अविधि के दौरान उचित-मूल्यों की दुकानों द्वारा अधिक चावल उपलब्ध कराया जा रहा था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य में कोई नई सिंचाई योजना आरम्भ नहीं की गई। दूसरी योजना के दौरान आरम्भ की गई योजनायें अभी भी अधूरी हैं। वहां अधिक सिंचाई योजनायें लागू की जानी चाहिये। जिन भूमियों पर एक ही फसल उगाई जाती है, वहां दो फसलें उगाई जानी चाहियें।

मुझे खेद है कि इस प्रतिवेदन में नारियल बागान आदि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। नारियल बागान की स्थिति गम्भीर है। वहां अनुसन्धान-कार्य हो रहा है, परन्तु मेरा सुझाव है कि वह कार्य गम्भीरतापूर्वक किया जाना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): I have found from the Report of this Ministry that although we have incurred huge amounts yet the dividend received is negligible. Today the people of Rajasthan are in very bad plight. Twenty Lakh farmers there, possess no land and even where, they have any land they have no water for irrigation.

It is regrettable that even in spite of so many years after we attained independence we are still depending upon foreign countries for our food requirements. We have imported 6285.9 metric tonnes of foodgrains from different countries.

There is water scarcity in Rajasthan. One hundred and fifty tube-wells were sanctioned there but only 37 have been installed and out of these 37 tube-wells only 13 are working and 24 are out of order. There is enough land in Rajasthan but the irrigation facilities are far from being satisfactory. If adequate water supply is assured to the farmers there, they can produce sufficient foodgrains in that area.

In so far as agricultural schools and colleges are concerned, proper attention has not been paid towards Rajasthan. It is necessary that more agricultural schools and colleges are opened; in fact agriculture should be a compulsory subject from third or fourth class in the schools. One agricultural school should be opened in Kotah.

The consumption of fertilizer is on the increase. Imported fertilizer is costly. Training should also be imparted to the peasants in the use of manure. Foreign Exchange worth rupees fifteen lakhs was not sanctioned to Sindri Fertilizer Factory but the Government incurred a loss of rupees ten crores by importing fertilizer.

There is a dairy farm in our area which is not being managed properly. A plant was purchased at the cost of rupees 3.83 lakhs in 1960-61 but that has not been put to any use. Warehouses are constructed but nothing is stored in them.

On the advice of the Government officials, the farmers in kotah and Bundi cultivated sugarcane. But in the absence of a sugar mill in that area, the whole crop of sugar cane is going waste. Steps should be taken to set up a sugar mill in that area.

The foodgrains requirements of the states were to the tune of eight lakh tons. But the Government supplied only two lakh tons. Consequent to this the people have been put to great difficulty. Four ounce ration in Rajasthan is not at all sufficient. Even the imported wheat has been controlled.

If the Government is earnest in helping the peasants, they should help them in proper way. At present only fifty rupees are given to them for sinking a well whereas they require rupees 500 for this purpose.

The farmers should be assured of a remunerative price of the produce and only then he will take interest in increasing production.

Shri N. N. Patel (Bulsar) : In 1947, the late shri Jawahar Lal Nehru broadcast a message to the nation in which he asked the people to grow more food. He asked them to use the kitchen gardens also for growing foodgrains. If agricultural production is to be increased, the vast tracts of cultivable waste land in the country must be brought under the plough. Large areas of land which are lying unutilized on both sides of the railway lines should be brought under cultivation.

Of course, the production of foodgrains has increased in the country but this increase is eaten away by the rise in population. In the rural areas the population is increasing very rapidly. If effective measures are not taken to check it, the problem of food shortage can never be solved. We should solve this problem of rising population in consultation with the Ministry of Health.

Large areas of land in the possession of big industrialists are lying waste at some places; something must be done so that this land is utilized for cultivation purposes. The Government should consider over this matter.

It is seen that the sewage of big cities, and night-soil is not used as manure. The Government should think about such schemes so that the sewage is utilized for agricultural purposes.

On one hand the Government want increase in production and sanctions loans, taccavi etc. for the purpose but on the other hand freight rates for fruits has been increased exorbitantly. This only results in discouragement to the farmers. It is observed from the revised freight rates for fruits effective from 1-4-1965 it is sure that the rates have almost been doubled on all packages. How far is it proper to charge such high rates and expect increase in production? At least 25,000 baskets of mangoes are sent to Bombay and Delhi from Bulsar District. Similarly there has been 100% increase in the freight rates of Chikoo-baskets. I will appeal to hon. Food Minister to take up this matter of reducing these freight rates with the Railway Minister so that the growers may be encouraged to increase their production.

Shri Gulshan (Bhatinda) : Mr. Deputy Speaker, our country is passing through a critical period. To face this crises successfully we have to equip our army with latest type of arms to meet the external threat and to make available latest equipment and implements, manure, seeds etc. to the agriculturist and to ensure fair price for their produce to meet the crisis at the home front. Agriculture accounts for 40 per cent of our income and 6.30 crores of families are dependent on it for their living.

While the Government are engaged in taking all possible measures to defend the country against aggression by an outside enemy and his evil intention, they should not sleep over the internal danger posed by the anti-social elements such as profiteers, black-marketeers, speculators, hoarders, etc. Government should not bother about small firms but try to lay hand on the big capitalists, who exploit the situation for their personal gains.

The new crop is about to start arriving in the market but wheat was being sold in Punjab at the rate of Rs. 83 per quintal only ten days back. Then, there is large-scale adulteration in all articles whether it be pulses, spices, turmeric, soap, salt soap, ghee, milk or even drugs. I mean to say that you cannot get any thing these days which is pure. Even cloth, iron, copper, brass, gold, silver have not been spared. The position has deteriorated to such an extent that even poison may be adulterated.

While addressing a congress Committee meeting in Allahabad, the Prime Minister said that the prices will come down with the arrival of new produce in the market. But contrary to this expectation the prices of mustard, linseed oil etc. have gone up by Rs. 10 per quintal. Government of Gujarat have announced an award of Rs. 500 to a person giving information regarding smuggling out of wheat from the State. Am I to understand that the Government Intelligence Service has become ineffective?

Then, vast areas of land are lying uncultivated by the side of railway lines, road, canals etc. which, if allotted to the landless, can help the country to overcome food shortage. Not only that, acres of land is wasted by providing vast compounds enclosing the residences of ministers and Government Officers. Similarly hundreds acres of land is wasted in providing lawns etc. in and around the Samadhis of leaders.

The Zonal scheme of the Government restricting the inter-state movement of foodgrains only helps the capitalist in hoarding. This should be scrapped. The grain dealers should be allowed only a reasonable margin of profit restricting it to the interest on investment. Tubewells should be dug in the areas where there is water-scarcity. Electricity and diesel for the tractors and tube-wells should be supplied at cheap rates. The fallow land should be given to the landless. Middleman should not be allowed to take away the major share in the sale proceeds of the agricultural produce.

कच्छ-सिन्ध सीमा पर युद्ध-विराम संबंधी बातचीत के कथित समाचार
के बारे में—जारी

RE: REPORTED CEASE-FIRE TALKS ON KUTCH-SIND BORDER—contd.

श्री नाथपाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि प्रधान मंत्री आयेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहला भेजा है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Prime Minister is coming or not ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अभी तक उनसे कोई सन्देश प्राप्त नहीं हुआ है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं यह कहता हूँ कि आज कोई वक्तव्य नहीं दिया जाना है ।

श्री नाथ पाई : यह सभा की पूर्ण अवहेलना तथा अपमान है । एक पक्ष नहीं बल्कि सभा के सभी पक्षों की ओर से यह प्रार्थना की गई थी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है । हम जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार अथवा किसी मध्यस्थ तथा प्रधान मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि के बीच संसद् को बताये बिना पाकिस्तानी सेना के हमारे राज्य-क्षेत्र से पीछे हटे बिना ही युद्ध-विराम के बारे में कोई बातचीत हो रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बहुत अजीब बात है । जैसी स्थिति होती है हम उसके अनुसार कार्य करते हैं और जब आवश्यक होगा एक वक्तव्य दिया जायेगा ।

श्री न. य. पाई : क्या वे हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि आक्रमणकारी के साथ कोई ऐसा सौझौता नहीं किया जायेगा जिसमें अपनी एक इंच भी भूमि देने की बात हो तथा जो सभा के संकल्प के प्रतिकूल हो ?

श्री कमलानर बजाज (बर्धा) : यह बहुत गम्भीर तथा अवलम्बनीय महत्व का मामला है। मैं समझता हूँ कि सभा को यह बताना आवश्यक नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। यदि विरोधी दल के नेताओं से बातचीत कर लेना पर्याप्त होगा।

उपस्थित महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम प्रधान मंत्री को माननीय सदस्यों की भावना से अवगत करा देंगे।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : Mr. Deputy Speaker, I rise to support the Demands of the Ministry of Food and Agriculture. I also thank the hon. Minister for some of the outstanding feature of his agricultural policy. There has been stability in prices this year. The farmers are feeding the developing industries, army and the entire population. Agricultural products account for half of our foreign exchange earnings. Whether it be jute, sugar, cashewnut or any other commodity.

There has been 2.5 point increase in population as compared to 3 point increase in our agricultural production. There is a controversy as to whether agricultural production in India can at all increase as envisaged in the Five Year Plans. Prof. Arthur Lewis for instance in his model of Indian Economic Growth (1955) assumed that even with the least effort food output in India can be raised only by a total of about 45% between 1955 and 1980. Whereas on the other hand the Ford Foundation team felt that pushing up the low performance to the high levels attained by some Indian farmers would not be difficult of achievement, provided better techniques and implements were made available along with the intensive use of good seeds, manures and irrigation. These things are repeatedly emphasised by Government but the difficulty is that these things are not properly implemented at the lowest level. This is primarily due to the fact that the policy making part of it is the concern of the Agriculture Ministry and its implementation is entrusted to the Ministry of Community Development. In this connection I would suggest that the recommendations of the Shankar Committee appointed by the Union Government should be implemented. The second point that I will like to stress is that there should be a Central policy for the whole of India in regard to food production.

Next I will like to say a few words about zones. I will instead suggest a graded levy per acre. These zonal restrictions are threatening the integration of the country. In Bombay, Maharashtra and other places, State Governments impose restriction on the movement of coarse grains and pulses though that is not the intention of the Central Government. Zonal system is not going to work, it should be scrapped as early as possible.

Then, a scientific basis is yet to be evolved for price fixation. There should be some machinery for working out cost of production figures at all levels,

from district to Province levels. The production of sugar is likely to be of the order of 31 lakh tons. Thus there will be a surplus of 5 lakh tons after meeting internal needs. This should be imported for earning foreign exchange. The mill-owners should be advanced money by banks on this surplus quantity as well so that they may pay the pay to the growers. The sanction to expansion proposals of the old sugar mills should be accorded expeditiously and in time otherwise the sugarcane will rot in the fields.

Shrimati Ganga Devi (Mohana Nagarj) : Mr. Deputy Speaker, the food problem has been a constant irritant after the independence and the prices of foodgrains have been rising constantly. In 1963-64 we had to witness some very untoward incidents. I must thank the hon. Food Minister for his tactfully handling the explosive situation.

India is a vast agricultural country and almost all foodstuffs and fruits are produced here. During the first Five Year Plan Rs. 361 crores were spent on agriculture and food production apart from an expenditure of Rs. 561 crores on irrigation. Similarly during the Second Five Year Plan 20% of the Plan allocation was provided for agriculture and irrigation. Again during the third Plan an amount of Rs. 1718 crores, 20% of the total plan expenditure, was earmarked for the purpose. In spite of this heavy expenditure there has been no appreciable progress in regard to food production and the prices are still rising.

The lack of planning in the right perspective is responsible for this state of affairs. The expenditure to the extent of crores of rupees incurred on creation of new posts, opening of new offices and construction of big dams could be more usefully employed in providing fertilisers, seeds and irrigational facilities to the farmers and digging of tube wells in each and every village in the country. This would have not only solved the water problem of the agriculturist but had also helped the farmer to increase the production fourfold.

We are surrounded by enemies on all sides. We depend on foreign countries for our food supplies. The crisis can well be imagined that will develop if these foreign supplies are stopped. Therefore, it is of paramount necessity that we provide sufficient funds for the development of agriculture instead of incurring expenditure on other projects. The Third Plan is coming to an end but still a big leeway is yet to be made in regard to food target of food production of 105 million tons. What we have achieved is an agricultural production of 90 million tons.

There are many reasons for the production falling short of the target. Though Zamindari system has been abolished but the land has not been distributed to the farmers who toil in the fields and the erstwhile Zamindars have become the owners of big farms. The produce of these farms goes underground and is sold in the black market. I appeal to the Government to take deterrent action against such anti-social elements. The distribution of land to the landless agriculturists would have gone a far way in achieving self-sufficiency in food. In spite of the statutory provision to give priority to landless farmers, the fallow land was not given to them. In this democratic and socialist age we are acting on the principle of survival of the fittest.

The farmer needs fertiliser, irrigation facilities and proper climate. Food Corporation has been established to procure food grains at reasonable rates and sell it to the public at a fair price. I fail to understand why it has not been opened in Delhi or Uttar Pradesh which is predominantly an agricultural area.

श्री शिवाजी राव शं० बेशमुख (परभणी): उपाध्यक्ष महोदय आज इस समय हमारा ध्यान कच्छ सिंध सीमा पर होने वाली घटनाओं पर लगा हुआ है। लेकिन मेरी यह भावना है कि हमारे खेतों और कारखानों में क्या हो रहा है, इसका कच्छ सिंध की घटनाओं से संबंध है। मेरा माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वे कृषि की भलाई के लिये समुचित ध्यान दें न केवल खाद्य विभाग की ओर विशेष ध्यान दें। आज के किसान के मन में यह भावना बैठ गई कि किसानों की स्थिति व कृषि की उन्नति करने का नारा लगाने वाले राजनीतिज्ञों व सत्तारूढ़ दल ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। हम माननीय मंत्री जी को हर सहयोग प्रदान करने के लिये तैयार हैं यदि वे भारत के किसानों के हित के लिये कुछ करें।

हमारी मूल्य नियन्त्रण नीति कुछ ठीक नहीं है। गेहूँ के स्थैर्य मूल्य (सपोर्ट प्राइस) के बारे में सिफारिश करने के लिये ज्ञा समिति नियुक्त की गई थी। उसने सिफारिश कि गेहूँ का स्थैर्य मूल्य 40 रु० से 50 रु० प्रति क्विंटल होना चाहिये जो न्यायोचित नहीं है। यह खेद की बात है कि किसानों को उनकी उपज के आज भी वही मूल्य मिल रहे हैं जो उन्हें 12 वर्ष पहले मिलते थे। मूल्य समर्थन तथा मूल्य संबंधी नीति लाभप्रद मूल्य के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिये।

हमें आशा थी कि खाद्य व्यापार निगम समाहार मूल्य के बारे में किसानों के हित में कार्य करेगा, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि यह आशा पूरी नहीं हो रही है। यह निगम पंजाब में किसानों के हित के लिये कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। निगम का मुख्यालय मद्रास में रखा गया है जहां से वह पंजाब जैसे सुदूर स्थानों में सक्रिय रूप से कार्य करने में असमर्थ है अथवा कार्य करना नहीं चाहता है। यह खराब स्थिति क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त करने में हिचकिचाहट दिखाने के कारण पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कभी न तो कमी वाले राज्यों में मूल्यों को अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया है और न आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में गिरने से। इसका परिणाम यह है कि बाहुल्य वाले राज्यों में किसानों को हानि होती है। और कमी वाले राज्यों के किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता क्योंकि कमी वाले राज्यों में समाहार वे संबंध में एकाधिकार प्रणाली विद्यमान है।

कृषि संबंधी सभी खराबियों के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकार के निर्णयों का प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार भी इस ओर अधिक ध्यान नहीं देती है। यदि वास्तव में कृषि में सुधार करके उत्पादन बढ़ाना है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित नीतियों को राज्यों द्वारा उचित ढंग से कार्यरूप देना चाहिये।

चीनी के उत्पादन के संबंध में भी स्थिति निराशाजनक है। खाद्य उपमंत्री महोदय ने कहा था कि जिस समय चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 105 पौंड प्रति टन था उस समय हम उसके निर्यात करने की स्थिति में नहीं थे। चीनी का निर्यात न कर सकने का मुख्य कारण यह था कि एक वर्ष पूर्व जब सभा ने एक मत होकर यह मांग की थी कि 9 प्रतिशत प्राप्ति वाले गन्ने का मूल्य 2 रुपये प्रतिटन निर्धारित किया जाना चाहिये तो सरकार ने इसकी उपेक्षा की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि गन्ना उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में चीनी के स्थान पर गुड़ का उत्पादन होने लगा और हम चीनी का उत्पादन 25 लाख टन भी नहीं कर पाये जब कि सरकार का कहना था कि हम 30 लाख टन चीनी का उत्पादन कर लेंगे। यदि हमने चीनी का उत्पादन अधिक करके उसका निर्यात किया होता तो हम काफी विदेशी मुद्रा कमा लेते। सरकार उत्पादन में कमी के लिये सदैव प्रकृति को दोषी ठहराती है जो अनुचित बात है। यदि सरकार उचित नीति से काम ले तब देवी कठिनाइयां काफी हद तक नियंत्रित की जा सकती हैं।

सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। यह सराहनीय बात है कि सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की है किन्तु इस आयोग में जब तक कृषकों और कृषि विशेषज्ञों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तब तक इस से कृषकों को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंच सकता है।

सूती कपड़े के संबंध में सूती कपड़ा बोर्ड ने यह निर्णय किया था कि जो कपास का अधिकतम मूल्य होगा वही सूती कपड़े का न्यूनतम मूल्य होना चाहिये और अधिकतम सीमा हटा दी जानी चाहिये। किन्तु सरकार बोर्ड के इस निर्णय से सहमत नहीं है। सरकार के इस प्रकार के दृष्टिकोण से यह साबित होता है कि हमारी सभी आर्थिक नीतियों का केवल एक यही उद्देश्य है कि निजी पूंजीपतियों तथा एकाधिपतियों के हितों की रक्षा करना।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल निर्धारित राशि का कृषि के लिये केवल 23 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह सभी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है तथा निर्यात का भी 50 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। किन्तु इसके लिये केवल 23 प्रतिशत भाग रखा गया है। यदि मंत्री महोदय इस राशि में वृद्धि करने की मांग नहीं करेंगे तो हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वैज्ञानिक ढंग से कृषि की प्रगति करने के लिये यथासंभव प्रयत्न किये जाने चाहियें।

Shri Yashpal Singh (Kajrana): I beg to move that the time may be extended by one hour for it.

कुछ माननीय सदस्य : हम आठ बजे तक बैठ सकते हैं।

श्री स० च० सामन्त : सभा में गणपूर्ति नहीं है। समय कैसे बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 30 अप्रैल, 1965/10 वैशाख, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 30, 1965/Vaisakha 10, 1887 (Saka).